



क्रमांक: 5954/अका./का.प./2015

रायपुर, दिनांक : 12/10/2015


विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की पंद्रहवीं\* बैठक सोमवार, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015 को  
अपरान्ह 03.00 बजे की विषयसूची

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.08.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (पृ.क्र. 01 से 04 तक)  
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 14.08.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।  
टीप : पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।
03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 23.09.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृष्ठ क्र. 05 से 08 तक)  
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
04. पं. सुंदरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति की द्वितीय बैठक दिनांक 28.07.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना। (पृष्ठ क्र. 09 से 10 तक)  
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
07. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर की क्रीड़ा समिति की बैठक दिनांक 08.09.2015 के कार्यवृत्त के अनुमोदन पर विचार करना। (पृष्ठ क्र. 11 से 12 तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
06. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पुस्तकों एवं शोध-पत्रिकाओं के क्रय हेतु प्राप्त राशि रु. 10 लाख के उपयोगितार्थ प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना। (पृष्ठ क्र. 13)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
05. विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रय के लिये आमंत्रित निविदाओं के अनुशंसित दरों पर विचार करना। (पृष्ठ क्र. 14)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
08. विभागीय एवं केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुशंसित दर पर संचालक, शारीरिक शिक्षा के लिए ट्रेक सूट, ब्लेज़र क्रय करने की अनुशंसा का अनुमोदन करना।  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ क्र. 15)

\* स्वर्ण जयंती वर्ष मई 2014 से।

09. जैविकी अध्ययनशाला के नये सेमीनार हॉल का नाम सर जगदीश चन्द्र बोस (Sir J.C. Bose) के नाम पर रखने के प्रस्ताव पर विचार करना। (पृष्ठ क्र. 16)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
10. विश्वविद्यालय फार्मसी संस्थान में निर्मित सेमीनार हाल का नामकरण Prof. Mahadeva Lal Schroff किये जाने पर विचार करना। (पृष्ठ क्र. 17 से 20 तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
11. पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के समस्त छात्रावास, और गेस्ट हाउस में सौर ऊर्जा संयंत्र संस्थापन के लिए क्रेडा से प्रस्तुत प्राक्कलन राशि रु. 84.90 लाख स्वीकृति पर विचार करना। (पृष्ठ क्र. 21 से 24 तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
12. अध्यापक शिक्षा संस्थान में एन.सी.टी.ई. रेगुलेशन 2014 के अनुसार B.Ed. एवं M.Ed. दो वर्षीय पाठ्यक्रम के शिक्षकीय पद के संबंध में 9 सहायक प्राध्यापकों की स्वीकृति पर विचार करना। (पृष्ठ क्र. 25)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
13. B.Voc हेतु बजट प्रावधान (सत्र 2015-16) किये जाने पर विचार करना।  
टीप : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के पत्र क्र. F.2-22/2015(B.Voc) July 2015 एवं कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न। (पृष्ठ क्र. 26 से 28 तक)
14. वार्षिक परीक्षा 2014-15 के परीक्षा पश्चात् किये गए कार्य का देयक राशि रु. 19,22,186=00 (रु. उन्नीस लाख, बाइस हजार एक सौ छियासी) में ओसवाल कम्प्युटर एंड कन्सल्टेंट, इंदौर को भुगतान करने की प्रदान करने पर विचार करना। (पृष्ठ क्र. 29)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
15. विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों की साफ सफाई की व्यवस्था के संबंध में गठित DPC एवं CPC द्वारा किये गए अनुशंसा पर विचार करना। (पृष्ठ क्र. 30 से 31 तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
16. प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।  
टीप : प्राचार्य पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा निम्नलिखित महाविद्यालयों से प्राप्त है :-  
1. डी.ए.व्ही. मॉडल कॉलेज, धमधा रोड, आर्य नगर, दुर्ग  
2. अग्रसेन महाविद्यालय, जैतुसाव मठ परिसर, पुरानी बस्ती रायपुर  
प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा पटल पर रखी जाएगी।


17. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना ग्रहण करना।  
(पृष्ठ क्र. 32 से 38 तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
18. विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति गठन के संबंध में विचार करना।  
(पृष्ठ क्र. 39 से 41 तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
19. शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रु. 500/- प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में पात्रता हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में निर्देशार्थ प्रस्तुत।  
(पृष्ठ क्र. 42 से 46 तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
20. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

  
कुलसचिव

पृ. क्रमांक: 5955/अका./का.प./2015  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक : 12/10/2015

1. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
2. कार्यपरिषद के समस्त सदस्यों को।
3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)  
२२



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



क्रमांक: 4489 / अका. / का.प. / 2015

रायपुर, दिनांक : 18/08/2015

विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की चौदहवीं\* बैठक शुक्रवार, दिनांक 14.08.2015 को अपराह्न 3.00 बजे कुलपति कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. एम. डब्ल्यू. वाय. खान	-	सदस्य
3. डॉ. भगवंत सिंह	-	सदस्य
4. डॉ. (श्रीमती) रमा पाण्डेय	-	सदस्य
5. डॉ. के.एन. बापट	-	सदस्य
6. श्री एस.के. चक्रवर्ती	-	सदस्य
7. प्रोफे. (डॉ.) दिनेश मारोटिया	-	सदस्य
8. श्री ललित सुरजन	-	सदस्य
9. श्री शिवरतन शर्मा	-	सदस्य
10. श्री नवीन मार्कण्डेय	-	सदस्य
11. श्री सत्यनारायण शर्मा	-	सदस्य
12. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

## कार्यवृत्त :

01. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 30.07.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि निम्नलिखित संशोधन के साथ की गई :

विषय क्रमांक 3 निर्णय के अंतिम पैरा में निम्नलिखित बिंदु जोड़ा जाय - "संविदा नियुक्ति नहीं की जावे। नियुक्ति की कार्यवाही यू.जी.सी. एवं विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार की जाय।"

विषय क्रमांक 19 के निर्णय में समिति में श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य, कार्यपरिषद् का नाम भी शामिल किया जाय।

02. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक, दिनांक 30.07.2015 बैठक के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण करना।

निर्णय : विश्वविद्यालय कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 30.07.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।

दिनांक 30.07.2015 की बैठक के विषय क्रमांक 16 में निम्नलिखित निर्णय लिया गया :

" नैक (NAAC) के संभावित दिसंबर-जनवरी 2016 के दौरा को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने हेतु सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि वैकल्पिक व्यवस्था के तहत शासन द्वारा स्वीकृति की प्रत्याशा में निम्नलिखित

अधिकारियों की सेवाएं अधिकतम छः माह के लिए अथवा शासन द्वारा नियमित/प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति करने तक (जो भी पहले हो) की जाए।

1. डॉ. जे.एल. गंगवानी, उपकुलसचिव— दिनांक 17.08.2015 से
2. डॉ. आर.के. अग्रवाल, उपकुलसचिव— दिनांक 17.08.2015 से
3. श्री बी.सी. विश्वास, वित्त नियंत्रक — दिनांक 17.08.2015 से
4. श्री के.पी. तिवारी, विश्वविद्यालय यंत्री— दिनांक 19.08.2015 से

श्री के.पी. यादव, लेखा अधिकारी की सेवाएं दिनांक 16.08.2015 से छः माह के लिए अथवा नियमित नियुक्ति होने तक (जो भी पहले हो) किए जाने का निर्णय लिया गया।

03. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.06.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
04. विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय विद्या संबंधी योजना एवं मूल्यांकन बोर्ड की बैठक दिनांक 17.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सत्र 2015-16 से बी.वोक. पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के साथ रुपए 97,00,000/- (रुपए सन्तानवे लाख मात्र) अनुदान के रूप में स्वीकृति के संबंध में सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
05. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी सेटअप अनुसार विश्वविद्यालय हेतु स्वीकृत पद— कक्ष—अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक, कनिष्ठ अधीक्षक, उच्च वर्ग लिपिक—I, II एवं निम्न वर्ग लिपिक की भूमिका, अपेक्षित योग्यता एवं कर्तव्य के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : मध्यप्रदेश जिला कार्यालय कार्यवाही निर्देशिका के आधार पर विश्वविद्यालय के कक्ष—अधिकारी, वरिष्ठ अधीक्षक, कनिष्ठ अधीक्षक, उच्च वर्ग लिपिक—I, II एवं निम्न वर्ग लिपिक की भूमिका, अपेक्षित योग्यता एवं कर्तव्य के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।
06. शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रु. 500/- प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में पात्रता हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रु. 500/- प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में उच्च शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के माध्यम से वित्त विभाग से स्पष्ट निर्देश प्राप्त किया जावे।
07. विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन, विज्ञान भवन एवं कला भवन में सौर ऊर्जा पावर प्लांट लगाये जाने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : प्राथमिकता के आधार पर छात्रावास एवं गेस्ट हाऊस का प्रस्ताव बनाकर प्रस्तुत किया जाय।



08. भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।  
निर्णय : भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 29.07.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
09. वार्षिक परीक्षा 2015 नोडल केन्द्रों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं के कराये गए मूल्यांकन के पारिश्रमिक रु. 40 लाख (चालीस लाख रुपये) की गई भुगतान हेतु स्वीकृत अग्रिम राशि के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।  
निर्णय : वार्षिक परीक्षा 2015 नोडल केन्द्रों द्वारा उत्तरपुस्तिकाओं के कराये गए मूल्यांकन के पारिश्रमिक रूपए 40.00 लाख (रुपए चालीस लाख) के भुगतान हेतु स्वीकृत अग्रिम राशि की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
10. विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् बैठक दिनांक 10.06.2015 के पूरक विषय सूची क्रमांक 05 में शामिल स्टेनोग्राफर को पदोन्नति प्रदान किये जाने के संबंध में लिये गये निर्णय के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए पदोन्नति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया। आवश्यकतानुसार विनियम क्रमांक 91 में संशोधन कर ली जाय।
11. कर्मचारी संघ के आह्वान में दिनांक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक हुए हड़ताल अवधि के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : कर्मचारी संघ के आह्वान पर दिनांक 04.06.2015 से 12.06.2015 तक हुए हड़ताल अवधि को अर्जित अवकाश में समायोजित किया जावे।
12. विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण किए गए जमीन के बीच में स्थित निजी भूमि को आपसी सहमति से क्रय करने के संबंध में समिति के प्रतिवेदन पर विचार करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय द्वारा अधिग्रहण किए गए जमीन के बीच में स्थित निजी भूमि को आपसी सहमति से क्रय करने के संबंध में समिति की अनुशंसा का अनुमोदन करते हुए इस पर वास्तविक क्रय राशि रूपए 64,76,740.00 (रुपए चौसठ लाख छिहत्तर हजार सात सौ चालीस मात्र) का अनुमोदन किया गया।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण


01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.08.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना।  
निर्णय : विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 13.08.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।




02. नवीन जैवप्रौद्योगिकी भवन में ट्रांसफार्मर लगाने के लिये छ.ग.म.वि.वि. कंपनी मर्यादित, डी. डी. नगर जोन रायपुर, को किये गये भुगतान की सूचना ग्रहण करना।  
निर्णय : नवीन जैवप्रौद्योगिकी भवन में ट्रांसफार्मर लगाने के संबंध में छ.ग.म.वि.वि. कंपनी मर्यादित, डी.डी.नगर जोन, रायपुर को किए गए भुगतान की राशि रुपए 7,60,449.00 (रुपए सात लाख साठ हजार चार सौ उन्चास मात्र) की सूचना ग्रहण करते हुए अनुमोदन किया गया।
03. श्री राम कालेज, सारागांव, जिला-रायपुर में प्राचार्य के पद के लिये चयन समिति की अनुशंसा, बंद लिफाफा के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : श्री राम कालेज, सारागांव, जिला-रायपुर में प्राचार्य के पद के लिए चयन समिति के द्वारा अनुशंसित नाम डॉ. कायम जेहरा का अनुमोदन किया गया।
04. सेंटर फॉर बेसिक साइंस में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रु. 5000/- प्रतिछात्र प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान किए जाने के संबंध में विचार करना।  
निर्णय : सेंटर फॉर बेसिक साइंस प्रारंभ करने के पूर्व प्रस्ताव में उल्लेख किया गया था कि इसमें प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रु. 5000/- प्रति छात्र प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान किया जाना है। अतः प्रस्ताव के अनुसार सेंटर फॉर बेसिक साइंस में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को प्रतिमाह रु. 5000/- छात्रवृत्ति प्रदान किया जावे।

पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के पूर्व कार्यपरिषद् सदस्य एवं शहर के प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉ. शंकर दुबे का दिनांक 13.08.2015 को निधन हो जाने के फलस्वरूप कार्यपरिषद् सदस्यों ने दो मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष

  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक: 4496 अका./का.प./2015  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक 18/8/2015

1. माननीय कुलाधिपति महोदय के प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़, राजभवन, रायपुर।
  2. कार्यपरिषद् के समस्त सदस्यों को।
  3. जनसम्पर्क अधिकारी/अधिष्ठाता, छात्र कल्याण,
  4. वित्त नियंत्रक/प्रभारी अंकेक्षण,
  5. समस्त प्रभारी अधिकारी
  6. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,
- पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)



5

## पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक: 5920/अका./वि.परि./2015

रायपुर, दिनांक : 7/10/2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 23.09.2015 को अपराह्न 3:00 बजे डॉ.सी.व्ही. रमन हॉल, विज्ञान भवन में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यगण उपस्थित हुए :

1. प्रोफे. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	—	अध्यक्ष
2. डॉ. स्वर्णलता सराफ	—	सदस्य
3. डॉ. भगवंत सिंह	—	सदस्य
4. डॉ. सी.डी. अगासे	—	सदस्य
5. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	—	सदस्य
6. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	—	सदस्य
7. डॉ. अब्दुल अलीम खान	—	सदस्य
8. डॉ. अमरकांत पाण्डेय	—	सदस्य
9. डॉ. आर.पी. दास	—	सदस्य
10. डॉ. ज्योति पाण्डेय	—	सदस्य
11. डॉ. जया तिवारी	—	सदस्य
12. डॉ. शैल शर्मा	—	सदस्य
13. डॉ. रामकिशोर मिश्र	—	सदस्य
14. डॉ. माया वर्मा	—	सदस्य
15. डॉ. स्वप्निल कर्महे	—	सदस्य
16. डॉ. प्रमोद कुमार शर्मा	—	सदस्य
17. डॉ. अंजना ठाकुर	—	सदस्य
18. डॉ. आर.के. ब्रम्हे	—	सदस्य
19. डॉ. प्रियम्बदा श्रीवास्तव	—	सदस्य
20. डॉ. दिनेशनंदिनी परिहार	—	सदस्य
21. डॉ. आभा आर. पाल	—	सदस्य
22. डॉ. सरला शर्मा	—	सदस्य
23. डॉ. आर. एन. बघेल	—	सदस्य
24. डॉ. के.के. घोष	—	सदस्य
25. डॉ. प्रभा रोहतगी	—	सदस्य
26. डॉ. कविता ठाकुर	—	सदस्य
27. डॉ. एस.के. पाण्डेय	—	सदस्य
28. डॉ. एच.के. पाठक	—	सदस्य
29. डॉ. संजय कुमार	—	सदस्य
30. डॉ. रेखा पिपलगांवकर	—	सदस्य
31. डॉ. माया शेडपुरे	—	सदस्य
32. डॉ. ए.के. गुप्ता	—	सदस्य
33. डॉ. अरुण कुमार	—	सदस्य
34. डॉ. एस.के. जाधव	—	सदस्य
35. डॉ. ज्योति रवि तिवारी	—	सदस्य
36. डॉ. बी.के. शर्मा	—	सदस्य
37. डॉ. मिताश्री मित्रा	—	सदस्य
38. डॉ. व्यास दुबे	—	सदस्य
39. डॉ. सी.एल. पटेल	—	सदस्य
40. डॉ. निनाद बोधनकर	—	सदस्य
41. डॉ. रक्षा सिंह	—	सदस्य



42. डॉ. ममता शर्मा	—	सदस्य
43. डॉ. आर.एन. सिंह	—	सदस्य
44. डॉ. राजीव तिवारी	—	सदस्य
45. डॉ. अशोक प्रधान	—	सदस्य
46. डॉ. प्रिया राव	—	सदस्य
47. डॉ. अनुभा झा	—	सदस्य
48. श्री के.के. चन्द्राकर, कुलसचिव	—	सदस्य

#### कार्यवृत्त :

1. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 04.03.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।  
निर्णय: विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 04.03.2015 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।
2. विद्यापरिषद् की बैठक, दिनांक 04.03.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा।  
निर्णय: विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 04.03.2015 के कार्यवाही विवरण का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई।
3. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 16.04.2015, 08.05.2015, 28.05.2015, 09.06.2015, 27.06.2015, 28.07.2015 एवं 13.08.2015 के कार्यवृत्त को अनुमोदन प्रदान करना।  
निर्णय: विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 16.04.2015, 08.05.2015, 28.05.2015, 09.06.2015, 27.06.2015, 28.07.2015 एवं 13.08.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
4. क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधानशाला में संचालित एम.ए. पाठ्यक्रम के शीर्षक 'रुरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट (Rural Planning and Development) में संशोधन के संबंध में विचार करना।  
निर्णय: क्षेत्रीय अध्ययनशाला एवं अनुसंधानशाला में संचालित एम.ए. पाठ्यक्रम के शीर्षक 'रुरल प्लानिंग एंड डेवलपमेंट (Rural Planning and Development) में संशोधन करते हुए एम.ए. रुरल डेवलपमेंट (Rural Development) करने की अनुशंसा की गई।  
Rural Development (ग्रामीण विकास) में एम.ए. उत्तीर्ण छात्रों को क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधानशाला में शोध (पी-एच.डी.) करने की सुविधा प्रदान करने हेतु सहमति प्रदान की गई। चूंकि Rural Development (ग्रामीण विकास) अंतरविषयक विषय (Interdisciplinary Subject) है। इसलिए इसके छात्र अर्थशास्त्र, भूगोल, मानवविज्ञान एवं समाजशास्त्र विषय में भी आवेदन दे सकते हैं, उपरोक्त विषय में प्रस्तुत शोध-प्रारूप क्षेत्रीय विकास से संबंधित होना अनिवार्य है।



5. विश्वविद्यालय के सेमेस्टर परीक्षा प्रणाली में छात्रों को उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति उपलब्ध कराने पर विचार करना।

निर्णय: विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर प्रणाली से आयोजित परीक्षाओं एवं स्नातक पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर प्रणाली से आयोजित परीक्षाओं में छात्र-छात्राओं से निर्धारित शुल्क लेकर लिखित उत्तरपुस्तिका की सत्यापित छायाप्रति प्रदान करने एवं लिखित उत्तरपुस्तिका की छायाप्रति प्राप्त करने के पश्चात् मूल्यांकन से असंतुष्ट होने की स्थिति में निर्धारित शुल्क के आधार पर पुनः मूल्यांकन एवं पुनर्गणना किए जाने संबंधी प्रस्ताव की अनुशंसा की गई। तदनुसार अध्यादेश में आवश्यक संशोधन करने संबंधी प्रस्ताव कार्यपरिषद् एवं तत्पश्चात् समन्वय समिति को प्रेषित किया जावे।

6. छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49(2)(2) के तहत विश्वविद्यालय की विभिन्न अध्ययनशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति तथा CAS के लिये गठित की जाने वाली चयन समिति में कुलपति द्वारा नाम निर्देशित संबंधित विषय के 3 विशेषज्ञ हेतु, विद्यापरिषद् द्वारा नामों के पैनल तैयार करना।


निर्णय: सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 49(2)(2) के तहत विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में अध्यापकों की नियुक्ति तथा CAS ( Carrier Advancement Scheme) के तहत प्रमोशन के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति में विद्यापरिषद् की ओर से पैनल ( कम से कम 10 विशेषज्ञों के नाम) बनाकर प्रस्तुत करने हेतु संबंधित संकाय के संकायाध्यक्षों को अधिकृत किया जावे। संकायाध्यक्ष एक सप्ताह के अंदर विषय विशेषज्ञ की विस्तृत जानकारी के साथ पैनल कुलपतिजी को प्रस्तुत करेंगे।


अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण :

1. विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की बैठक दिनांक 18.09.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
2. SAP, FIST-DST एवं CPE से अनुदान प्राप्त विभागों को अकादमिक एवं परीक्षा के लिए स्वायत्ता प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को सिद्धांततः स्वीकार किया गया एवं निर्णय लिया गया कि इस हेतु रेगुलेशन बना ली जाय।
3. Exam Reform के अंतर्गत गठित समिति द्वारा प्रश्न पत्र पैटर्न के लिए की गई अनुशंसा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के सेमेस्टर प्रणाली से आयोजित परीक्षाओं में लागू करने की स्वीकृति दी गई।

4. सत्र 2016-17 से विश्वविद्यालय से सम्बद्ध महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालय शिक्षण विभागों में संचालित स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश करने की सिद्धांततः सहमति दी गई।

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के बाद बैठक संपन्न हुई।

  
कुलपति  
अध्यक्ष


  
कुलसचिव  
सचिव

पृ. क्रमांक: 5921 / अका. / वि. परि. / 2015

रायपुर, दिनांक : 7 / 10 / 2015

प्रतिलिपि :

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा, ब्लॉक-सी-30, द्वितीय एवं तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर।
2. अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, रायपुर
3. विद्यापरिषद के समस्त सम्माननीय सदस्यों को।
4. अध्यक्ष, रसायन अध्ययन शाला, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर।
5. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण विभाग,
6. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)



पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)  
E-mail : library\_prsu@rediffmail.com, Phone No. 0771 - 2262686

ग्रंथा.पत्र क्र. 781/ग्रंथा.समिति/2015

रायपुर, दिनांक 30.07.2015

पं. सुन्दरलाल शर्मा ग्रंथागार के ग्रंथालय समिति की द्वितीय\* बैठक दिनांक 28.07.2015, दिन मंगलवार को अपराह्न 03:00 बजे ग्रंथागार में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए।

1. डॉ. एस.के.पाण्डेय, कुलपति	अध्यक्ष
2. श्री के.के.चन्द्राकर, कुलसचिव	सदस्य
3. डॉ.(श्रीमति)स्वर्णलता सराफ	सदस्य
4. डॉ. सी.डी. अगासे	सदस्य
5. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर	सदस्य
6. डॉ.ए.के श्रीवास्तव	सदस्य
7. डॉ. एस. के. जाधव	सदस्य
8. डॉ.(श्रीमति)प्रभा रोहतगी	सदस्य
9. डॉ. संजय तिवारी	सदस्य
10. डॉ. अशोक प्रधान	सदस्य
11. श्री के पी. यादव, प्र. वित्त नियंत्रक	वि.आ.सदस्य
12. डॉ.सुपर्ण सेन गुप्ता, वि.वि.ग्रंथपाल	सचिव

समिति द्वारा सर्वप्रथम भारत के पूर्व राष्ट्रपति एवं भारत रत्न डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम के निधन पर गहन शोक व्यक्त करते हुए भाव भीनी श्रद्धांजली अर्पित की गई।

कार्यवृत्त:-

विषय क.1. ग्रंथालय समिति की बैठक दिनांक 22.12 .2014 के कार्यवृत्त की पुष्टि।

निर्णय:- समिति ने सर्व सम्मति से कार्यवृत्त की पुष्टि की।

विषय क.2. ग्रंथालय बजट-प्रस्तावित कार्य सूचना।

A पुस्तक क्रय।

B. शोध पत्रिका क्रय।

C. उपकरण क्रय।

D. E- Reading सुविधा।

निर्णय:- समिति ने सूचना ग्रहण की।

विषय क.3. ग्रंथालय कम्प्यूटर, सर्वर एवं ग्रंथालय इण्टरनेटवर्क के वार्षिक संधारण पर विचार करना।

निर्णय:- Expression of Interest प्राप्त कर इच्छुक फर्मों से संधारण का कार्य कराया जावे।

विषय क.4. Digital India Initiative के अन्तर्गत एक एम. सी. ए. उपाधि धारक कर्मचारी प्रदाय किये जाने पर विचार करना।

निर्णय:- एम. सी. ए. उपाधि धारक को Technical Skilled Person हेतु कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर पर 11 माह के अनुबंध के आधार पर रखकर कार्य कराया जावे।

कमरा: 02

\*=स्वर्ण जयंती वर्ष पश्चात्।

विषय क. 5. Photo Copy & Coffee Bar सुविधा Out Source से उपलब्ध कराये जाने पर विचार करना।

निर्णय:- Photo Copy & Coffee Bar सुविधा नियमानुसार Out Source से छात्र हित और साफ सफाई को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध कराया जावे।


विषय क. 6. प्राविण्य उत्तर पुस्तिकाओं के स्थान पर सभी कक्षाओं के सभी विषयों की सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को अध्ययनार्थ उपलब्ध कराये जाने पर विचार करना।


निर्णय:- सभी कक्षाओं के सभी विषयों की सर्वोच्च अंक प्राप्त विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को अध्ययनार्थ ग्रंथालय में उपलब्ध कराया जावे।

विषय क. 7. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण।

निर्णय:- अध्यक्ष की अनुमति से ग्रंथालय समिति द्वारा निम्नलिखित निर्णय लिया गया।

1. अध्यक्ष समस्त अध्ययन शालाओं की बैठक बुलाकर विभागीय ग्रंथालय की संभावना पर विचार किया जावे।
2. ग्रंथालय के आउटर हॉल के सौदर्यीकरण हेतु यथा संभव प्रयास किया जावे।
3. इश्यू काउण्टर को आधुनिक तकनीक के अनुरूप बनाया जावे।
4. सभी अध्ययन कक्षाओं में नये पर्दे लगाये जायें।
5. 20 टर्मिनल युक्त ई रीडिंग रूम बनाया जावे।

  
(डॉ. एस. के. पाण्डेय)  
अध्यक्ष  
ग्रंथालय समिति

  
(डॉ. सुपर्ण सेनगुप्ता)  
सचिव  
ग्रंथालय समिति

पृष्ठांकन दृपत्र क्र. 782/ग्रंथा.समिति/2015

रायपुर, दिनांक 30.07.2015

प्रतिलिपि-

1. माननीय कुलपति जी, अध्यक्ष ग्रंथालय समिति।
2. माननीय कुलसचिव जी,
3. माननीय समस्त सदस्य ग्रंथालय समिति।

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि., रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
सचिव  
ग्रंथालय समिति

12

पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर  
संचालक, शारीरिक शिक्षा विभाग

41

पं रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय रायपुर की क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 08.09.2015 को अपरान्ह 3.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुये -

1	प्रो० एस. के. पाण्डेय	कुलपति एवं अध्यक्ष, क्रीडा समिति
2	श्री के. के. चन्द्राकर	कुलसचिव
3	प्रो० रीता वेणुगोपाल	सदस्य
4	डॉ० देवाशीष मुखर्जी	सदस्य
5	डॉ० आर. एन. सिंह	सदस्य
6	डॉ० आर. के. देवांगन	सदस्य
7	श्री राजेश दवे	सदस्य
8	श्री संजय शर्मा	सदस्य
9	श्री प्रमोद मेने	सदस्य
10	डॉ० सुमीत तिवारी	सदस्य
11	श्री बी. सी. बिस्वास	वित्त नियंत्रक
12	डॉ० विपिनचंद्र शर्मा	संचालक एवं सचिव, क्रीडा समिति

समिति के सभी सदस्यो ने आम राय से निम्नलिखित निर्णय लिये :-

विषय क्र. 1- विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 12.03.2015 की कार्यवृत्त की संपुष्टि प्रदान करना ।

निर्णय - विश्वविद्यालय क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 12.03.2015 की कार्यवृत्त की संपुष्टि की गई ।

विषय क्र. 2- क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 12.03.2015 के कार्यवृत्त पर पालन प्रतिवेदन सूचनार्थ प्रस्तुत ।

निर्णय - क्रीडा समिति की बैठक दिनांक 12.03.2015 के कार्यवृत्त का पालन प्रतिवेदन की सूचना ग्रहण की गई ।

3 शारीरिक शिक्षा विभाग, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के तत्वाधान मे आयोजित की जाने वाली अंतर महाविद्यालयीन खेल कैलेण्डर 2015-16 का अनुमोदन प्रदान करना ।

निर्णय - शारीरिक शिक्षा विभाग, पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर के तत्वाधान मे आयोजित की जाने वाली अंतर महाविद्यालयीन खेल कैलेण्डर 2015-16 का अनुमोदन किया गया ।

4 . पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में सत्र 2015-16 में आयोजित होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल ( महिला ) प्रतियोगिता हेतु कुल अनुमानित व्यय Rs. 7,65,000/- ( Seven Lakh Sixty Five Thousand ) की स्वीकृति प्रदान करना । ( बजट संलग्न )

निर्णय – पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में सत्र 2015-16 में आयोजित होने वाली पूर्वी क्षेत्रीय अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल ( महिला ) प्रतियोगिता हेतु कुल अनुमानित व्यय Rs. 7,65,000/- ( Seven Lakh Sixty Five Thousand ) की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

5 . जिमनेजियम से संबंधित खेल समाग्री क्रय हेतु Rs. 5.00 Lacs ( Five Lacs ) की स्वीकृति प्रदान करना ।

निर्णय – जिमनेजियम से संबंधित खेल समाग्री क्रय हेतु Rs. 5.00 Lacs ( Five Lacs ) की स्वीकृति प्रदान की गयी ।

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

1 कोटा स्टेडियम मैदान का समतलीयकरण कर खेलने योग्य किया जाय संबंधी निर्णय लिया गया ।

2 विश्वविद्यालय परिसर में स्थित कुलसचिव आवास, टीचर्स हास्टल, गेस्ट हाउस व सामुदायिक भवन में खिलाड़ियों को ठहराये जाने की व्यवस्था की जाय संबंधी निर्णय लिया गया ।

3 अंतर विश्वविद्यालय टीम के मैनेजर/कोच एवं खिलाड़ियों के ग्रुप इंश्योरेंस की व्यवस्था की जाय । यह आवश्यक कार्यवाही पश्चात् लागू किया जाय ।

4 कोटा स्टेडियम खेल मैदान को क्रिकेट मैदान के रूप में विकसित करने की बात श्री राजेश दवे ने की तथा क्रिकेट संघ द्वारा आवश्यक खर्च किये जाने की बात कही गयी तथा एक माह के अंदर त्वरित कार्यवाही करने संबंधी जानकारी दी ।

5 जिमनेजियम संबंधी खेल उपकरण को क्रय किये जाने संबंधी बात श्री संजय शर्मा से सलाह मशविराहा कर क्रय किये जाने की बात की गयी जो विभिन्न खेल के खिलाड़ियों को सुविधा दी जा सके। इस संबंध में निर्णय लिया गया ।



प्रो. एस्. के. पाण्डेय

कुलपति एवं अध्यक्ष क्रीडा समिति  
पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर



डॉ. विपिनचंद्र शर्मा

संचालक एवं सचिव क्रीडा समिति  
पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर


विषय:- वि.वि. अनुदान आयोग से पुस्तकों एवं शोध पत्रिकाओं के क्रय हेतु प्राप्त राशि रु. 10.00 लाख के उपयोगार्थ प्रशासनिक स्वीकृति पर विचार करना।

वि.वि. के अनुदान प्रकोष्ठ के संलग्न पत्र क्र. 2027/अनु. प्रको./ आदेश/ 2015 रायपुर, दिनांक 06/08/2015 द्वारा वि.वि. अनुदान आयोग से प्राप्त राशि रु. 3,90,05,000/- में से चतुर्थ किश्त में पुस्तकों एवं शोध पत्रिकाओं के क्रय हेतु राशि रु. 10.00 लाख का आबंटन प्राप्त प्रदान किया गया है।

प्राप्त आबंटन राशि रु.10.00 के उपयोगार्थ प्रस्तावित है कि-

1. प्राप्त आबंटन राशि रु.10.00 लाख में से  
अ. राशि रु. 5.00 लाख की पुस्तकें ( प्रिन्ट एवं ई बुक्स ) का क्रय किया जाना,  
ब. राशि रु.5.00 लाख की शोधपत्रिकाएँ (प्रिन्ट एवं आन लाईन)का क्रय किया जाना,
2. पुस्तकों एवं शोधपत्रिकाओं का क्रय वि.वि. द्वारा अनुमोदित दर (छूट) एवं फर्म से किया जाना।

अतएव माननीय कार्य परिषद के समक्ष प्राप्त आबंटन राशि रु. 10.00 लाख के उपयोगार्थ उपरोक्तानुसार प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने पर विचार किये जाने हेतु प्रस्तुत।

  
वि.वि. ग्रंथपाल




विषय :- विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रय के लिए आमंत्रित निविदाओं के अनुशंसित दरों पर विचार करना।

—00—

1. विदेशी शोध पत्रिकाओं के क्रयार्थ नियमानुसार निविदायें राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के दो-दो दैनिक समाचार पत्रों तथा विश्वविद्यालय के वेबसाईट के माध्यम से सील बंद लिफाफे में रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट/कोरियर से आमंत्रित की गई।
2. विदेशी शोध पत्रिकाओं के लिए तीन फर्मों ने निविदा प्रस्तुत किया। तीनों फर्म अर्ह पाये गये। अर्ह पाये गये तीनों फर्मों की कामर्सियल बिड की संलग्न तुलनात्मक तालिका के कालम 6 में अधिकतम छूट दरे एवं प्रदाता फर्म का उल्लेख किया गया।
3. विदेशी शोध पत्रिकाओं पर विभागीय क्रय समिति/केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुशंसित छूट की दर एवं फर्म—
  - अ. प्रिन्ट : अधिकतम छूट दर 3.55 प्रतिशत वर्धमान, लाईब्रेरी सर्विस, ऋषिकेश द्वारा प्रदान किया गया है। अतः वर्धमान, लाईब्रेरी सर्विस, ऋषिकेश से क्रय की अनुशंसा की है।
  - ब. ऑनलाईन : तीनों फर्म द्वारा समान छूट दर 3 प्रतिशत प्रदान किया गया है। अतः एक ही फर्म से क्रय करने हेतु वर्धमान, लाईब्रेरी सर्विस, ऋषिकेश की अनुशंसा की है।
  - स. प्रिन्ट एवं ऑनलाईन पर तीनों फर्मों द्वारा समान छूट दर 3 प्रतिशत प्रदान किया गया है। अतः एक ही फर्म से क्रय करने हेतु वर्धमान, लाईब्रेरी सर्विस, ऋषिकेश की अनुशंसा की है।
4. गत वर्ष विदेशी शोध पत्रिकाओं के लिए प्राप्त अधिकतम छूट दर प्रिन्ट पर 7.13 प्रतिशत, ऑनलाईन पर 3 प्रतिशत तथा प्रिन्ट एवं ऑनलाईन पर 2.13 प्रतिशत था।

अतः वर्धमान, लाईब्रेरी सर्विस, ऋषिकेश से विदेशी शोध पत्रिकाओं की प्रिन्ट 3.55 प्रतिशत, ऑनलाईन 3 प्रतिशत, प्रिन्ट एवं ऑनलाईन 3 प्रतिशत छूट पर क्रय हेतु माननीय कार्यपरिषद् के अनुमोदन हेतु विचारार्थ प्रस्तुत।

  
वि.वि. ग्रथपाल

कार्यालयीन- टीप

**विषय :-** विभागीय एवं केन्द्रीय कय समिति द्वारा अनुशंसित दर पर संचालक शारीरिक शिक्षा के लिये ट्रेकसूट, ब्लेजर कय करने की अनुशंसा कर अनुमोदन करना ।

भावपत्र के अनुसार तुलनात्मक सूची तैयार की गयी । तुलनात्मक सूची अनुसार विभागीय एवं केन्द्रीय कय समिति द्वारा Rates are recommended on the quality basis पर निम्नलिखित फर्मो से ब्लेजर एवं ट्रेकसूट कय किये जाने हेतु संस्तुति की गई है, जो निम्नांकित है :

S,N,	Name of Firm	Rate Per nos	Qty	Amount
1	M/s Shams Soprts Blazar (Siyaram)	1675/-	200 Nos	3,35,000/-
2	M/s Vijay Consers Tracksuit (Jagros)	816/-	800 Nos	6,52,800/-
Total --				Rs. 9,87,800/-

Rs. 9,87,800/- ( Nine Lacs Eighty Seven Thousand Eight Hundred ) से ब्लेजर एवं ट्रेकसूट कय किये जाने की अनुशंसा माननीय कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।



sir jagadish chandra bose

16

Sign in

Web Images News Videos Maps More Search tools

About 68,600 results (0.56 seconds)

Jagadish Chandra Bose - Wikipedia, the free encyclopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Jagadish\_Chandra\_Bose
Sir Jagadish Chandra Bose was born in Mymensingh, Bengal Presidency, (present day Bangladesh) on 30 November 1858. His father, Bhagawan Chandra ...
Early life and education - Joining Presidency College - Radio research

Jagadish Chandra Bose - Biography, Facts and Pictures

www.famousscientists.org/jagadish-chandra-bose/
Sir Jagadish Chandra Bose is one of the most prominent first Indian scientists who proved by experimentation that both animals and plants share much in ...

SIR JAGADISH CHANDRA BOSE: the unsung Hero of ... - MIT

web.mit.edu/varun\_ag/www/bose.html
by V Aggarwal - 2006 - Related articles
Achievements of Sir J. C. Bose in the field of communication (In a Nutshell). Sir J. C. Bose invented the Mercury Coherer (together with the telephone receiver) ...

Famous Scientists - Jagdish Chandra Bose

humantouchofchemistry.com/jagdish-chandra-bose.htm
... fishermen? He'll hear tales of birds and animals that make him curious about Nature. And that makes him one of India's first scientists - Jagdish Chandra Bose.

Science And History: Sir Jagadish Chandra Bose

science-history.blogspot.com/p/sir-jagadish-chandra-bose.html
Sir Jagdish Chandra Bose was born in Bikrampur, Bengal, now Munshiganj District of Bangladesh) on November 30, 1870. His father, Bhagawan Chandra Bose ...

Jagdish Chandra Bose Biography - iloveIndia.com

www.iloveindia.com > Famous Indians > Scientists
Here is a brief biography and history of Jagdish Chandra Bose. Read information on life of Indian scientist Jagadish Chandra Bose.

Sir Dr. Jagadish Chandra Bose - From the Secret Life of ...

www.ebdir.net/enlighten/bose\_yogananda.html
Indian Scientist Sir Dr. Jagadish Chandra Bose invented the Crescograph an electrical instrument that could measure the growth of a plant. A Modern Electronic ...

Introduction - Dr.J.C.Bose

www.freeindia.org/biographies/greatscientists/jcbose/index.htm
Dr. J.C. BOSE. Suppose there is a lush green plant and its leaves are a sparkling green in the shining sunlight. We feel like pulling out a leaf to feel it. But we do ...

Jagdish Chandra Bose - Indian Science Information

www.indianscience.in/info/index.php/Jagdish\_Chandra\_Bose
Apr 7, 2008 - Jagdish Chandra Bose was born in India in 1858. ... in November 1894, in the presence of Sir William Mackenzie, the Lieutenant Governor.

Acharya J. C. Bose - Bose Institute

www.boseinst.ernet.in/founder.html
Bose Institute was founded by Acharya Jagadish Chandra Bose, F.R.S., in 1917. The institute was one of the earliest, perhaps the first modern research institute ...

Searches related to sir jagadish chandra bose

- sir jagadish chandra bose inventions prafulla chandra ray
sir jagadish chandra bose nobel prize sir jagadish chandra bose photos
sir jagadish chandra bose in hindi sir isaac newton
sir jagadish chandra bose quotes satyendra nath bose

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next



Jagadish Chandra Bose

Physicist

Sir Jagadish Chandra Bose, CSI, CIE, FRS was a Bengali polymath physicist, biologist, biophysicist, botanist, archaeologist, as well as early writer of science fiction. Wikipedia

Born: November 30, 1858, Mymensingh, Bangladesh

Died: November 23, 1937, Giridih

Spouse: Abala Bose (m. 1887)


Education: Hare School, St. Xavier's College, Kolkata, more

Notable students: Satyendra Nath Bose, Meghnad Saha

Parents: Bhagawan Chandra Bose, Bama Sundari Bose

People also search for

View 15+



Satyendra Nath Bose

Homi J. Bhabha

C. V. Raman

Prafulla Chandra Ray

Meghnad Saha

Fe

संक्षेपिका

17

विषय :- नये सेमीनार हॉल के नामकरण बाबत।

फार्मसी संस्थान में निर्मित सेमीनार हॉल का नामकरण किया जाना है। फार्मसी संस्थान की स्टाफ कौंसिल से सेमीनार हॉल का नामकरण Prof. Mahadeva Lal Schroff जो कि भारतीय भैषजिक (Pharmacy) विज्ञान के पितामह (Father of Pharmacy) के नाम से प्रख्यात हैं, के नाम से प्रस्तावित किया है। अतः उपरोक्त हॉल का नाम Prof. Mahadeva Lal Schroff के नाम से रखने हेतु प्रकरण कार्य परिषद की स्वीकृति हेतु अग्रेषित।

*S. S. Singh*  
24/12/2015

Director

University Institute of Pharmacy  
Pt. Ravishankar Shukla University  
RAIPUR (C.G.)

## Mahadeva Lal Schroff (1902-1971)



Mahadeva Lal Schroff (1902-1971)

Mahadeva Lal Schroff played a great role in building the pharmacy education in India and also contributed greatly to the developments of other aspects of pharmacy profession in the country during the years 1930-1970. He is rightly called as Father of Pharmacy Education in India.

Prof. Schroff, who was not trained as a pharmacist, gave the right direction not only to pharmaceutical education but also to the industry as well in India with his inclination, understanding, capacity and broad vision.

Born on March 6, 1902 at Darbhanga in Bihar, Schroff had his schooling from Bhagalpur and passed the Intermediate Examination in 1920. He joined Engineering College Banaras Hindu University for his studies and was inspired by the talk delivered by Swamy Satya Deo at BHU in 1921. He studied at Cornell University and qualified in Bachelor of Arts with honours in chemistry and microbiology from Massachusetts Institute of Technology (MIT) in 1927. He worked for sometime in USA and returned to India in 1929.

In 1929, He met with Jamnalal Bajaj and involved himself in the movement for freedom. Prof. Schroff raised a voice against the principal Charles A King & then encouraged by the call given by the Mahatma Gandhi, after a brief period of freedom struggle in which he underwent imprisonment for six months in Hazaribagh jail (Bihar),

The Vice Chancellor of Banaras Hindu University. Pt. Madan Mohan Malviyaji who spotted the spirit of education in his eyes and he was

invited to join BHU as a staff. He joined BHU as assistant professor of industrial / organic chemistry in 1930.

The Drugs Enquiry Committee appointed by Government of India laid the foundation of drug and pharmacy statutes and the development of pharmacy profession in general. With reference to the need for training suitable pharmaceutical manpower was an utmost urgency, Pandit Madan Mohan Malaviya (1861-1946) founder and vice-chancellor of BHU realized the importance of the report of Committee and assigned the task of development of pharmaceutical education at the University to Schroff. Schroff introduced pharmaceutical chemistry as the principal subject in B.Sc. course in 1932. From 1934, an integrated 2-year B.Sc. course was introduced. A regular B.Pharm. Course made a beginning from July 1937, which was the pharmacy course for the first time in India. This was the first and the foremost creation of Schroff, which earned him the title of the pioneer and Father of Pharmacy Education in India. Schroff also played a great role in building and establishing pharmaceutical education at Birla College Pilani, University of Saugar and Jadavpur University. The vision to have a Central Institute of Pharmacy was first formulated by Schroff in many of his writings and speeches he delivered since 1954. Four decades later it got established as National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) at Mohali (Punjab), but Schroff could not live to see the realization of his project.

Schroff played a great role in professional/statutory organizations in India and his services were utilized by the Government of India in various capacities including in Drugs Technical Advisory Board (DTAB), Indian Pharmacopoeia List Committee and Health Panel of the Planning Commission etc. Schroff started United Provinces' Pharmaceutical Association in 1935 which took the shape of IPA in 1939, with branches all over the country. He founded Indian Pharmaceutical Congress Association (IPCA), which exists till date and organizes

annual conferences while professional activities are controlled by its counterpart Indian Pharmaceutical Association (IPA). He was elected the first vice-president of Pharmacy Council of India (PCI) in 1949 and later on became the first elected president in 1954. Schroff was president of Indian Hospital Pharmacists Association (IHPA) for two terms in 1966 and 1967. By 1950, he was among the towering personality in pharmacy of his time in India.

He himself edited Indian Journal of Pharmacy (IJP) founded in 1939 & started his own periodical Indian Pharmacist from 1945. Schroff was elected first president of Association of Pharmaceutical Teachers of India (APTI) in 1966 and started Indian Journal of Pharmaceutical Education (IJPE) which he edited from 1968 till his last.

Schroff remained very conscious of the need of good textbooks, which could be economical for students and provide quality contents. Schroff wrote 23 that are an all times record in pharmacy circles, of one man's scholastic capacity, perseverance and hard work.

Schroff showed a very deep sensitivity of the central role of pharmacy education and pharmacy practice in public health issues, be it in hospital or community pharmacy, quality assurances of manufacture, marketing or distribution of drugs or even drug usage-no facet of pharmacy profession escaped his attention.

Prof. Schroff earned the confidence, love and affection of the top intellectuals, scientists and industrialists, doyens of chemistry, technology, pharmacology and medical practitioners, and successfully created the awareness of this science for the development of pharmaceutical education of science and technology in India.

21

— कागज़िनी टीप —

विषय :- पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के समस्त छात्रावास, टीचर हास्टल, गेस्ट

हाउस में सौर ऊर्जा संयंत्र संस्थापन कार्य के संबंध में ।

विषयान्तर्गत उपरोक्त कार्य हेतु समस्त छात्रावास, गेस्ट हाऊस में सौर ऊर्जा संयंत्र संस्थापन कार्य की कुल विद्युत प्रभार 95.00 किलो वॉट तक सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जाना प्रस्तावित है । जिसके विरुद्ध क्रेडा द्वारा संलग्न प्राक्कलन अनुसार राशि रू० 84.90 लाख मात्र की है । जिसमें केंद्रीय एवं राज्य सरकार की सब्सिडी की दर उपलब्धता नियम लागू है ।

  
12/11/15





22

**CREDA**

CHHATTISGARH STATE RENEWABLE ENERGY DEVELOPMENT AGENCY  
(Dept. of Energy, Govt. of Chhattisgarh)

2<sup>nd</sup> Floor, CSERC Building, Shanti Nagar, RAIPUR (C.G.)  
Tel.: 0771-4019226, 4019228, Fax: 0771-4268389  
E-mail: credacg@credacg.org Website: www.credacg.org

Ref: spv/proposal/2015/ 8139  
To  
The Registrar  
Ravishankar Shukla University,  
Raipur

U F  
4-3282  
18/09

Dated 14/09/2015  
TS

Handwritten notes in Hindi: श्री 6132, 31/08/15, 18/09/15

Subject: Proposal Of Solar Power Plant prepared for Hostels and Guest House of Ravishankar Shukla University, Raipur.  
Reference: Your letter Dated 31<sup>th</sup> August 2015

Dear Sir

Our renowned and oldest university is still paying for electricity whereas it is available free of cost from SUN. To get freedom from power failure and uninterrupted power now university has decided to setup Solar Power Plants in its various Hostels and Guest Houses. It will not only reduce the electricity bills but generate green power and reduce carbon footprints. There is huge roof space available in all the proposed buildings. Even if a part of this roof space is utilized for setting up roof top solar power plants the thousands units of electricity can be generated free of cost and help protect you against future utility rate increases by getting some or all of your electricity directly from the sun, which never sends a bill.

Solar PV Plants are proposed to be installed at your campus will generate clean renewable electricity from the sun every day, saving you money and helping the environment at the same time. Solar electric systems have also been shown to significantly increase property value without increasing property taxes.

The proposed Solar systems will generate electricity without burning fuel or emitting greenhouse gases and other pollutants so it is a valuable tool for reducing your property's environmental impact. Solar PV System includes Indian made solar modules, which have been shown to produce more energy than other major brands and feature a 25 year power warranty and emphasizes Solar Inverters, which features industry-leading reliability and a 25 year warranty backed by the renowned inverter manufacturer in the world. We've attached a complete financial analysis for these systems along with some additional information about Solar PV System and components to help you in the decision making process. We are proposing different capacity systems details of which are mentioned in annexure 1. (as enclosed)

R-748  
18.9.15

Total Capacity of the systems	95 KWp
Total Cost of Systems	Rs. 1,45,70,400.
Central Subsidy available	Rs. 37,05,000
State Subsidy available	Rs. 23,75,000
Total Government Subsidy	Rs. 60,80,000
<b>Beneficiary Share</b>	<b>Rs. 84,90,400</b>

(Ravishankar Shukla University will have to deposit just Rs. 84.9 Lacs)


CREDA - Energetic agency with ever lasting energy sources



Please give me a call if you have any questions or would like to order the proposed Solar PV system and start generating your own energy.

---

Sincerely,



(Shailendra Shukla)

CEO, CREDA

15/09/15

S.No.	Building	Capacity Proposed	Cost of System Including cost of batteries
1.	Guest House	20 KWp	Rs. 30,18,800
2.	Teachers Hostel	05 KWp	Rs.7,60,000
3.	PG Girls Hostel	15 KWp	Rs. 22,31,500
4.	Girls Research Hostel	10 kWp	Rs. 16,68,550
5.	Professional Girls Hostels	10 KWp	Rs. 16,68,550
6.	Boys Research Hostel	05 KWp	Rs.7,60,000
7.	Shahid Azad Boys Hostel	15 KWp	Rs. 22,31,500
8.	Gandhi Boys Hostel	15 KWp	Rs. 22,31,500
	<b>TOTAL</b>	<b>95 KWp</b>	<b>Rs.1,45,70,400</b>

### Energy Analysis

Your historical energy usage was used to help size your solar system. Based upon the system size suggested, the expected electricity bill savings over a 25 year period are calculated. In addition, the first-year electricity bill savings you can expect is about Rs. 10.5 Lacs @ Rs. 7 per unit. From second year onward this will also be increased with increase in tariff. In 25 years of life of Solar PV System, total electricity bill savings will be of Rs. 2.85 Crore (Annual utility inflation: 6.70% assumed). Your organization can earn from the solar electricity being sold to the DISCOMs, if produced surplus than consumption. (Right now it is permissible for above 50 KW systems but likely to be revised to minimum 10 KW). Levelized Cost of Solar Energy (Net Cost / lifetime energy production) is just Rs.1.60 per unit.

### Environmental Impact Analysis

Your solar system will generate significant environmental benefits. These come primarily from avoided power plant emissions. Your solar system will reduce Green House Gas emissions by **1923 tons of CO<sub>2</sub>** (Over 25 years). To reduce this much of CO<sub>2</sub>, trees required to be planted would be around 76,950.

### Operation, Maintenance, and Inflation Rates

This estimate assumes the following system operation, maintenance and inflation rates:

System Life:	25 years
Operation & Maintenance:	0.10% of system cost per annum
PV Degradation:	1.00% per annum
Estimated Inverter Life:	25 years
O&M Inflation Rate:	1.0% per annum

विषय:— विश्वविद्यालय अध्यापक शिक्षा संस्थान में NCTE Regulation 2014 के अनुसार द्विवर्षिय पाठ्यक्रम B.Ed. एवं M.Ed.के लिए अतिरिक्त 09 पद, सहायक प्राध्यापकों की स्वीकृति पर विचार करना ।

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अधिसूचना क्रं. 346 के द्वारा बी.एड.एवं एम.एड. पाठ्यक्रम सत्र 2015-16 से द्विवर्षिय हो गया है।

अतः 50+50 के दो यूनिट के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदण्डों के आधार पर बी.एड. के लिए निम्नानुसार शिक्षकों की आवश्यकता है—

खण्ड 'अ'

पद का नाम	पद की संख्या
01. प्रिंसपल/विभागाध्यक्ष	01
02. शिक्षा विषय	04
i. मनोविज्ञान/दर्शनशास्त्र	02
ii. समाजशास्त्र	02
03. शिक्षण विषय	08
i. गणित —	02
ii. विज्ञान —	02
iii. समाजिक विज्ञान	02
vi. भाषा	02
04. स्वास्थ्य तथा शारीरिक शिक्षा योग्यता एम.पी.एड. 55 प्रतिशत	01
05. ललित कलाएं स्नाकोत्तर डिग्री (एमएफए) 55 प्रतिशत	01
06. निष्पादन कलाएं(संगीत/नृत्य/रंगमंच) पूर्व में कार्यपरिषद की बैठक शनिवार दिनांक 31.08.2005 के अनुसार बी.एड. कोर्स के लिए खण्ड 'ब'	01
01. प्रोफेसर	01
02 सह प्रोफेसर	01
03 सहायक प्रोफेसर	10

अस्थायी पदों की स्वीकृति दी गई है, एवं छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 5-5/2014/38-12 रायपुर दिनांक 08.07.2014 द्वारा बी.एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम हेतु राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के मापदण्डों के अनुरूप खण्ड ब के 12 अस्थायी पदों स्वीकृति दी गई है। खण्ड अ के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के मापदण्डों के अनुरूप द्विवर्षिय बी. एड. एवं एम.एड. पाठ्यक्रम के प्रथम सत्र हेतु कुल 21 शिक्षकों की आवश्यकता है—

चूंकि खण्ड ब में राज्य शासन के द्वारा 12 अस्थायी पद स्वीकृत हैं।

अतः द्विवर्षिय बी.एड.एवं एम.एड. के राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान परिषद के मापदण्डों को पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त 09 पदों की आवश्यकता है, अतः 09 पद सहायक प्राध्यापकों की स्वीकृति पर माननीय कार्यपरिषद विचार करना

कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत।



मान-विद्यान विमुक्तये

डॉ. के. पी. सिंह  
संयुक्त सचिव  
Dr. K.P. Singh  
Joint Secretary



सत्यमेव जयते

26

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग  
University Grants Commission

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

(Ministry of Human Resource Development, Govt. of India)

बहादुरशाह ज़फ़र मार्ग, नई दिल्ली-110002

Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

दूरम्बध Phone : कार्यालय Off : 011-2323 9597

फैक्स Fax : 011-2323 6347, e-mail: kpsingh.ugc@nic.in

*Registered*  
*Dr. K.P. Singh*  
*Joint Secretary*  
*5/8/15*

**SPEED POST**

D.O. No. F. 2-22/2015 (B.Voc)

3 JUL 2015  
August 2015

Dear Sir/Madam,

*Dr. K.P. Singh*  
*5/8*

Kindly refer to the proposal of your Institution to start additional course(s) under the B.Voc degree programme. In this connection, this is to inform you that based on the recommendation of Expert Committee, UGC has approved your proposal for starting following course(s) under the B.Voc degree programme from the academic session 2015-16 in the specialization(s) and as per the intake given below:-

Sl. No.	Specialization/Trade	Intake
1.	Renewable Energy Technology and Management	50

Further, UGC has also approved a grants of Rs. 97.00 (Rupees Ninety Seven Lakhs Only) to the Institution for a period of three years for running the B.Voc degree programme as per the details given below:-

Capital Assets – 35 (Non-Recurring)		
Sl.No.	Budget Head	Amount (Rs. in lakh)
1.	Start-up Assistance	38.00

Grant-in-aid General -31 (Recurring)		
Sl.No.	Budget Head	Amount (Rs. in lakh)
1.	Visiting Faculty/Guest Faculty	18.00
2.	Operative Cost	16.00
3.	Faculty(On contract basis)	25.00

**Grant Total Rs.97.00 (Rupees Ninety Seven Lakhs only)**

This approval is subject to the following terms and conditions:

1. The Institution is recognized under Section 2(f), and 12(B) of the UGC Act.
2. The curriculum of the skill component of the programme is being developed by the concerned Sector Skill Councils. The Institution will adopt or adapt the curriculum in consultation with the industry partner. However, alignment of the skill components of the curriculum with the National Occupation Standards developed by the respective Sector Skill Councils will be ensured.
3. Monitoring/evaluation and updating of the curriculum will be done periodically in consultation with the concerned Sector Skill Council and the industry partner keeping in view their requirements and changes in the National Occupation Standards.

उत्सृष्टि सचिवालय  
आयक क्र. 3387  
दि. 5/8/15

VC 3387  
5/8/15



4. Computer proficiency, soft skills and language proficiency will be a necessary component of the curriculum.
5. The Institution will upload the details of the students on Skill Develop Management System (SDMS) for monitoring and will update the requisite information from time to time.
6. All teaching and non-teaching positions approved under the scheme should be filled up as per the minimum requirement of the program and the appointment of teaching positions will be governed by clause 13 of the UGC Regulations on Minimum Qualifications for the Appointment of Teachers and other Academic Staff in Universities and Colleges and Measures for the Maintenance of Standards in Higher Education, 2010.

Necessary grants for starting the programmes will be released by the UGC shortly. In the meanwhile, you are requested to proceed to the start the B.Voc degree programme from the academic session 2015-16 itself. Other provisions of the guidelines may also be adhered to strictly which are available on the UGC website. A copy of the Report of the Expert Committee is also enclosed for your perusal and record. Observations/suggestions of the Committee may please be kept in mind while implementing the programme.

In case of any query, you may get in touch with Dr. Nikhil Kumar, Education Officer, UGC (Ph. No. 011-23218120, E-mail: [nikhil.ugc@nic.in](mailto:nikhil.ugc@nic.in))

With kind regards.

Yours sincerely

(K.P. Singh)

The Registrar,  
Pt. Ravishankar Shukla University,  
Amanaka, G.E. Road,  
Raipur-492010(C.G)

Copy to:

✓ The Vice-Chancellor,  
Pt. Ravishankar Shukla University,  
Amanaka, G.E. Road,  
Raipur-492010(C.G)

(K.P. Singh)

### Official Tips

B. Voc. In Renewable Energy technology & Management has been started from the session 2015-2016 UGC has approved 97 lacs with following break up:

	<b>Budget head</b>	<b>Allocation appowed by UGC (in Lacs)</b>
Capital Assets Non Re Grant in Aid Gen Receiving	Start up Assistance	38.00
	(a)Visiting Faculty/ Guest Faculty	18.00 16.00
	(b)Operative Cost	25.00
	(c) Faculty (on contract basis)	

**Total 97.00 Lacs**

### Estimated Budget for 2015-16

S. No	Head	Estimated Expenditure (in Lacs)
01	Start up Assistance Infrastructure class room preparation Lab set up	30.00
02	Operating expenditure honorarium hiring services travel field visit organizing seminar/workshop training web creation etc.	5.00
03	Faculty contract (one Assistant Professor)	6.00
04	Faculty (Expert/Guest)	5.00

**Total 46.00 Lacs**

The total estimated budget for 2015-16 is Rs. 46.00 Lacs.

## कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

29

विषय :- वार्षिक परीक्षा 2015 के परीक्षा पश्चात् किये गये डाटा प्रोसेसिंग कार्य का देयक राशि रू. 19,22,186=00 मे0 ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा0लि0 इंदौर को भुगतान की स्वीकृति हेतु विचारार्थ ।

कार्यपरिषद की बैठक दिनांक 28.10.2014 के विषय क्र0 08 के परिपालन में मुख्य परीक्षा 2015 के रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य हेतु मे0 ओसवाल कम्प्यूटर एवं कन्सल्टेंट प्रा0लि0 इंदौर एवं कुलसचिव के मध्य दि0 19.11.14 को अनुबंध हुआ । उक्त अनुबंध के अनुसार वार्षिक परीक्षा 2015 के लिए परीक्षा पश्चात रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य के लिए रू0 06.60 प्रति छात्र स्वीकृत किया गया है ।

संबंधित फर्म द्वारा परीक्षा पश्चात् कुल 2,55,474 छात्रों का रिजल्ट प्रोसेसिंग कार्य संपादित करने के पश्चात् देयक क्र0 ODP/KKK/2015-16/130 Dt. 27.08.2015 के माध्यम से रू0 19,22,186=00 भुगतान करने के लिए प्रस्तुत किया गया है । प्राप्त देयक को परीक्षा विभाग एवं गोपनीय विभाग द्वारा छात्र संख्या का सत्यापन करने के पश्चात् रू0 19,22,186=00 (अक्षरी रू0 उन्नीस लाख बाईस हजार एक सौ छियांसी मात्र) भुगतान करने के योग्य पाया गया ।

अतः संबंधित फर्म को परीक्षा पश्चात् किये गए कार्य का देयक राशि रू. 19,22,186=00 (अक्षरी रू0 उन्नीस लाख बाईस हजार एक सौ छियांसी मात्र) भुगतान स्वीकृति हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।

26/4  
9-10-15



# कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

30

विषय :- वि०वि० परिसर व भवनों के साफ-सफाई व्यवस्था के संबंध में गठित विभागीय क्य समिति एवं केन्द्रीय क्य समिति द्वारा किये गए अनुशंसा पर विचार करने हेतु ।

वि०वि० परिसर के सफाई व्यवस्था हेतु निम्नलिखित समाचार पत्रों में पत्र क्र० 1049 दिनांक 03-09-2015 के द्वारा निविदा सूचना छ०ग० संवाद के माध्यम से प्रकाशित कराया गया था, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

1. इंडियन एक्सप्रेस राष्ट्रीय समाचार पत्र नागपुर संस्करण,
2. नवभारत समाचार पत्र, प्रादेशिक संस्करण में,
03. नई दुनिया समाचार पत्र, प्रादेशिक संस्करण में

निम्न लिखित फर्मों द्वारा निर्धारित तिथि तक सीलबंद लिफाफा प्रस्तुत किया गया था।

01. बेस्ट सिक्यूरिटी सर्विसेस भाटागांव रायपुर।
02. न्यूभारत सिक्यूरिटी डिटेक्टिव सर्विसेस शॉप नं० 140 बस स्टैण्ड के पास गणेश पेट नागपुर।
03. सीडीओ सिक्यूरिटीस एंड पब्लिक हेल्प लाईन सर्विसेस दुर्ग, छ०ग०।

उपरोक्त फर्मों से प्राप्त सीलबंद लिफाफा को निविदाकर्ता की उपस्थिति में दिनांक 22-09-2015 को विभागीय क्य समिति एवं विशेष आमंत्रित सदस्यों की उपस्थिति में सीलबंद लिफाफा को खोला गया । विश्वविद्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना में समस्त कर, सफाई सामग्री सहित 30 कर्मचारियों प्रतिमाह का दर मांगा गया था। संबंधित फर्मों द्वारा समस्त कर, सफाई सामग्री सहित 30 कर्मचारी का प्रतिमाह का दर प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र०	विवरण	C.D.O. Securities & Public Helpline Service, D-3 New Indira Market, Power House, Bhilai.	Best Security Services, Usha Kuran Pariser, Behind Jagriti School, bhatagaon, Raipur.	New Bharat Security & Detective Service, Opp. - S.T. Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur.
01.	प्रति माह 30 कर्मचारियों के सफाई सामग्री सहित दर	रु. 1,83,000.00 (रु. एक लाख तिराही हजार मात्र)	रु. 1,73,610.00 (रु. एक लाख तिहत्तर हजार छै: सौ दस मात्र)	रु. 2,29,650.60 (रु. दो लाख उन्तीस हजार छै: सौ पचास एवं साठ पैसे मात्र)

- A. उपरोक्त तुलनात्मक तालिका के अनुसार Best Security Services, bhatagaon, Raipur द्वारा प्रति माह 30 कर्मचारियों के सफाई सामग्री एवं सभी प्रकार के शुल्क सहित दर रु. रु. 1,73,610.00 (रु. एक लाख तिहत्तर हजार छै: सौ दस मात्र) प्रतिमाह मात्र प्रस्तुत किया गया है, जो अन्य फर्मों द्वारा प्रस्तुत दर से न्यूनतम है । अतः न्यूनतम दर के आधार पर विश्वविद्यालय परिसर व भवनों के साफ-सफाई का कार्य Best Security Services, bhatagaon, Raipur से कराये जाने हेतु विभागीय क्य समिति एवं केन्द्रीय क्य समिति द्वारा अनुशंसा किया गया है ।

Best Security Services, bhatagaon, Raipur से प्रतिमाह रु. 1,73,610.00 (रु. एक लाख तिहत्तर हजार छै: सौ दस मात्र) की दर से वर्ष के लिए 30 कर्मचारियों का सफाई सामग्री सहित एवं समस्त कर सहित कुल रु. 20,83,320.00 का व्यय होगा ।

8-16-15

31

- B. विश्वविद्यालय परिसर एवं भवनों की साफ-सफाई व्यवस्था हेतु वर्तमान में कार्यरत् फर्म का कार्यकाल 31 अगस्त 2015 को समाप्त होने के कारण विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 1123/विकास/सफाई कार्य/2015 दिनांक 07.08.2015 के द्वारा दिनांक 01 सितम्बर 2015 से 30 सितम्बर 2015 एवं पत्र क्रमांक 1066/विकास/सफाई कार्य/2015 दिनांक 29.09.2015 के द्वारा 01 अक्टूबर 2015 से 31 अक्टूबर 2015 तक के लिए कार्यकाल में वृद्धि की गई है जो कार्यपरिषद् के सूचनार्थ एवं स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है ।

अतः विश्वविद्यालय परिसर व भवनों की साफ-सफाई व्यवस्था संबंधी कार्य मे0 बेस्ट सिक्युरिटी सर्विसेस, भाठागांव, रायपुर से कराये जाने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा किये गए अनुशंसा के अनुमोदन हेतु कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

22/4  
8-10-15

विषय:- विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पद हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की सूचना :-

विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रथम, द्वितीय श्रेणी के अशैक्षणिक निम्नालिखित पदों/विषयों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 1790/स्था./सा.प्रशा./2015 दिनांक 30.05.2015 एवं विज्ञापन क्रमांक 2853/स्था./सा.प्रशा./2015 दिनांक 10.08.2015 के द्वारा पद विज्ञापित किया गया है।

उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार पदवार/विषयवार प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रं.	विषय	पदनाम	डाटा सेन्टर से प्राप्त सूची अनुसार आवेदकों की संख्या
1.	भूगोल	प्रोफेसर	04
		एसोसिएट प्रोफेसर	07
		असिस्टेंट प्रोफेसर	10
2.	समाजशास्त्र	प्रोफेसर	01
		एसोसिएट प्रोफेसर	01
3.	इतिहास	प्रोफेसर	04
		एसोसिएट प्रोफेसर	01
4.	प्राचीन भारतीय इतिहास	प्रोफेसर	03
5.	कम्प्यूटर विज्ञान	प्रोफेसर	09
		एसोसिएट प्रोफेसर	01
		असिस्टेंट प्रोफेसर	76
6.	साहित्य एवं भाषा	एसोसिएट प्रोफेसर	02
		असिस्टेंट प्रोफेसर	05
7.	अर्थशास्त्र	एसोसिएट प्रोफेसर	01
8.	भौतिकी एवं खगोल भौतिकी	एसोसिएट प्रोफेसर	निरंक
		असिस्टेंट प्रोफेसर	15
9.	रसायन	एसोसिएट प्रोफेसर	05
		असिस्टेंट प्रोफेसर	15
10.	योग एवं दर्शन	प्रोफेसर	02
		एसोसिएट प्रोफेसर	01
		असिस्टेंट प्रोफेसर	04
11.	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फोटोनिक्स	एसोसिएट प्रोफेसर	01
		असिस्टेंट प्रोफेसर	45
12.	एम.टेक.	एसोसिएट प्रोफेसर	01
		असिस्टेंट प्रोफेसर	19
13.	जैविकी	एसोसिएट प्रोफेसर	01
		असिस्टेंट प्रोफेसर	112
14.	प्रबंधन	एसोसिएट प्रोफेसर	निरंक
15.	जैव प्रौद्योगिकी	एसोसिएट प्रोफेसर	निरंक
16.	गणित	एसोसिएट प्रोफेसर	निरंक
		असिस्टेंट प्रोफेसर	04
17.	फॉर्मैसी	एसोसिएट प्रोफेसर	06
18.	मानव विज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर	05
		असिस्टेंट प्रोफेसर	41
19.	सांख्यिकी	प्रोफेसर	03
		असिस्टेंट प्रोफेसर	02

20.	ग्रंथालय एवं सूचना विज्ञान	एसोसिएट प्रोफेसर	01
21.	विधि	असिस्टेंट प्रोफेसर	07
22.	मानव संसाधन विकास केन्द्र	प्रोफेसर/संचालक	13
23.	क्षेत्रीय अध्ययन एवं अनुसंधान	प्रोफेसर	09
24.	भू-विज्ञान	असिस्टेंट प्रोफेसर	03
25.	मूल विज्ञान केन्द्र	संचालक	09
		असिस्टेंट प्रोफेसर, भौतिकी	47
		असिस्टेंट प्रोफेसर, रसायन	39
		असिस्टेंट प्रोफेसर, गणित	14
		असिस्टेंट प्रोफेसर, वनस्पति विज्ञान	43
		असिस्टेंट प्रोफेसर, प्राणी विज्ञान	49
		असिस्टेंट प्रोफेसर, हिन्दी/फाउन्डेशन	33
		असिस्टेंट प्रोफेसर, अंग्रेजी	09
		असिस्टेंट प्रोफेसर, कम्प्यूटर विज्ञान	23
26.	हिन्दी	प्रोफेसर	8
		एसोसिएट प्रोफेसर	11
		असिस्टेंट प्रोफेसर	179
27.	शारीरिक शिक्षा विभाग	संचालक	06
28.	कम्प्यूटर केन्द्र	संचालक/कन्ट्रोलर	08
		सिनीयर सिस्टम एनालिस/सिस्टम प्रोग्रामर	46
		सिस्टम प्रोग्रामर/ सिस्टम एनालिस	92
29.	छात्र कल्याण	अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	09
30.	महाविद्यालय विकास परिषद्	संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्	06
31.	वित्त विभाग	लेखा अधिकारी	49
32.	प्रशासन	जन सम्पर्क अधिकारी	84
33.	प्रशासन	ट्रेनिंग सह प्लेशमेंट ऑफिसर	106

उपरोक्त विज्ञापन अनुसार विषयवार/पदवार आवेदकों की संख्या कार्यपरिषद् के सूचनार्थ प्रस्तुत।

34



## Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur (C.G.)

No. 1790 / Estb./Gen.Adm./2015

Raipur, Date 30/5 /2015

### Advertisement

Applications are invited from eligible candidates against the following posts in the prescribed format available in the website: [www.prsu.ac.in](http://www.prsu.ac.in) or [HTTP://Recruitment.cbsraipur.ac.in](http://Recruitment.cbsraipur.ac.in).

The last date of submission of online application form is 20-07-2015. However, the last date of receipt of online printed application and offline applications along with required documents is 30-07-2015 by registered/Speed post.

This advertisement will stand subject to the final order/decision of Honourable High Court of Chhattisgarh Under the writ petition no. (C) 591/2012, 592/2012, 593/2012 & 594/2012 on roster point.

S.N.	Name of SoS/Institute	Name, No. of Post & Category		
		Professor	Associate Professor	Assistant Professor
1	Geography	1 (UR)	1 (OBC CF)	1 ST (BL)
2	Sociology	1 ST (BL)	1 ST (BL)	-
3	History	1 (UR)	1 SC (CF)	-
4	Ancient Indian History Cultural & Archeology	1 (UR)	-	-
5	Computer Science	1 (UR)	1 ST (BL)	1 ST (BL), 1 (UR)
6	Literature & Language	-	1 (STBL) 1 (SC CF)	1 SC (CF) English
7	Economics	-	1 ST (BL)	-
8	Physics & Astrophysics	-	1 (STBL), 1 (ST CF)	1 (ST CF), 1 (SCBL)
9	Chemistry	-	1 (OBC CF)	1 (ST CF)
10	Philosophy & Yoga	1 (UR)	1 (ST BL)	1 (ST BL)
11	Electronics & Photonics	-	1 (ST BL)	1 (ST BL), 1 (SC CF), 1(UR)
12	(Innovative Programme) M-Tech. in Optoelectronics & Laser Technology	-	1 (UR)	1 (UR)
13	Bio-Science	-	1 ST (BL)	1 (UR), 1(ST)
14	MBA	-	1 ST (BL)	-
15	Bio-Technology	-	1 ST (BL)	-
16	Mathematics	-	1 ST (BL)	1 (ST BL), 1 (SC CF)
17	Pharmacy	-	1 (ST BL), 1 (SC CF)	-

35

18	Anthropology	-	1 (ST BL), 1 (SC CF)	1 (UR)
19	Statistics	1 (UR)	-	1 ST (BL)
20	Library Information Science	-	1 (UR)	-
21	Law	-	-	1 (ST BL), 1 (OBC CF)
22	Professor-Director, Human Resource Development Centre	1 (UR)	-	-
23	Regional Studies	1 (UR)	-	-
24	Geology	-	-	1 (STBL)
25	Centre for Basic Science	Director 1 (UR)	-	Physics 01 UR, Chemistry 01 UR, Mathematics 01 UR, Botany 01 UR, Zoology 01 UR, Hindi/Foundation Course 01 UR, English 01 UR, Computer Science 01UR

**GENERAL CONDITIONS:-**

1. **Qualifications:-** As per Norms of UGC.
2. **Pay Band + AGP :-**

Professor/Director	37400 - 67000 + 10000/-
Associate Professor	37400 - 67000 + 9000/-
Assistant Professor	15600 - 39100 + 6000/-

Note:- As per C.G. Government orders new appointees are not entitled for the pension.

3. **How to apply:-** Candidate have to apply online through the website [www.prsu.ac.in](http://www.prsu.ac.in) or [HTTP://Recruitment.cbsraipur.ac.in](http://Recruitment.cbsraipur.ac.in) and along with this online submission a printed application from as one set of hard copy (duly filled in prescribed format) has to be sent to Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University by registered /Speed post. The details of qualifications are available in university website: [www.prsu.ac.in](http://www.prsu.ac.in)
4. **Payment of application fee:-** Application fee of Rs. 1000/- and for ST/SC Category Rs. 500/- plus portal and bank transaction charges through payment gateway system.

Note:- Fee for the Application will not be accepted by money order or postal order & Cheque.

5. Application fee once paid shall not be refunded under any circumstances.
6. The University will not be responsible for any postal delay.
7. The candidate's application along with relevant document must reach to the Registrar's office on or before 30-07-2015.
8. Application received after said date will not be considered .
9. T.A. will be admissible for attending the interview in the case of SC/ST candidate only.
10. The number of posts to be filled-up may vary.
11. The University reserves the right to fill-up the posts and/or to call only selected candidates for interviews.

3.....

36

-3-

12. The University reserves the right not to fill-up any of the vacancies advertised if the circumstances so warrant.
13. Candidates who have applied in response to earlier advertisement are required to APPLY AGAIN.
14. Candidates belonging to ST/SC/OBC Category are required to submit valid caste Certificate with their application otherwise their application will be rejected.
15. Employed candidates will have to apply through proper channel.

Note:-

1. The Candidate of all categories may apply for UR post.
2. Abbreviation:- ST - Scheduled Tribe, SC - Scheduled Caste, OBC - Other Backward Class, UR - Un-Reserved, BL - Backlog Post, CF- Carry Forward.
3. Women & disabled persons will also be given reservation as per reservation rules of C.G. Govt.
4. Candidates belonging to SC, ST & OBC of other states will be treated as Unreserved.

By order



(K.K. Chandrakar)

Registrar


Or.

Endt.No. 1491 / Estb./Gen.Adm./2015

Raipur, Date 30/5/2015

Copy to :-

1. The Editor, University News, Association of Indian Universities, AIU House, 16 Comrade Indrajit Gupta Marg (Kotla Marg), New Delhi 110002.
2. The Times of India.
3. The Editor ..... with request to publish the above advertisement in the next issue of their news papers (one insertion only/minimum size) and send their bills in duplicate with a published news paper.
4. Copy to the Registrar of all universities in India with the request to give due publicity to this advertisement in their university without incurring any expenditure on our behalf.
5. Concerning Heads of School of Studies, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
6. Account/Academic/Development/Grant Cell, Section of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
7. Secretary to Kulpati P.A. to Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.



Dy. Registrar (Adm.)

Or.



37

**Pt. Ravishankar Shukla University,  
Raipur (C.G.)**

No. 2853/Estb./Gen.Adm./2015

Raipur, Date 10/08/2015

**Advertisement**

Applications are invited from eligible candidates against the following posts in the prescribed format available in the website: [www.prsu.ac.in](http://www.prsu.ac.in) or [HTTP://Recruitment.cbsraipur.ac.in](http://Recruitment.cbsraipur.ac.in).

The last date of submission of online application form is 26-09-2015. However, the last date of receipt of online printed application and offline applications along with required documents is 30-09-2015 by registered/Speed post.

This advertisement will stand subject to the final order/decision of Honourable High Court of Chhattisgarh Under the writ petition no. (C) 591/2012, 592/2012, 593/2012 & 594/2012 on roster point.

S.N.	Name of Posts & SoS/Institute	No. of Post	Category	Pay Scale
1	Professor - Hindi	01	UR	37400-67000+AGP10000
2	Associate Professor - Hindi	02	01 UR, 01 ST	37400-67000+AGP9000
3	Assistant Professor - Hindi	04	02 UR, 01 ST, 01 OBC	15600-39100+AGP6000
4	Director, College Development Council	01	UR	37400-67000+AGP10000
5	Dean, Student Welfare	01	UR	37400-67000+AGP9000
6	Director, Physical Education	01	UR	37400-67000+AGP10000
7	Director/Controllor, Computer Center	01	UR	37400-67000+AGP10000
8	Senior System Analyst/System Programmer	01	UR	37400-67000+AGP9000
9	Account Officer	01	UR	15600-39100+Gradepay6600
10	System Programmer/System Analyst	02	01UR, 01 ST	15600-39100+Gradepay6000
11	Public Relation Officer	01	UR	15600-39100+Gradepay6600
12	Training Cum Placement Officer	01	UR	15600-39100+Gradepay5400

**Note:-** The Post of Director, College Development Council and Dean, Student Welfare given in S.No. 4 & 5 above shall be appointed for the term of three years. A retired Govt. servant if appointed on any of these two posts shall get the last pay minus pension. Candidate on deputation may also be considered for appointment on these two posts.

**GENERAL CONDITIONS:-**

1. As per C.G. Government orders new appointees are not entitled for the pension.
2. **How to apply:-** Candidate have to apply online through the website: [www.prsu.ac.in](http://www.prsu.ac.in) or [HTTP://Recruitment.cbsraipur.ac.in](http://Recruitment.cbsraipur.ac.in) and along with this online submission a printed application from as one set of hard copy (duly filled in prescribed format) has to be sent to Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University by registered /Speed post. The details of qualifications are available in university website: [www.prsu.ac.in](http://www.prsu.ac.in)



- 38
3. Payment of application fee:- Application fee of Rs. 1000/- and for ST/SC Category Rs. 500/- plus portal and bank transaction charges through payment gateway system.  
Note:- Fee for the Application will not be accepted by money order or postal order & Cheque.
  4. Application fee once paid shall not be refunded under any circumstances.
  5. The University will not be responsible for any postal delay.
  6. The candidate's application along with relevant document must reach to the Registrar's office on or before 30-09-2015.
  7. Application received after said date will not be considered .
  8. T.A. will be admissible for attending the interview in the case of SC/ST candidate only.
  9. The number of posts to be filled-up may vary.
  10. The University reserves the right to fill-up the posts and/or to call only selected candidates for interviews.
  11. The University reserves the right not to fill-up any of the vacancies advertised if the circumstances so warrant.
  12. Candidates who have applied in response to earlier advertisement are required to APPLY AGAIN.
  13. Candidates belonging to ST/SC/OBC Category are required to submit valid caste Certificate with their application otherwise their application will be rejected.
  14. Employed candidates will have to apply through proper channel.

Note:-

1. The Candidate of all categories may apply for UR post.
2. Candidates belonging to SC, ST & OBC of other states will be treated as Unreserved.
3. Abbreviation:- ST- Scheduled Tribe, SC- Scheduled Caste, OBC- Other Backward Class, UR- Un-Reserved, BL- Backlog Post, CF- Carry Forward.

By order

  
(K.K. Chandrakar)  
Registrar

Raipur, Date 10/08/2015

Endt.No. 2854/Estb./Gen.Adm./2015

Copy to :-

1. The Editor, .....
2. Copy to the Registrar of all universities in India with the request to give due publicity to this advertisement in their university without incurring any expenditure on our behalf.
3. Concerning Section/Head, School of Studies, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
4. Account/Academic/Development/Grant Cell, Section of Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.
5. Secretary to Kulapati/P.A. to Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Raipur.

  
Dy. Registrar (Adm.)

विषय:- विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पद पर नियुक्ति हेतु चयन समिति गठन के संबंध में।

विज्ञापन क्रमांक विश्वविद्यालय के शैक्षणिक एवं प्रथम, द्वितीय श्रेणी के अशैक्षणिक निम्नलिखित पदों/विषयों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन क्रमांक 1790/स्था./सा.प्रशा./2015 दिनांक 30.05.2015 एवं विज्ञापन क्रमांक 2853/स्था./सा.प्रशा./2015 दिनांक 10.08.2015 के द्वारा पद विज्ञापित किया गया है।

उपरोक्त विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्ति हेतु चयन समिति गठन निम्नानुसार किया जाना होगा:-

प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, संचालक/कंट्रोलर, सिनियर सिस्टम एनालिस्ट/सिस्टम प्रोग्रामर एवं सिस्टम प्रोग्रामर/सिस्टम एनालिस्ट पद हेतु चयन समिति का गठन छ.ग. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49(2) के प्रावधानानुसार किया जाना है।

अधिष्ठाता छात्र कल्याण पद की नियुक्ति/अर्हता विश्वविद्यालय परिनियम 04 में उल्लेखित है, किन्तु चयन समिति गठन के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है।

संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद् पद की चयन समिति का गठन परिनियम 20 के अनुसार होगा।

विश्वविद्यालय परिनियम 20 में विश्वविद्यालयीन अधिकारियों की सूची उल्लेखित है जिसमें सरल क्रमांक 31, 32 एवं 33 में अंकित पद लेखा अधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी एवं ट्रेनिंग सह प्लेसमेंट ऑफिसर पद का नाम सम्मिलित नहीं है।

समन्वय समिति की बैठक दिनांक 17.04.2008 में परिनियम 31 के परिशिष्ट में उल्लेखित विभिन्न पदों के स्थान पर छ.ग. शासन द्वारा स्वीकृत सेटअप के पदों का समावेश किये जाने का निर्णय लिया गया। समन्वय समिति के निर्णय अनुसार कार्यालयीन अधिसूचना क्रमांक 1557/अका./2008 दिनांक 27.06.2008 के द्वारा अधिसूचित किया गया है।

अतः लेखा अधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी एवं ट्रेनिंग सह प्लेसमेंट ऑफिसर पद के लिए चयन समिति का गठन परिनियम 20 के प्रावधानानुसार किया जाना होगा।

अतः अधिष्ठाता छात्र कल्याण पद के लिए भी परिनियम 20 के प्रावधानानुसार चयन समिति गठन की जाने के संबंध में अनुमोदनार्थ।

अतः परिनियम 20 की कंडिका 5 के प्रावधानानुसार संचालक, महाविद्यालय विकास परिषद्, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, लेखा अधिकारी, जन सम्पर्क अधिकारी एवं ट्रेनिंग सह प्लेसमेंट ऑफिसर पद की चयन समिति की गठन हेतु प्रकरण कार्यपरिषद् के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (परिनियम 20 की कंडिका 5 की छायाप्रति संलग्न है।)

STATUTE No. 20  
OTHER OFFICERS OF THE UNIVERSITY-CONDITIONS OF SERVICE, POWERS AND DUTIES

[Refer Section 18]

1. In addition to the Officers mentioned in clauses (i) to (v) of Section 11 of the Adhiniyam, the following shall be the Officers of the University :

- \*(i) Director, College Development Council.
- (ii) Deputy Registrar.
- (iii) Finance Officer.
- (iv) University Librarian.
- (v) Director of Physical Education.
- (vi) University Engineer.
- (vii) Controller, University Press.
- (viii) Deputy Controller, University Press.
- (ix) Assistant Registrar.
- (x) Assistant - Director, Physical Education

Provided that if a Joint Registrar has been appointed in the University prior to the date on which the Adhiniyam came into force, he shall continue as an Officer of the University subject to the terms and conditions of his appointment as Joint Registrar.

2. The University may have one or more posts of Deputy Registrar as the need be. The Controller of Examinations and Development Officer, if appointed prior to the coming into force of this Statute, shall continue to hold office subject to the terms and conditions of their appointment and be redesignated as Deputy Registrar.

3. The scales of pay for the posts mentioned in paragraph (1) above shall be as prescribed by the State Govt. from time to time :

Provided that where an Officer serving under the Central Government or a State Government is on deputation to the University and is appointed as Finance Officer or University Engineer, his emoluments and terms and conditions of service shall be as laid down by the Government concerned while placing the service of the officer at the disposal of the University.

Provided further that where a retired Government Servant is appointed to any of the posts mentioned above he shall draw salary equal to the last pay drawn in government service minus the pension and pension equivalent of gratuity admissible to him and where this amount is less than the minimum of the scale pay of the post he shall draw as his salary the minimum of pay of the post concerned irrespective of the pension and pension equivalent of gratuity admissible to him.

4. The Executive Council shall prescribe the qualifications which a candidate should possess for being eligible to hold any of offices mentioned in paragraph (1) of this Statute. The prescribed qualifications shall be given due publicity and the Selection Committee shall select the candidates for such offices with due regard to the qualifications prescribed.

5. The Executive Council shall appoint a Selection Committee consisting of the Kulapati who shall be the Chairman of the Selection Committee, one nominee of the Executive Council from amongst its members and one nominee of the Kuladhipati not connected with the University to recommend the names of candidates for appointment to the offices mentioned in paragraph (1). The Registrar shall be the Secretary of the Selection Committee. The Committee so constituted shall recommend not more than three and not less than two names for each post in order of merit and the Executive Council shall make appointment from the panel.

\* Provided that in case of appointment to the post following posts, the Selection Committee shall be constituted in accordance with the provision contained under Section 49(2) of M.P. Vishwavidyalaya Adhiniyam 1973.

#### Library

1. Librarian
2. Deputy Librarian
3. Assistant Librarian/Senior Technical Assistant

#### Physical Education

1. Director
2. Deputy Director
3. Assistant Director/Sports Officer.

6. The Officers mentioned in this Statute shall be entitled to leave, leave salary, allowances medical benefit, provident fund and other benefits and their other terms and conditions of service including the age of retirement shall be such as may be prescribed by the University for the employee of the University:

Provided that where an officer is a serving or retired employee of the Central Government or any State Government, he shall not be entitled to the benefit of contributory provident fund.

7. The powers and duties of each Officer except the Finance Officer mentioned in this Statute shall be such as the Executive Council may determine.

*Note :* The provisions of this statutes are subject to the overriding provisions of section 15-C of Madhya Pradesh Vishwavidyalaya Adhiniyam 1973 and M.P. State University Service rules, 1982.

\* Inserted by amendment approved by the Coordination Committee on 12.13.1990.

(L2) ○

// कार्यपरिषद के समक्ष रखे जाने हेतु संक्षेपिका //

विषय :- शासन के नियमानुसार कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता रु. 500/- प्रतिमाह प्रदाय करने के संबंध में पात्रता हेतु आयोजित कौशल परीक्षा के बाद पात्रता के संबंध में निर्देशार्थ बाबत।

—00—

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर का पत्र क्रमांक 107/एफ-1005279/वित्त/नियम/चार/2013 रायपुर दिनांक 03 अप्रैल 2013 के अनुसार- छत्तीसगढ़ सिविल सेवाएं, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) सेवा के ऐसे सदस्यों को, जो हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Key) की-डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में विभाग अथवा कार्यालय द्वारा आयोजित कौशल परीक्षा उत्तीर्ण करते हो, उन्हें रूपये 500/- प्रतिमाह की दर से कम्प्यूटर प्रोत्साहन भत्ता की पात्रता होगी।

यह आदेश दिनांक 01.02.2013 से प्रभावशील होगा।

उपरोक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में विश्वविद्यालय में कार्यरत तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय) कर्मचारियों के लिए हिन्दी एवं अंग्रेजी में 8000 (Key) की-डिप्रेशन प्रतिघंटा की गति के संबंध में शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बैरनबाजार, रायपुर में कौशल परीक्षा आयोजित की गई, जिसकी अंकसूची प्राप्त हो गई है। (अंकसूची मूलतः संलग्न)

संबंधित परीक्षा में उपस्थित कर्मचारियों द्वारा 8000 (Key) की-डिप्रेशन की परीक्षा (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में दिया है परन्तु गलती करने अथवा की-डिप्रेशन पूर्ण नहीं करने के कारण अंको में कटौती करते हुए अंक प्रदान किया गया है।

आदेश में यह स्पष्ट नहीं है कि उक्त कौशल परीक्षा में कितने प्राप्तांको के आधार पर कर्मचारियों को उक्त राशि की पात्रता होगी। इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन हेतु आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, को दिनांक 18.08.2015 एवं संयुक्त सचिव, वित्त एवं योजना मंत्रालय को पत्र दिनांक 03.10.2015 प्रेषित की गई है जिसका प्रत्युत्तर आज दिनांक तक अप्राप्त है।

अतः इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन एवं निर्देशार्थ हेतु पुनः माननीय कार्यपरिषद के समक्ष प्रस्तुत।

48

परीक्षा का नाम : पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को कम्प्यूटर भत्ता प्रदाय किये जाने हेतु आयोजित कौशल परीक्षा

परीक्षा केन्द्र का नाम : शासकीय कन्या पॉलीटेक्निक, बैरन बाजार, रायपुर

विषय : कम्प्यूटर

दिनांक : 11.04.2015

पूर्णांक 50


—:: एकीकृत अंकसूची ::—

स. क्र०	रोल नंबर	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	विभाग का नाम	प्राप्तांक	
					अंकों में	शब्दों में
1	101	श्री शंकरलाल कुंजाम	स्टेनाग्राफर	कुलपति कार्यालय	49.75	forty nine pt. seven five
2	102	श्री हेमन्त कुमार धुव	स्टेनाग्राफर	गोपनीय विभाग	48.00	forty eight only
3	103	कु० डुलेश्वरी ठाकुर	कनिष्ठ अधीक्षक	वित्त विभाग	..... A B S E N T .....	
4	104	श्रीमती दुलारी ठाकुर	कनिष्ठ अधीक्षक	वित्त विभाग	..... A B S E N T .....	
5	105	श्री रघुवीर सिंह ठाकुर	कनिष्ठ अधीक्षक	परीक्षा विभाग	..... A B S E N T .....	
6	106	श्रीमती ममता घोड़ेसवार	प्रथम श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	23.76	twenty three pt. seven six
7	107	श्रीमती भारती शोरी	प्रथम श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	15.74	fifteen pt. seven four
8	108	श्री निर्मल कुमार अग्रवाल	प्रथम श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	..... A B S E N T .....	
9	109	श्री हेमन्त शर्मा	प्रथम श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	38.45	thirty eight pt. four five
10	110	श्रीमती अंजू ठावरे	प्रथम श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	29.08	thwenty nine pt. zero eight
11	111	श्री प्रदीप कैलाश चंद्रकापुरे	प्रथम श्रेणी लिपिक	पञ्चारीक शिक्षा विभाग	13.23	thirty nine pt two three
12	112	श्री श्रवण सिंह ठाकुर	प्रथम श्रेणी लिपिक	अर्थशास्त्र अध्ययनशाला	39.65	thirty nine pt six five
13	113	श्री आर०पी० देवागन	द्वितीय श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	..... A B S E N T .....	
14	114	श्री परदेशी राम यादव	द्वितीय श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	49.00	forty nine only
15	115	श्री नरेन्द्र गोस्वामी	द्वितीय श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	47.75	forty seven pt. seven five
16	116	श्रीमती सरोज शर्मा	द्वितीय श्रेणी लिपिक	ग्रंथालय विभाग	..... A B S E N T .....	
17	117	श्री गिरीश कुमार सेन	निम्न श्रेणी लिपिक	अनुदान प्रकोष्ठ	45.75	forty five pt. seven five
18	118	श्री रणजीत सिंह रात्रे	निम्न श्रेणी लिपिक	अनुदान प्रकोष्ठ	42.90	forty two pt. nine zero

कमश 2 पर

Ruchi Jain - Jain

Aarti verma

  
Principal  
Govt. Girls Polytechnic  
RAIPUR (C.G.)

(44)

(25)

2

स. क्र०	रोल नंबर	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	विभाग का नाम	प्राप्तिक	
					अंकों में	शब्दों में
19	119	श्री बलराम वर्मा	निम्न श्रेणी लिपिक	कुलसचिव कार्यालय	49.75	forty nine pt. seven five
20	120	श्री रामकुमार पटेल	निम्न श्रेणी लिपिक	कुलसचिव कार्यालय	15.58	fifteen pt. five eight
21	121	श्री केशर कुमार थवाईत	निम्न श्रेणी लिपिक	कुलपति कार्यालय	48.75	forty eight pt. seven five
22	122	श्रीमती सविता पुसरिया	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	43.68	forty three pt. six eight
23	123	श्रीमती प्रवीणा यादव	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	12.50	twelve pt. five zero
24	124	श्री विवेक शर्मा	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	49.50	forty nine pt. five zero
25	125	कु० नूतन साहू	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	26.15	twenty six pt. one five
26	126	कु० स्वप्ना राजवंशी	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	48.75	forty eight pt. seven five
27	127	श्रीमती नीलम	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	47.50	forty seven pt. five zero
28	128	श्री धनेश प्रसाद चौबे	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	33.06	thirty three pt. zero six
29	129	श्री चेमन ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	सामान्य प्रशासन विभाग	17.44	seventeen pt. four four
30	130	श्री प्रेम कुमार साहू	निम्न श्रेणी लिपिक	गोपनीय विभाग	49.00	forty nine only
31	131	श्री विक्रान्त गोंडाने	निम्न श्रेणी लिपिक	गोपनीय विभाग	49.25	forty nine pt. two five
32	132	कु० निशा ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	उपाधि विभाग	26.18	twenty six pt. one eight
33	133	श्री योगेश धुव	निम्न श्रेणी लिपिक	दर्शन एवं योग अ०शा०	41.00	forty one only
34	134	श्री हुलेश कुमार ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	46.50	forty six pt. five zero
35	135	श्री सागर चंद नाशा	निम्न श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	25.24	twenty five pt. two four
36	136	श्री दीपक शर्मा	लिपिक	परीक्षा विभाग	49.75	forty nine pt. seven five
37	137	श्री मुकेश कुमार भतपहरी	निम्न श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	49.50	forty nine pt five zero
38	138	श्री पुरषोत्तम कहार	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	..... A B S E N T .....	
39	139	श्रीमती रेणु नवरंग	निम्न श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	48.25	forty eight pt. two five
40	140	श्री लोभराम	निम्न श्रेणी लिपिक	सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ	33.09	thirty three pt. zero nine

कमश 3 पर

Ruchi Jain - Jain

Aarti Verma - [Signature]

[Signature]

Principal  
Govt. Girls Polytechnic  
RAIPUR (C.G.)

स. क्र०	रोल नंबर	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	विभाग का नाम	प्राप्तांक	
					अंकों में	शब्दों में
41	141	श्री गणेश राम बेनर्जी	निम्न श्रेणी लिपिक	काय० अधिष्ठाता छात्र कल्याण	39.82	thirty nine pt. eight two
42	142	श्री अनुराग श्रीवास्तव	निम्न श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	18.83	eighteen pt. eight three
43	143	श्रीमती शकुन्ता मनहरे	निम्न श्रेणी लिपिक	साहित्य एवं भाषा विज्ञान	40.22	forty pt. two two
44	144	कु० पूनम बारबुधे	निम्न श्रेणी लिपिक	इले० एवं फोटोनिक्स अ०शा०	40.19	forty pt. one nine
45	145	श्री रामकुमार चंद्राकर	निम्न श्रेणी लिपिक	गोपनीय विभाग	49.75	forty nine pt. seven five
46	146	श्री बिमल कुमार धुर्वे	निम्न श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	38.10	thirty eight pt. one zero
47	147	श्री धानेश्वर राम इंगले	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	49.75	forty nine pt. seven five
48	148	श्री प्रभात कुमार झा	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	48.00	forty eight only
49	149	श्री संदीप खर्गवंशी	निम्न श्रेणी लिपिक	भौतिकी एवं खगोल भौतिकी अ०शा०	39.83	thirty nine pt. eight three
50	150	श्री अवधेश कुमार गंधर्व	निम्न श्रेणी लिपिक	परीक्षा विभाग	48.19	forty eight pt. one nine
51	151	श्रीमती रजनी मंडावी	निम्न श्रेणी लिपिक	ग्रंथालय सूचना एवं विज्ञान अ०शा०	23.15	twenty three pt. one five
52	152	कु० दुर्गेश खटकर	निम्न श्रेणी लिपिक	मनोविज्ञान अ०शा०	49.75	forty nine pt. seven five
53	153	श्री बंशी लाल टेकाम	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	36.89	thirty six pt. eight nine
54	154	श्री अशोक कुमार देवांगन	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	48.50	forty eight pt. five zero
55	155	श्री महेन्द्र कुमार पटेल	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	48.00	forty eight only
56	156	श्री पुष्कर दीवान	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	28.45	twenty eight pt. four five
57	157	कु० सपना सिन्हा	निम्न श्रेणी लिपिक	वित्त विभाग	..... A B S E N T .....	
58	158	श्री राजन सिंह ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	गणित अध्ययनशाला	32.08	thirty two pt. zero eight
59	159	श्री पलेश्वर सिंह ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	34.88	thirty four pt. eight eight
60	160	श्री नीलम तिकी	निम्न श्रेणी लिपिक	फार्मसी संस्थान	34.99	thirty four pt. nine nine

कमरा 4 पर

Ruchi Jain - Jain

Aarti Verma - [Signature]

[Signature]

Principal  
Govt. Girls Polytechnic  
RAIPUR (C.G.)



46

29

4




स. क्र०	रोल नंबर	परीक्षार्थियों के नाम	पदनाम	विभाग का नाम	प्राप्तांक	
					अंकों में	शब्दों में
61	161	श्री रघुराम मरकाम	निम्न श्रेणी लिपिक	जैवप्रौद्योगिक अ०शा०	23.06	twenty three pt. zero six
62	162	श्रीमती हेमा सरवरिया	निम्न श्रेणी लिपिक	भू-विज्ञान अ०शा०	..... A B S E N T .....	
63	163	श्री कमलेश कुमार ठाकुर	निम्न श्रेणी लिपिक	गोपनीय विभाग	28.13	twenty eight pt. one three
64	164	श्रीमती अलका लकड़ा	निम्न श्रेणी लिपिक	अकादमिक विभाग	33.39	thirty three pt. three nine
65	165	श्रीमती मंजूषा तिरपुड़े	निम्न श्रेणी लिपिक	श्रेत्रीय अध्ययनशाला	32.33	thirty two pt. three three
66	166	श्री शिवलोचन नेताम	कनिष्ठ अधीक्षक	विकास विभाग	15.41	fifteen pt. four one
67	167	श्री योगेश कुमार सोनटेके	प्रथम श्रेणी लिपिक	विकास विभाग	31.31	thirty one pt. three one
68	168	श्री महेश सिंह ठाकुर	द्वितीय श्रेणी लिपिक	इतिहास अध्ययनशाला	25.68	twenty five pt. six eight

मूल्यांकनकर्ता के हस्ताक्षर


Aarti Verma

Ruchi Jain

समिति सदस्यों के हस्ताक्षर

  
  
  
 (H.S. Arma)

प्राचार्य के हस्ताक्षर

  
 Principal  
 Govt. Girls Polytechnic  
 RAIPUR (C.G.)



## पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

कार्यपरिषद की पंद्रहवीं बैठक सोमवार, दिनांक 19 अक्टूबर, 2015

अपरान्ह 03.00 बजे की पूरक सूची

01. विश्वविद्यालय विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.10.2015 के कार्यवृत्त का अनुमोदन करना। (पृ. क्र. 1 से 15 तक)  
टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।
02. छ.ग. वित्त एवं योजना विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक 297/एल 2015-71-00388/वित्त/नियम/चार दिनांक 23.09.2015 के अनुसार संविदा शिक्षकों के वेतन वृद्धि के संबंध में विचार करना। (पृ. क्र. 16 से 20 तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
03. B.Voc के लिए DGS&D दर पर कम्प्यूटर क्रय करने पर विचार करना। (पृ. क्र. 21 से 1 तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
04. परीक्षा सत्र 2015-16 के लिये कुल 26 लाख मुख्य उत्तर पुस्तिकाएँ एवं 20 लाख पूरक उत्तर पुस्तिकाएँ मुद्रण कराने पर विचार करना। (पृ. क्र. 22 से 1 तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
05. तृतीय श्रेणी के रिक्त अशैक्षणिक पदों के विरुद्ध संविदा नियुक्त करने संबंधी कार्यवाही सूचनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत। (पृ. क्र. 23 से 24 तक)  
टीप : कार्यालयीन टीप की छायाप्रति संलग्न।
06. NCNR, PRSU में दिनांक 19.02.2016 से 21.02.2016 तक आयोजित होने वाली 3<sup>rd</sup> International Congress Society for Ethnopharmacology, India (SFEC 2016) के लिए अनुमानित बजट पर विचार करना। (पृ. क्र. 25 से 26 तक)  
टीप : अनुमानित बजट की प्रति संलग्न है।
07. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।

  
कुलसचिव



# पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

क्र. 6030 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 19 / 10 / 2015

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक गुरुवार, दिनांक 15.10.2015 अपरान्ह 03.00 बजे कुलपति कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1.	प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2.	डॉ. भगवंत सिंह	-	सदस्य
3.	डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान	-	सदस्य
4.	डॉ. अब्दुल अलीम खान	-	सदस्य
5.	डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
6.	डॉ. सी.डी. अगासे	-	सदस्य
7.	डॉ. अमरकांत पाण्डेय	-	सदस्य
8.	डॉ. स्वर्णलता सराफ	-	सदस्य
9.	श्री के.के. चंद्राकर, कुलसचिव	-	सचिव

## बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 18.09.2015 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना। (कार्यवृत्त संलग्न है)
02. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है -

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
01	शास. स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोडला, जिला-कबीरधाम	B.Sc.-III- F.C.. Chemistry.. Botany. Zoology	60	2009-10	1. प्रो. के.एस. पटेल, रसायन अध्ययनशाला 2. प्रो. पी.के. शर्मा, समाजशास्त्र अध्ययनशाला 3. डॉ. ध्रुव कुमार पाण्डेय, शासकीय महावि. तिल्दा-नेवरा, जिला-रायपुर
		B.A. III- F.C.. Sociology. Political Sc.. Geography	60		
		B.Com. III- Compulsory Subject	60		

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 29.09.2015

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 4389/सम्बद्धता/अका/2015 रायपुर दिनांक 10.08.2015 के परिपालन में शासकीय स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय बोडला जिला-कबीरधाम (छ.ग.) में सत्र 2009-10 B.Sc.-III- F.C., Chemistry, Botany, Zoology (Seat-60), B.A. III- F.C., Sociology, Political Sc., Geography (Seat-60), B.Com. III- Compulsory Subject (Seat-60), सम्बद्धता हेतु दिनांक 29.09.2015 को निरीक्षण किया गया, जसमें निम्न तथ्य पाये गये।

1. महाविद्यालय में प्रभारी प्राचार्य है।
2. महाविद्यालय का स्वयं का भवन है।
3. शासन द्वारा 11 (प्राचार्य एवं शिक्षकों) तथा 08 गैर शैक्षणिक पद स्वीकृत है। 10 शिक्षकों में 03 नियमित तथा 07 संविदा/अतिथि व्याख्याता है। गैर शैक्षणिक में सभी कर्मचारी कार्यरत है।
4. महाविद्यालय के अधोसंरचना में क्लासरूम, फर्नीचर, प्राचार्य कक्ष कार्यालय कक्ष, शिक्षक स्टाफ कक्ष एवं खेल का मैदान है।
5. ग्रंथागार में संकायों के कुछ 5595 पुस्तकें हैं। छात्र अनुपात में और पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।
6. महाविद्यालय में 10 Computer उपलब्ध है इन्टरनेट की सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है।
7. महाविद्यालय में विज्ञान विषय में प्रयोगशाला है जिसमें उपकरण है और उपकरण क्रय किये जाने की आवश्यकता है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
02	दिशा कालेज ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, चंदखुरी मार्ग, रायपुर	New Course- B.Lib. Seat Increment - BBA	30 20	2015-16	1. प्रो. आशीष कुमार श्रीवास्तव, प्रबंधन संस्थान, पं. र.शु.वि. रायपुर 2. प्रो. (श्रीमती) माया वर्गा, ग्रंथालय अध्ययनशाला 3. डॉ. सुपर्ण सेन गुप्ता, ग्रंथालय अध्ययनशाला

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 12.09.2015

विश्वविद्यालय के पत्र क्रमांक 4416/अका/2015 दिनांक 11.08.2015 के परिपालन में दिनांक 12.09.2015 को महाविद्यालय में निरीक्षण किया एवं देखा। निम्नलिखित शर्तों के साथ महाविद्यालय पाठ्यक्रम संचालन की पात्रता रखता है।

1. नवीन पाठ्यक्रम बी.लिब.आई.एससी.-30 सीट के लिए एवं बी.बी.ए. 20 सीट (वृद्धि) के लिए अधोसंरचना पर्याप्त है।
2. बी.लिब.आई.एससी.-30 सीट के लिए प्रश्नपत्र 3 : Reference Service & Source हेतु संदर्भ पुस्तकें क्रय की जाने की आवश्यकता है।
3. बी.बी.ए. पाठ्यक्रम के लिए 20 अतिरिक्त सीट हेतु छात्र संख्या के अनुपात में पुस्तकें क्रय करने की आवश्यकता है।
4. बी.लिब.आई.एससी. हेतु परिनियम 28 के अंतर्गत 2 शिक्षकों की नियुक्ति एवं बी.बी.ए. हेतु परिनियम 28 के अंतर्गत 1 अतिरिक्त शिक्षक के नियुक्ति की आवश्यकता है।

निर्णय : निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।

संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।  
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
03	नवीन शासकीय महाविद्यालय, बेलौदी, जिला-बालोद (छ0ग0)	B.A. -II &III - Hindi, English(F.C.) History, Political Sc., Sociology	80	2014-15 एवं 2015-16	1. प्रो. के.के. घोष, अध्यक्ष, रसायन अध्ययनशाला 2. डॉ. किशोर कुमार अग्रवाल, प्राचार्य, शासकीय महावि. जामगांव-आर 3. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय एवं आचार्य शास.जी.एन.ए. कालेज, भाटापारा
		B.Sc. - II &III - (F.C., Chemistry, Botany, Zoology)	60		
		B.Com.- II &III (Compulsory Subject)	60		

निरीक्षण समिति द्वारा टीप - निरीक्षण तिथि : 19.09.2015

पं.र.शु.वि.वि. के आदेश क्र. 4625/संबद्धता/अका./2015 रायपुर 4.09.2015 के अनुसार दिनांक 19.09.2015 को निरीक्षण समिति में शास. महा. बेलौदी में निरीक्षण किया गया जिसमें B.Sc. - II &III 60 सीट, B.A. -II &III, 80 सीट, एवं B.Com.- II &III के लिये 60 सम्बद्धता हेतु विचार किया गया। यह महाविद्यालय वर्तमान में कक्षाएँ एवं प्रयोगशाला आदि सभी प्राथमिक शाला में संचालित हो रहे हैं, प्राचार्य महोदय के द्वारा दिये गये जानकारी के अनुसार महावि. का स्वयं के भवन के लिये राशि स्वीकृत हो चुका है। निर्माण कार्य प्रगति में है।

महाविद्यालय में स्वीकृत पद 10+1 है सभी पदों में अतिथि प्राध्यापक हैं, किसी भी पद में स्थायी प्राध्यापक नहीं है। वर्तमान में B.Com.- II में-2 एवं III -6, B.Sc. - II 27, III 21 एवं B.A.- II 54 एवं III में 37 छात्र-छात्रा अध्ययनरत है। कुल पुस्तकों की संख्या 3957 है।

महाविद्यालय में प्रयोगशाला में और उपकरणों की आवश्यकता है एवं बी.ए. तथा बी.काम. की पुस्तकों की आवश्यकता है।

**निर्णय :** निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
04	डॉ. बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर महावि. डोंगरगांव	M.A. Final English	30	2015-16	1. डॉ. अब्दुल अलीम खान, शास. महावि. उतई 2. डॉ. अनिता महेश्वर, बॉटनी शास. दिग्विजय महावि. राजनांदगांव 3. डॉ. के.एन. प्रसाद भूगोल, शास. दिग्विजय महावि. राजनांदगांव
		M.Sc. Final Botany	15		
		B.A. III Geography	50		

निरीक्षण समिति द्वारा टीप -- निरीक्षण तिथि : 21.09.2015

आज दिनांक 21.09.2015 को मैंने महाविद्यालय डोंगरगांव का visit किया उपरोक्तानुसार एम.एस.सी. (अंतिम) वनस्पति शास्त्र की सम्बद्धता निम्न बिंदु पर करते हैं -

1. एम.एस.सी. (अंतिम) वनस्पति हेतु पर्याप्त कक्षा एवं फर्नीचर उपलब्ध है।
2. महाविद्यालय के ग्रंथालय में एम.एस.सी. अंतिम वनस्पति हेतु Reference books, Journals एवं पाठ्य पुस्तकें खरीदी जावें।
3. सुचारु रूप से संचालन हेतु 05 सहा. प्राध्यापकों की आवश्यकता है।
4. एम.एस.सी. कक्षा हेतु कुछ और अच्छे Microscope की आवश्यकता होगी।

<p>उपरोक्त पत्र क्र. के अनुसार आज दिनांक 21.09.2015 को शास. महा. डोंगरगांव मे सम्बद्धता हेतु उपस्थित हुआ एवं निम्न निष्कर्ष पर पहुंचे।</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. एम.ए. अंग्रेजी (अंतिम) की कक्षा के लिये पर्याप्त कक्षाये एवं फर्निचर महाविद्यालय में उपलब्ध है।</li> <li>2. महा. के ग्रंथालय में एम.ए. अंग्रेजी की पुस्तकें अपर्याप्त है भविष्य में रेफरेंस बुक्स अधिक खरीदी जावे।</li> <li>3. एम.ए. अंग्रेजी कक्षाओं को सुचारू रूप से संचालन हेतु 05 सहा.प्राध्यापकों की नितांत आवश्यकता है।</li> </ol> <p><b>BA III Geog.</b> I visited Govt. Dr. B.S.B.R. Ambedkar College, Dongargaon to-day 21-09-2015 for Affiliation of BA III Geog. I recommend the affiliation on the following basis;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. More than sufficient no. of students, i.e. strenght in all Geography class.</li> <li>ii. Enough infrastructure i.e. seating capecity, rooms, furniture.</li> <li>iii. Sufficient number of books for geography students.</li> <li>iv. Required instruments available in the lab (Geog.).</li> </ol>
--

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
05	शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर	M.Sc. Prev. Physics (Ist & IInd Sem.)	25	2015-16	1. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय एवं आचार्य, भू विज्ञान अध्ययनशाला 2. डॉ. आर.सी. अग्रवाल, आचार्य, भौतिकी अ.शा. 3. डॉ. (श्रीमती) नमिता ब्रम्हे, आचार्य, भौतिकी अ. शा.
<p>निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 10.10.2015 – शासन का आदेश क्र. एफ 3-55/2015/38-1 दिनांक 21.08.2015</p> <p>महाविद्यालय B.Sc. पाठ्यक्रम 1958 से चलता है। Physics में दो Asstt. Prof. वर्तमान में कार्यरत हैं। एवं दो Asstt. Prof. Ad hoc कार्य कर रहे हैं।</p> <p>Library facilities are also available. M.Sc. Ist Sem. के लिये प्रायोगिक कार्य हेतु सुविधाएँ उपलब्ध है।</p>					

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
06	शास. रानी अवंतीबाई लोधी महाविद्यालय, महावि. घुमका, जिला-राजनांदगांव	B.Sc. -I year (Bio. Group Zoology, Botany, Chemistry)	60	2015-16	1. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय एवं आचार्य, भू विज्ञान अध्ययनशाला 2. डॉ. एच.के. पाठक, आचार्य, गणित अ.शा. 3. डॉ. आर.एन. बघेल, आचार्य, भौतिकी अ.शा. 4. डॉ. दीपक कारकून, प्राचार्य, शास. वा.वा. पाटणकरण कन्या स्नातकोत्तर महा. दुर्ग
		B.Sc. -I year (Maths Group Maths, Physics, Chemistry)	60		

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि: 9.10.2015 --शासन का आदेश क्र. 198/69/आउशि/योजना/15  
दिनांक 31.07.2015

1. बी.एस.सी. प्रथम वर्ष बायो-60 सीट एवम् गणित-60 सीट हेतु क्लासरूम अधोसंरचना पर्याप्त है।
2. प्रत्येक विषय हेतु एक-एक सहायक प्राध्यापक एवम् प्रयोगशाला परिचारक के पद स्वीकृत हैं। परन्तु वर्तमान में अतिथी सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं।
3. ग्रंथालय में पुस्तकों की संख्या पर्याप्त है।
4. महाविद्यालय में प्रयोगशाला संबंधी सुविधाएं अपर्याप्त हैं। परन्तु महाविद्यालय प्रशासन द्वारा 3 माह में सुविधाये उपलब्ध करा दी जायेगी। (संलग्न)

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
07	जी.डी. रूंगटा कालेज ऑफ साइंस एंड टेक्नॉलॉजी भिलाई जिला-दुर्ग	B.Com.-III (Computer Appli.)		2012-13	1. डॉ. पी.सी. अग्रवाल, प्राचार्य, शास. जे.योगानंदम छत्तीसगढ़ महावि. रायपुर 2. डॉ. संजय कुमार, सह प्राध्यापक, कम्प्यूटर अध्ययनशाला
		B.B.A.-III		2014-15	1. प्रो. आर.पी. दास, प्रबंधन संस्थान, पं.र.शु.वि. रायपुर
		B.Sc.-III			2. डॉ. संजय कुमार, सह प्राध्यापक, कम्प्यूटर अध्ययनशाला
		B.C.A.-III			3. डॉ. अरविंद गिरोलकर, प्राचार्य, शास. दु.ब. महिला महा. रायपुर

B.Com.-III (Computer Appli.)

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 10.10.2015, शासन का आदेश क्र. 324/आउशि/अशौ.प्र./2015  
दिनांक 16.03.2015

1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है।।
2. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 60 कम्प्यूटर हैं, जो कि पर्याप्त है।
3. Licensed Software पर्याप्त है।
4. परिनियम 28 के अंतर्गत Commerce में एक और Computer में 2 शिक्षक हैं। दोनों विषयों में परिनियम 28 में 1-1 और शिक्षक नियुक्त किये जाने की आवश्यकता है।
5. पुस्तकालय में Computer Science की 669 पुस्तकें और Commerce विषय की 384 पुस्तकें हैं। छात्र संख्या के अनुपात में पाठ्यक्रम के अनुसार कुछ और पुस्तक क्रय करने की आवश्यकता है।

B.B.A.-III, B.Sc.-III, B.C.A.-III

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 10.10.2015,

पत्र क्र. 4535/अका./2015 दिनांक 21.08.2015 के अनुक्रम में निरीक्षण किया और पाया :-

सत्र 2014-15, B.B.A.-III, B.Sc.-III, B.C.A.-III

1. अधोसंरचना पर्याप्त है।
2. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 60 कम्प्यूटर हैं, जो कि पर्याप्त है। Licensed Software भी है।
3. परिनियम 28 में प्रबंध में एवं कम्प्यूटर साइंस में 2-2 शिक्षक हैं। प्रबंध एवं कम्प्यूटर विज्ञान में 1-1 और शिक्षक की आवश्यकता है।
4. पुस्तकालय में कम्प्यूटर की 669 पुस्तकें हैं। छात्र अनुरूप में प्रबंध एवं कम्प्यूटर की किताबें और क्रय करने की आवश्यकता है।

निर्णय : निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन में उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति करने के शर्त पर सम्बद्धता प्रदान किये जाने की अनुशंसा की गई।  
संबंधित महाविद्यालय समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निर्देशों का पालन करेंगे।  
परिनियम 28 के तहत आवश्यक शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति तीन माह में पूर्ण करें।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
08	शास. कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा, जिला-बेमेतरा	B.Com. -III	60	2014-15	1. प्रो. ए.के. श्रीवास्तव, प्रबंधन संस्थान, पं.र.शु.वि. रायपुर 2. डॉ. अंजनी कुमार शुक्ल, प्राचार्य, शास. डी.एस. व्ही. संस्कृत महावि. रायपुर 3. डॉ. एस.व्ही. के. प्रसाद, प्राचार्य, शास. नागार्जुन विज्ञान स्नातकोत्तर महावि. रायपुर
		B.A. -III (F.C., Economics, Sociology, Political Sc.)	60		
		B.Sc. -III - (F.C., Physics, Chemistry, Maths)	60		

निरीक्षण समिति द्वारा टीप -- निरीक्षण तिथि : 10.10.2015

विश्वविद्यालय का पत्र क्र. 4665/अका./2015 दिनांक 08.09.2015 के संदर्भ में नवीन कन्या महाविद्यालय, बेमेतरा का आज दिनांक 10.10.2015 को निरीक्षण किया गया।

- वर्तमान में महाविद्यालय कन्या उ.मा. शा. में संचालित है, जिसमें 6 कमरों में संचालित है, महाविद्यालय का भवन निर्माणाधीन है।
- शासन द्वारा शिक्षकों एवं प्राचार्य का पद स्वीकृत है, जिसमें प्राचार्य एवं एक नियमित शिक्षक कार्यरत हैं, शेष अतिथि प्राध्यापक कार्यरत है।
- पुस्तकालय में छात्र संख्या के आधार पर पुस्तकें क्रय किये जाने की आवश्यकता है।  
बी.ए. III 60, बी.काम. III 60 सीट, बी.एस.सी. III 60 सीट का अनुमोदन किया जाता है, आवश्यक जानकारी संलग्न।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
09	शासकीय महाविद्यालय फिंगेश्वर	B.A. -III - Hindi, English (F.C.), Sociology, Political Sc., Geography	60	2015-16	1. प्रो. एन.के. बाघमार, भूगोल अध्ययनशाला 2. डॉ. एस.व्ही.के. प्रसाद, प्राचार्य, शास. नागार्जुन पीजी विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर 3. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय एवं आचार्य, वाणिज्य, शास. जी.एन.ए. महा. भाटापारा
		B.Sc. -III - (F.C., Chemistry, Botany, Zoology)	60		
		B.Com. -III - (Compulsory Subject)	60		



निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि: 14.10.2015 –

शासकीय महाविद्यालय फिंगेश्वर अभी हाई स्कूल के भवन में संचालित हो रहा है। नवीन भवन पूर्णता की ओर है आगामी वर्ष में हस्तांतरित होने की संभावना है। छात्र उपयोगी फर्निचर पर्याप्त है। (400+400) महाविद्यालय के ग्रंथालय में 4500 पुस्तकें उपलब्ध हैं छात्रों की आवश्यकताएं पूर्ण होती हैं, ग्रंथपाल का पद नहीं है। प्राचार्य के अतिरिक्त एक सहायक प्राध्यापक नियमित एवं नौ सहायक प्राध्यापक अतिथि के रूप में कार्यरत है। समस्त विषयों की प्रयोगशाला सामग्री पर्याप्त है। कार्यालयीन स्टाफ पर्याप्त है। अधोसंरचना संबंधी समस्त साक्ष्य महाविद्यालय द्वारा प्रमाणित छायाप्रति में संलग्न हैं। वर्ष 2015-16 (बी.ए.-III, बी.काम.-III एवं बी.एस.-सी-III) की सम्बद्धता हेतु महाविद्यालय में पर्याप्त अधोसंरचना है।

निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।

### स्थायी सम्बद्धता हेतु प्रकरण

03. निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर निम्नलिखित महाविद्यालयों को उनके नाम के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार स्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में विस्तृत टीप के साथ, सूची निम्नानुसार है –

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
1.	शासकीय नवीन महाविद्यालय, गुरुर, जिला-बालोद	B.Sc. Chemistry Botany, Zoology	22	2015-16	1. प्रो. के.के. घोष, अध्यक्ष, रसायन अध्ययनशाला 2. डॉ. एस.व्ही. के. प्रसाद, शास. नागार्जुन पीजी साइंस कालेज, रायपुर 3. डॉ. कांति चौबे, शास.व्ही.वाय.टी. कालेज, दुर्ग
		B.A. (F.C.. Political Sc., Geography, Sociology)			1. डॉ. ए.के. पाण्डेय, सकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं आचार्य, अर्थशास्त्र अ.शा. 2. डॉ. प्रमोद शर्मा, आचार्य, समाजशास्त्र, अ.शा. 3. डॉ. एन.के. बाघमार, आचार्य, भूगोल अ.शा.
		B.Com. Compulsory Subject			1. डॉ. आर.पी. दास, प्रबंधन संस्थान, प.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. ओ.पी. चंद्राकर, वाणिज्य, शासकीय जी.एन. ए. महावि. रायपुर

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 22.09.2015 एवं 19.09.2015

#### B.Sc.

पं. रविशंकर शुक्ल वि.वि. रायपुर के पत्र क्रमांक 4685/दि. 10.09.2015 के अनुसार बी.एस.सी. (रसायन, वनस्पति, प्राणीशास्त्र) का स्थायी सम्बद्धता हेतु आज दिनांक 22.09.2015 को निरीक्षण किया गया –

- महाविद्यालय की अधोसंरचना पर्याप्त है। स्वयं का भवन एवं 12 एकड़ भूमि है।
- विज्ञान विषय के स्वीकृत पद 3 के विरुद्ध -1 नियमित (वनस्पति शास्त्र) 2 अतिथि व्याख्याता (रसायन एवं प्राणीशास्त्र) कार्यरत हैं। हिंदी में एक नियमित एवं अंग्रेजी में (अतिथि व्याख्याता) है।
- वर्तमान सत्र 2015-16 में छात्र संख्या-I-172, II-43, III-64 है।
- विज्ञान विषय में पुस्तकों की संख्या-4518 एवं पर्यावरण में 549 है।  
पाठ्यक्रम के हिसाब से पुस्तकों का क्रय किया जाना उचित है। रसायन, वनस्पति एवं प्राणीशास्त्र की एक-एक प्रयोगशाला है।  
पाठ्यक्रम के अनुसार आधुनिक उपकरण क्रय किया जाना आवश्यक है। स्थायी सम्बद्धता हेतु पात्र है।

कार्यवृत्त – विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.10.2015

**B.A.**

विश्वविद्यालय के आदेश क्रमांक 4685/दि. 10.09.2015 के तहत बी.ए. आ.पा., राज.वि., समाजशास्त्र, विषय में सत्र 2015-16 में स्थायी सम्बद्धता हेतु आज दिनांक 19.09.2015 को शा. नवीन महाविद्यालय गुरुर जिला-बालोद (छ.ग.) का निरीक्षण किया गया जिसमें निम्न तथ्य पाये गये-

- पाठ्यक्रम का अस्थायी सम्बद्धता का 5 वर्ष पूर्ण हो चुका है।
- महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है, जिसमें पर्याप्त क्लासरूम एवं फर्नीचर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त ग्रंथालय, प्राचार्य कक्ष, जिम, कार्यालय, कामन रूम, लेट-बाथ की सुविधा उपलब्ध है। इनमें शिक्षकों के 05 पद (02 नियमित, 03 संविदा) एवं गैर शिक्षकीय के 07 पद भरे हैं।
- कॉलेज में कालेज परिषद् (जनभागीदारी समिति) है। तथा महाविद्यालय ने NAAC हेतु आवेदन किया है। ग्रंथागार में हिन्दी (1168), अंग्रेजी (430), पर्यावरण (549), समाजशास्त्र (1319), राज.शास्त्र (1846) एवं भूगोल (878) की पर्याप्त पुस्तकें हैं।
- महाविद्यालय में ग्रंथपाल एवं क्रीडा अधिकारी नहीं है। राजनीति विज्ञान, भूगोल में 1-1 संविदा, समाजशास्त्र एवं हिन्दी में 1-1 नियमित तथा अंग्रेजी में एक संविदा शिक्षक पदस्थ है।

आवश्यक कार्यवाही हेतु जानकारी प्रस्तुत है।

**B.Com.**

Committee visited Govt. Navin College, Gurur on 19<sup>th</sup> Sept. 15. It was found that :

1. The College has a good building, Campus, Class Rooms, Library, internet Connection and furniture's required for enrolled students in the College.
2. While College has 7 permanent staff (non-teaching) but only 3 teaching staff (permanent) are working here and remaining teaching work load is taken care of by the Guest Lectures.
3. The College has a Permanent (Regular) Principal.
4. Books are sufficient for commerce subject  
Since it is a government college, university can think of giving Permanent Affiliation to this College.

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
2	शासकीय महाविद्यालय खेरथा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)	B.A.- Subject- F.C., Sociology, Political Sc. Geography	60	2015-16	1. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं आचार्य, अर्थशास्त्र अ.शा. 2. डॉ. (श्रीमती) अंजना ठाकुर, शास. दिग्विजय महावि. राजनांदगांव 3. डॉ. एन.के. बाघमार, आचार्य, भूगोल अध्ययनशाला

निरीक्षण समिति द्वारा टीप - निरीक्षण तिथि : 26.09.2015

विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 4633/अका./स्थायी सम्ब./2015, रायपुर दिनांक 04.09.2015 के परिप्रेक्ष्य में आज दिनांक 26.09.2015 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा निम्न तथ्य पाये गये :

1. महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है जिसमें पर्याप्त कक्ष एवं फर्नीचर उपलब्ध है।
2. अस्थायी सम्बद्धता का पाँच वर्ष पूर्ण हो चुका है।
3. बी.ए. भाग - I, II, एवं III में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 96, 120 एवं 83 है। कला एवं सामाजिक संकाय विषय में कुल 02 नियमित एवं 05 अतिथि सहायक प्राध्यापक कार्यरत हैं। इन विषयों में पुस्तकों की कुल संख्या 5062 है जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पर्याप्त है।
4. महाविद्यालय परिषद् (जनभागीदारी समिति) कार्यरत है।
5. भूगोल प्रायोगिक कार्य हेतु अतिरिक्त उपकरण क्रय करने की आवश्यकता है।

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
3	शासकीय एकलव्य महावि. डौण्डी लोहारा, जिला-बालोद	B.A.-(FC. Political Sc., Economics, Hindi Lit., Geography		2015-16	1. डॉ. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं आचार्य, अर्थशास्त्र अ.शा. 2. डॉ. (श्रीमती) अंजना ठाकुर, शास. दिग्विजय महावि. राजनांदगांव 3. डॉ. के.एन. प्रसाद, शास. दिग्विजय महावि. राजनांदगांव
		B.Sc. Chemistry, Botany, Zoology, Microbiology			1. डॉ. ए.के. गुप्ता, आचार्य, जैविकी अध्ययनशाला, 2. प्रो. के.के. घोष, अध्यक्ष, रसायन अध्ययनशाला 3. डॉ. माया शेडपुरे, अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल एवं आचार्य, शास. दू.ब. महिला स्नातकोत्तर महा. रायपुर
		B.Com. Compulsory Subject			1. प्रो. ए.के. श्रीवास्तव, प्रबंधन संस्थान, पं.र.शु.वि. रायपुर 2. डॉ. ओ.पी. चन्द्राकर, संकायाध्यक्ष, वाणिज्य संकाय एवं प्राध्यापक, शा.जी.एन.ए. महा. भाटापारा 3. डॉ. डी.के. पाण्डेय, अर्थशास्त्र, शासकीय महाविद्यालय, तिल्दा

निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 12.09.2015

विश्वविद्यालय के पत्र क्र. 4610/अका./स्थायी सम्ब./2015 बी.ए. अर्थशास्त्र एवं हिन्दी विषय, सत्र 2015-16 में स्थायी सम्बद्धता के संदर्भ में आज दिनांक 12.09.2015 को महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया तथा निम्न तथ्य पाये गये –

अर्थशास्त्र एवं हिन्दी विषयों में (प्रत्येक में दो) एक-एक नियमित एक-एक अतिथि व्याख्याता पदस्थ है। अर्थशास्त्र विषय में कुल 1100 पुस्तकें तथा हिन्दी विषय में कुल 900 पुस्तकें हैं। कक्षा एवं फर्नीचर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। महाविद्यालय का अपना स्वयं का भवन है।

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु निरीक्षण दल की रिपोर्ट प्रस्तुत है।

निरीक्षण तिथि : 08.09.2015

निम्न बिंदुओं के आधार पर स्थायी सम्बद्धता की अनुशंसा की जाती है –

1. राजनीति विज्ञान विषय में एक सहायक प्राध्यापक स्थायी पद पर है।
2. राजनीति शास्त्र विभाग में कुल 424 नियमित विद्यार्थी हैं।
3. ग्रंथालय में पर्याप्त पुस्तकें हैं। जर्नल एवं शोध पत्रिकाएं मंगाए जाने की अनुशंसा की जाती है।
4. कक्षाएं पर्याप्त हैं।
5. फर्नीचर पर्याप्त है।
6. विद्यार्थियों की संख्या को देखते हुए प्राध्यापक, विद्यार्थी अनुपात अधिक है। 1:424 लेकिन यह तीन भागों में बंटा है।
7. महाविद्यालय की अधोसंरचना पर्याप्त है।

I recommend for Permanent Affiliation on the basis of the following observations during the inspection of the college.

1. There is one Permanent Teacher against one sanctioned Post.
2. Total strength of students offering Geography is 340 which is quite enough.
3. Teacher student ratio is very high 1:340. But it is manageable as it divided in Pat-I, II & III
4. There is sufficient number of class-rooms.
5. There is required furniture available.
6. Department is rich in terms of instruments required for practical's.
7. Books for teaching learning are good in numbers.

<p>निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 07.09.2015, 12.09.2015 शास. एकलव्य महा. डौंडी लोहारा के प्राणी शास्त्र विभाग में दिनांक 7.9.15 को निरीक्षण उपरांत वर्तमान व्यवस्था निम्नानुसार है :</p> <p><b>प्राणी शास्त्र</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• शैक्षणिक स्टॉफ में केवल 1 अतिथि व्याख्याता कार्यरत है।</li> <li>• प्रयोगशाला तकनीशियन व सहायक का पद रिक्त है।</li> <li>• प्रयोगशाला सामग्री व उपकरण की व्यवस्था पर्याप्त नहीं है।</li> <li>• पुस्तकालय में पर्याप्त संख्या में पुस्तकों की उपलब्धता नहीं है।</li> </ul>					
<p>पं.रवि.वि रायपुर के पत्र क्र. 4610/अका./स्थायी सम्ब./2015 दिनांक 02.09.2015 के अनुसार दिनांक 12.09.2015 शासकी एकलव्य महाविद्यालय, डौण्डी लोहारा का निरीक्षण बी.एस-सी. (रसायन/वन./प्राणी/Micro Bio.) के लिए किया गया। वर्तमान सत्र में BSc-I 100, BSc-II 50 तथा B.Sc.-III 67 छात्र हैं। प्रतिवेदन निम्नानुसार है :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. रसायन शास्त्र के एक स्वीकृत पद पर वर्तमान में एक अतिथि व्याख्यात कार्य कर रहा है।</li> <li>2. महाविद्यालय का अधोसंरचना पर्याप्त है।</li> <li>3. रसायन शास्त्र प्रायोगिक कार्य के लिए केवल एक प्रयोगशाला है।</li> <li>4. पुस्तकालय में रसायन शास्त्र के पुस्तक उपलब्ध है। परन्तु और भी पुस्तकें क्रय करना चाहिए।</li> <li>5. प्रभारी प्राचार्य कार्य कर रहे हैं।</li> </ol> <p>पं. रवि.वि द्वारा अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किया जा सकता है।</p>					
<p><b>बी.काम.</b> विश्वविद्यालय के आदेश क्र. 4610/अका./स्थायी सम्ब./2015 दिनांक 02.09.2015 के संदर्भ में बी.काम. हेतु दिनांक 12.09.2015 को निरीक्षण किया –</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. शासकीय एकलव्य महा. डौण्डी लोहारा में बी.काम. 60 सीट प्रथम वर्ष 2006-07 में अस्थायी मान्यता प्रदान की गयी थी किन्तु बी.काम. प्रथम वर्ष में 8 छात्रों के साथ सत्र 2012-13 में परीक्षाएं प्रारंभ हुयीं।</li> <li>2. महा. भवन का निर्माण हो चुका है एवं शासन द्वारा वाणिज्य विषय हेतु 1 पद स्वीकृत है एवं पद भरा हुआ है।</li> <li>3. महा. के पुस्तकालय में वाणिज्य विषय की कुल 560 पुस्तकें उपलब्ध हैं।</li> <li>4. महा. में अभी तक किसी राष्ट्रीय एजेंसी (नैक) का मूल्यांकन नहीं हुआ है।</li> </ol>					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
4	स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको, भिलाई	B.C.A. B.Sc. (FC. Chemistry, Zoology, Biotechnology)		2015-16	1. प्रो. आर.पी. दास, प्रबंधन संस्थान,पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 2. प्रो. ए.के. श्रीवास्तव, प्रबंधन संस्थान,पं.र.शु.वि.वि. रायपुर 3. प्रो. सपन कुमार शर्मा, शास. व्ही.वाय.टी. पीजी कालेज, दुर्ग
		B.B.A.			

B.C.A. एवं B.Sc.

स्वामी श्री स्वरूपानंद सरस्वती महाविद्यालय, आमदी नगर, हुडको, भिलाई में संचालित बी.सी.ए. (सभी अनिवार्य विषय), बी.एस.सी. (FC, Chemistry, Zoology, Biotechnology) पाठ्यक्रमों की स्थायी सम्बद्धता के संबंध में विनियम 129 के पालन के संबंध में पुनः परीक्षण का निर्णय विद्यापरिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2014 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 23.06.2014 में लिया गया था। जिसके अनुसार पुनः परीक्षण किया गया। (प्रतिवेदन संलग्न है।)

B.B.A.

बी.बी.ए. हेतु निरीक्षण समिति का प्रतिवेदन –

B.B.A. की स्थायी सम्बद्धता हेतु निरीक्षण किया

1. महाविद्यालय में अधोसंरचना पर्याप्त है। विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत गैर-शैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्ति की ई है, भुगतान बैंक के माध्यम से होता है।
2. महाविद्यालय में B.B.A. भाग- 1 की अस्थायी सम्बद्धता सत्र 2015-06 में 30 सीट से दी गई थी, सत्र 2007-8 में सीट संख्या 30 से 70 कर दी गई है। सत्र 2012-13 में सीट संख्या 100 दी गई। अतः स्थायी सम्बद्धता पाठ्यक्रम को पाँच वर्ष पूर्ण हो गये हैं। लेकिन कितनी सीटों को मान्य किया जाने स्पष्ट नहीं है।
3. विश्वविद्यालय परिनियम 28 के तहत केवल 02 शिक्षकों की नियुक्ति प्रबंध पाठ्यक्रम हेतु की गई है जो अपर्याप्त है।
4. 100 सीटों के लिये पुस्तकें कम है।

**निर्णय :** उपरोक्त महाविद्यालयों के स्थायी सम्बद्धता के प्रकरण पर विचार करने हेतु आगामी कार्यपरिषद् की बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

04. एन.सी.टी.ई. के नवीन रेगुलेशन 2014 के अनुसार एम.एड. में 35 सीट संख्या के स्थान पर 50 सीट किये जाने पर विचार करना।

**निर्णय :** एन.सी.टी.ई. के नवीन रेगुलेशन 2014 के अनुसार एम.एड. में 35 सीट संख्या के स्थान पर 50 सीट किये जाने के संबंध में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् भोपाल का पत्र क्र. WRC/2-33/2015/152680 दिनांक 11.09.2015 के द्वारा की गई अनुशंसा का अनुमोदन किया गया।

05. पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर को अपने नवीन भवन में स्थानांतरित करने पर विचार करना।

**निर्णय :** छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर ने अपने पत्र क्रमांक 3859/670/2011/38-2 रायपुर, दिनांक 30.09.2015 के अनुसार पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, शंकर नगर, रायपुर को अपने नवीन भवन, पं. हरिशंकर शुक्ल स्मृति महाविद्यालय, मेन रोड-कचना, तहसील व जिला-रायपुर में स्थानांतरित करने की अनुशंसा की गई।

06. एन.सी.टी.ई. भोपाल के द्वारा कमलाकांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, देवरी रोड, भाटापारा के अंग्रेजी के नाम Kamal Kant के स्थान पर Kamla Kant करने की सूचना ग्रहण करना।

**निर्णय :** एन.सी.टी.ई. भोपाल के द्वारा कमलाकांत शुक्ल इंस्टीट्यूट, देवरी रोड, भाटापारा के अंग्रेजी के नाम Kamal Kant के स्थान पर Kamla Kant करने की सूचना ग्रहण किया गया।

07. राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान हाजीपुर बिहार से M.S. Pharma को Ph.D. के लिये पात्रता प्रमाण पत्र दिये जाने पर विचार करना।

निर्णय : अमान्य किया गया।

08. सत्र 2015-16 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची :-  
शासकीय महाविद्यालय

1	शास. कला एवं विज्ञान महाविद्यालय, कोहका, (तिल्दा-नेवरा), जिला-रायपुर (2014-15 एवं. 2015-16)
2	शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय, रायपुर
3	शास. बी.पी. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, आरंग, जिला-रायपुर (2014-15 एवं. 2015-16)
4	शासकीय महाविद्यालय, बोरी, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
5	शास. महाविद्यालय, मिलाई-3, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
6	शास. दानवीर तुलाराम महाविद्यालय, उतई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
7	शास. शिवनाथ साईस महाविद्यालय, राजनांदगांव (छ.ग.)
8	शास. महाविद्यालय, खैरागढ़ जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
9	शास. कुज बिहारी चौबे महा., लालबहादुर नगर जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
10	वीरांगना अवंति बाई शास. महा. छुईखदान, जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
11	शास. बृजलाल वर्मा महाविद्यालय, पलारी, जिला- बलौदाबाजार
12	शासकीय महाविद्यालय, फिगेश्वर, जिला-गरियाबंद
13	शास. स्व. डी.आर.एस. महा. कसडोल, जिला-रायपुर
14	शास. जी.एन.ए. कॉलेज, भाटापारा, जिला-रायपुर
15	शास. महाप्रभु वल्लभाचार्य पी.जी. महाविद्यालय, महासमुंद
16	शास. मिनिमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजा, जिला- बलौदाबाजार
17	शास. दिग्विजय स्नातकोत्तर स्वशासी महाविद्यालय, राजनांदगांव जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
18	शास. डिग्री महाविद्यालय, रामाटोला जिला-राजनांदगांव
19	शास. राजीवलोचन महा. राजिम, जिला-गरियाबंद
20	शास. कचन धुरवा महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला-गरियाबंद
21	नवीन शास. कालेज भखारा, जिला-धमतरी
1	नवीन शासकीय विधि महाविद्यालय, भाटापारा, जिला-बलौदाबाजार
2	शास. नारायण राव मेघावले. कन्या महाविद्यालय धमतरी
3	शास. स्व. सी.एल.एस. महा. धमतरी
4	शासकीय महाविद्यालय, लवन (बलौदाबाजार), जिला- बलौदाबाजार
5	शास. गजानंद माधव मुक्तिबोध महा. सहसपुर लोहारा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
6	शासकीय राजमाता विजयाराजे सिंधिया कन्या महाविद्यालय कवर्धा, जिला-कबीरधाम (छ.ग.)
7	नवीन शासकीय महाविद्यालय, साल्हेवारा जिला-राजनांदगांव

अशासकीय महाविद्यालय

1	प्रज्ञा कला एवं वाणिज्य महा. रत्नाबांधा, धमतरी (छ.ग.)
2	श्री रामेश्वर गहिरा गुरु संस्कृत महाविद्यालय, सामरवार, दुर्गापुर, जशपुर (छ.ग.)
3	सैंचुरी सिमेंट महाविद्यालय, बैकुण्ठ (तिल्दा), जिला-रायपुर (छ.ग.)
4	दिशा विधि महाविद्यालय, सत्य विहार, विधानसभा चंद्रखुरी मार्ग, रायपुर
5	अभ्युदय कालेज, चंद्रखुरी फार्म, रायपुर (छ.ग.)
6	वंदेमातरम् महाविद्यालय, पुराना नूतन स्कूल, गणेश चौक, धमतरी (छ.ग.)
7	रामचण्डी महाविद्यालय, बगईजोर, सराईपाली (छ.ग.)
8	कर्मा माता कला, वाणिज्य एवं विज्ञान महाविद्यालय, जामगांव (आर) जिला-दुर्ग (छ.ग.)
9	एलिगेन्ट कॉलेज, मोतीनाथ मंदिर कैम्पस, भरकापारा, राजनांदगांव (छ.ग.)
10	कचन धुरवा, महाविद्यालय, छुरा (राजिम) जिला-रायपुर (छ.ग.)

11	पं. रामसखा उपाध्याय महाविद्यालय एकता नगर, गुदियारी, रायपुर (छ.ग.)
12	क्रुति स्कूल आफ बिजनेस मैनेजमेंट, चंद्रखुरी फार्म, रायपुर (छ.ग.)
13	शांति निकेतन महाविद्यालय, पानी टंकी के पास, चंगोराभाटा, रायपुर छ0ग0
14	सेठ आर.सी.एस. कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
15	सेठ आर.सी.एस. विधि महा. दुर्ग (छ.ग.)

#### अशासकीय बी.एड. महाविद्यालय

1	कोलम्बिया कालेज, प्लाट नं.-97, ग्राम-टेकारी, पो.आ.-मांडर, जिला-रायपुर (छ.ग.) 493111
2	आर.आई.टी.ई.ई. कालेज ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-483/1, पं.शु.वि.वि. जिम्नशियम के सामने, डुमर तालाब, कांगेर वैली एकेडमि, रायपुर (छ.ग.)
3	शाम्भवी स्कूल ऑफ एजुकेशन, प्लाट नं.-334/1,334/2, स्ट्रीट-देवरभाटा, ग्रा.-धुसेरा, पो.-अभनपुर, रायपुर
4	रायल कालेज लालबाग, राजनांदगांव (छ.ग.)
5	सेठ बद्रीलाल खण्डेलवाल शिक्षा महाविद्यालय, गौरवपथ, उतई रोड, दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.)

#### अशासकीय बी.एड. एवं अन्य विषय संचालित महाविद्यालय

1	सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महा. नवापारा (राजिम) जिला-रायपुर (छ.ग.)
2	दिशा कालेज आफ मैनेजमेंट, स्टडिज, सत्यविहार, विधान सभा, चंद्रखुरी मार्ग, बलौदाबाजार, मार्ग, रायपुर
3	जय हिंद महाविद्यालय, लोहानी बिल्डींग, महासमुंद (छ.ग.)
4	गुरुकुल इस्टिट्यूट देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
5	मिलाई नायर समाजम महाविद्यालय, मिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
6	जी.एस. आर्य कन्या महाविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
7	सेठ विसेंट पैलोटी महाविद्यालय, कांपा, रायपुर (छ.ग.)
8	देव संस्कृति महाविद्यालय, गायत्री विद्यापीठ, सेक्टर-6, मिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
9	इस्टिट्यूट आफ टेक्नालॉजी एंड साइसेस देवभोग रोड, गरियाबंद, जिला-गरियाबंद (छ.ग.)
10	रूंगटा कॉलेज आफ साइंस एंड टेक्नालॉजी दुर्ग (छ.ग.)
11	मिलाई मैत्री महाविद्यालय, रिसाली, मिलाई जिला-दुर्ग (छ.ग.)
12	मिलाई कॉलेज आफ इफॉर्मेशन टेक्नालॉजी वार्ड नं.-4, दुर्गा मंदिर वार्ड, जामुल, मिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

निर्णय : सत्र 2015-16 के लिये वार्षिक अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने की अनुशंसा की जाती है।

#### अध्यक्ष की अनुमति से अन्य निर्णय

01. विश्वविद्यालय में सन् 2012 में प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्तियों हेतु विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों का शैक्षणिक विवरण का Precis के लिए उपयोग में लाई गई संलग्न प्रपत्रों को वर्ष 2016 से नियुक्तियों के लिए उपयोग में लाने हेतु अनुमोदन करने पर विचार करना।

निर्णय : वर्ष 2016 से नियुक्तियों के लिए संबंधित प्रोफार्मा को अध्यादेश क्र. 04 एवं संबंधित रेगुलेशन क्र. 134 के अनुसार परीक्षण कर अंतिम रूप देने हेतु निम्नानुसार समिति गठित किया जावे -

1. डॉ. ए.के. पति, डायरेक्टर, IQAC
2. डॉ. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, संकायाध्यक्ष, विज्ञान संकाय
3. डॉ. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय

समिति द्वारा अनुशंसित प्रोफार्मा को सीधे कार्यपरिषद् में प्रस्तुत किया जावे।

02. उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु Minimum Qualification के लिए यू.जी.सी. से प्राप्त पत्र  
 (A) पत्र क्र. D.O.F. No. 3-2/2009(PS) 4<sup>th</sup> August 2015  
 (B) पत्र क्र. D.O. No. F. 12-1/2010(PS) 17<sup>th</sup> August 2015  
 पर विचार करना।

निर्णय : उच्च शिक्षा में गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षकों की नियुक्ति हेतु Minimum Qualification के लिए यू.जी.सी. से प्राप्त निम्नलिखित पत्र को अंगीकृत किया गया --

(A) पत्र क्र. D.O.F. No. 3-2/2009(PS) 4<sup>th</sup> August 2015

(B) पत्र क्र. D.O. No. F. 12-1/2010(PS) 17<sup>th</sup> August 2015

(C) पत्र क्र. D.O. No. 1-15/2015(CPP-II) 17<sup>th</sup> August 2015

(D) F. 17-6/2013(PS/Misc) September 2015- Clarification of FAQ on UGC Regulation 2009.

नियुक्ति के लिए समय-समय पर यू.जी.सी. से प्राप्त पत्रों को अंगीकृत करने के पूर्व परीक्षण कर अभिमत हेतु अध्यक्ष की अनुमति की कंडिका क्रमांक 1 पर गठित समिति के द्वारा किये जाने की अनुशंसा की गई।

03. सत्र 2015-16 से शासन द्वारा स्वीकृत शासकीय आदर्श महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन पर विचार करना।

(1) शासकीय मॉडल कॉलेज, दुर्ग

(2) शासकीय मॉडल कॉलेज, राजनांदगांव

निर्णय : निरीक्षण समिति के प्रतिवेदन के आधार पर शासकीय आदर्श महाविद्यालय दुर्ग एवं शासकीय आदर्श महाविद्यालय, राजनांदगांव के सम्मुख दर्शित कक्षा/विषय, छात्र संख्या एवं सत्रानुसार अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने के संबंध में निम्नानुसार निर्णय लिया गया --

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
1.	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, दुर्ग	B.Sc. -I (FC, Maths, Physics, Computer Sc.	50	2015-16	1. प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय. खान, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं आचार्य भू विज्ञान अ.शा. 2. प्रो. आर.सी. अग्रवाल, भौतिकी अध्ययनशाला 3. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला
निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 14.10.2015 Govt. Adarsh Vidyalaya is presently running in the Govt. VYT College Durg. Premises, utilizing infrastructures facilities oa the VYT College.					
निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।					



क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
2.	शासकीय आदर्श महाविद्यालय, राजनांदगांव	B.Sc. -I (FC. Maths, Physics, Computer Sc.	50	2015-16	1. प्रो. एम.डब्ल्यू.वाय खान, संकायाध्यक्ष, विज्ञान एवं आचार्य भू विज्ञान अ.शा. 2. प्रो. आर.सी. अग्रवाल, भौतिकी अध्ययनशाला 3. प्रो. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष, सामाजिक विज्ञान संकाय एवं आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला
निरीक्षण समिति द्वारा टीप – निरीक्षण तिथि : 14.10.2015 Govt. Model College, Rajnandgaon is presently running within the campus of Govt. Digvijay College, Rajnandgaon Sharing in their facilities. There is need to atleast one Asstt. Professor in each subject.					
निर्णय : निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।					

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।



कुलपति

अध्यक्ष



कुलसचिव

सचिव

पृ. क्र. 6031 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2015

रायपुर, दिनांक: 19 / 10 / 2015

प्रतिलिपि :-

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय / परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक / अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।

  
उप कुलसचिव (अका.)



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय:- छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय के पत्र अनुसार संविदा वेतन में वृद्धि के संबंध में।

1. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 297/एल 2015-71-00388 /वित्त/नियम/चार दिनांक 23.09.2015 के द्वारा संविदा नियुक्ति हेतु निम्नलिखित वेतनमानों के पदों के लिए संविदा वेतन निर्धारित कर दिनांक 01.09.2015 से प्रभावशील किया गया है:-

क्रं.	संविदा नियुक्ति के पद का वेतनमान		मासिक संविदा वेतन
	पुनरीक्षित बैड	पुनरीक्षित ग्रेड वेतन	
1	2	3	4
1.	4750-7440	1300	8470
2.	4750-7440	1400	8764
3.	5200-20200	1800	9800
4.	5200-20200	1900	10612
5.	5200-20200	2200	12194
6.	5200-20200	2400	13776
7.	5200-20200	2800	15638
8.	9300-34800	4200	18900
9.	9300-34800	4300	20342
10.	9300-34800	4400	23086
11.	15600-39100	5400	29400
12.	15600-39100	6600	35280
13.	15600-39100	7600	41888

छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग के उपरोक्त पत्र अनुसार संविदा वेतन अंगीकृत किये जाने हेतु कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

2. इस विश्वविद्यालय में संविदा सहायक प्राध्यापकों को छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के आदेश क्रमांक 292/289/वित्त/नियम/चार/2009 दिनांक 09.09.2009 के अनुसार घोषित ग्रेड वेतन 5400 का संविदा वेतन रु. 18840/- दिया जा रहा है। अतः छ.ग.शासन उपरोक्त पत्र अनुसार 18840/- के स्थान पर संविदा सहायक प्राध्यापकों को दिनांक 01.09.2015 से 29400/- प्रतिमाह संविदा वेतन कार्यपरिषद अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
3. छ.ग. शासन, वित्त एवं योजना विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक 297/एल-2013-71-00023 /वित्त/नियम/चार दिनांक 27.07.2013 के द्वारा घोषित संविदा वेतन के अनुसार इस विश्वविद्यालय में लेब टेक्नीशियन एवं निम्न वर्ग लिपिक के पद पर संविदा नियुक्ति हेतु निश्चित वेतन 10670/- एवं 8870/- पर पद विज्ञापित किया गया है। इसके स्थान पर लेब टेक्नीशियन के लिए रु.13776/- एवं निम्न वर्ग लिपिक पद के लिए रु. 10612/- दिनांक 01.09.2015 या पदभार ग्रहण की तिथि जो भी बाद हो से संविदा वेतन कार्यपरिषद के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।
4. छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, रायपुर के पत्र क्रमांक एफ 4-2/2015-16/उ.शि./38-1 दिनांक 14.07.2015 में संलग्न संचालनालय के पत्र क्रमांक 255/243/आउशि/अतिथि व्याख्याता/2014

दिनांक 18.07.2014 की कडिका 10 में अंशकालीन शिक्षकों को - अध्यापन कार्य हेतु 40/45 मिनट के एक व्याख्यान के लिए रूपये 200/- प्रति व्याख्यान अधिकतम प्रतिमाह 20800/- मानदेय स्वीकृत किया गया है।

इस विश्वविद्यालय में अंशकालीन शिक्षकों को रू. 300/- प्रति व्याख्यान अधिकतम रू. 15000/- प्रति माह मानदेय दिया जा रहा है।

छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय/संचालनालय के उपरोक्त पत्र अनुसार विश्वविद्यालयीन अंशकालीन शिक्षकों को पूर्व की तरह रू. 300/- प्रति व्याख्यान तथा शासन के उपरोक्त उल्लेखित पत्र अनुसार अधिकतम रू. 20800/- प्रति माह मानदेय कार्यपरिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

वित्त निर्देश 30/2015

छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग  
मंत्रालय

महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक 297/एल 2015-71-00388/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2015  
प्रति,

शासन के समस्त विभाग  
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर  
समस्त संभागीय आयुक्त  
समस्त विभागाध्यक्ष  
समस्त जिलाध्यक्ष  
छत्तीसगढ़

विषय:-राज्य शासन की सेवाओं के विभिन्न पदों पर संविदा वेतन का निर्धारण ।

संदर्भ:-वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 297/एल 2013-71-00023/वित्त/नियम/चार, दिनांक 27 जुलाई, 2013 एवं सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 9-1/2012/1-3, दिनांक 31.12. 2012.


वित्त विभाग के उपरोक्त संदर्भित ज्ञापन दिनांक 27 जुलाई, 2013 द्वारा विभिन्न वेतनमान के पदों के लिए एकजाई संविदा वेतन निर्धारित किया गया है । सामान्य प्रशासन विभाग की संदर्भित अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम, 2012 की कंडिका 12 (2)(क) में प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य शासन द्वारा उक्त दरों को पुनरीक्षित करने का निर्णय लिया गया है, तदनुसार संविदा नियुक्ति हेतु विभिन्न वेतनमान के पदों के लिए निम्नानुसार संविदा वेतन निर्धारित किया जाता है:-

क.	संविदा नियुक्ति के पद का वेतनमान		मासिक संविदा वेतन
	पुनरीक्षित बैंड	पुनरीक्षित ग्रेड वेतन	
1	2	3	4
1.	4750-7440	1300	8470
2.	4750-7440	1400	8764
3.	5200-20200	1800	9800
4.	5200-20200	1900	10612

5.	5200-20200	2200	12194
6.	5200-20200	2400	13776
7.	5200-20200	2800	15638
8.	9300-34800	4200	18900
9.	9300-34800	4300	20342
10.	9300-34800	4400	23086
11.	15600-39100	5400	29400
12.	15600-39100	6600	35280
13.	15600-39100	7600	41888

- 3/ कॉलम 4 में उल्लेखित संविदा वेतन के अतिरिक्त अन्य कोई भी भत्ते देय नहीं होंगे।  
 4/ ये दरें उन संवर्गों के लिए लागू नहीं होंगी जिनके लिए वित्त विभाग की सहमति से अलग से संविदा वेतन निर्धारित किया गया है, वे दरें यथावत् रहेंगी।  
 5/ ये दरें दिनांक 01.09.2015 से प्रभावशील होंगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार

  
(एस0के0 चकवती) 22/09/2015

संयुक्त सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
वित्त एवं योजना विभाग

पृ.क्रमांक 298/एल 2015-71-00388/वित्त/नियम/चार नया रायपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2015

**प्रतिलिपि:-**

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर ।
  2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय, रायपुर ।
  3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, नया रायपुर ।
  4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर।
  5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग/मानवाधिकार आयोग/राज्य निर्वाचन आयोग/लोक आयोग, रायपुर ।
  6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
  7. महालेखाकार, छत्तीसगढ़, रायपुर ।
  8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  9. सचिव, वित्त के निज सचिव, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  10. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर ।
  11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली ।
  12. राज्य सूचना आयुक्त, शास्त्री चौक, रायपुर ।
  13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  14. संचालक, कोष, लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़, नया रायपुर ।
  15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, नया रायपुर ।
  16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेशन, छत्तीसगढ़ ।
  17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़ ।
  18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़ ।
  19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर ।
  20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़ ।
  21. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, नया रायपुर को वित्त विभाग की वेबसाइट [www.cgfinance.nic.in](http://www.cgfinance.nic.in) में अपलोड करने हेतु ।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।



(नीरज कुमार मिश्रा)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

वित्त एवं योजना विभाग

## कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :- **B.Voc** के लिये डीजीएसएंडडी दर पर कम्प्यूटर क्रय करने हेतु ।

वि०वि० द्वारा सत्र 2015-16 से B.Voc. पाठ्यक्रम का कोर्स प्रारंभ कर संचालित किया जा रहा है । उक्त पाठ्यक्रम के संचालन हेतु यूजीसी से राशि स्वीकृत किया गया है । **B.Voc.** में कम्प्यूटर लेब की स्थापना किया जाना है । उक्त लेब के लिये 15 नग कम्प्यूटर की आवश्यकता है ।

कम्प्यूटर डीजीएसएंडडी आयटम कोड-22 एसर एम 200 इंटल कोर आई-3 रू0 35266=00 वेट टेक्स 5% पृथक से देय होगा प्रति नग की दर से 15 नग अधिकृत डिलर में विनायक इंटरप्राइजेस, तेलीबांधा, रायपुर से क्रय करने हेतु केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा अनुशंसा किया गया है । उक्त सामग्री क्रय करने पर रू0 5,55,440=00 व्यय होगा, जिसका भुगतान **B.Voc.** के लिये स्वीकृत बजट से किया जावेगा ।

अतः केन्द्रीय क्रय समिति द्वारा किये गये अनुशंसा के संदर्भ में **B.Voc.** के लिये 15 नग कम्प्यूटर क्रय करने के लिये प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति हेतु कार्य परिषद् के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है ।

14-10-15

## कार्यपरिषद में रखे जाने हेतु संक्षेपिका

विषय :- वार्षिक एवं पूरक परीक्षा 2016 के लिए उत्तर पुस्तिका मुद्रण कराये जाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में विचारार्थ प्रस्तुत ।

विश्वविद्यालय मुद्रणालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार वार्षिक एवं पूरक परीक्षा 2016 के लिए निम्नानुसार उत्तर पुस्तिका की आवश्यकता होगी :—

- |     |                      |                         |
|-----|----------------------|-------------------------|
| 01. | मुख्य उत्तर पुस्तिका | — 26,00,000 नग (26 लाख) |
| 02. | पूरक उत्तर पुस्तिका  | — 20,00,000 नग (20 लाख) |

उपरोक्त के संबंध में सूचित करना है कि सत्र 2014-15 के वार्षिक एवं पूरक परीक्षा हेतु निम्नानुसार उत्तर पुस्तिकाएँ छत्तीसगढ़ संवाद, रायपुर से मुद्रण कराया गया था :—

- |     |                      |                      |
|-----|----------------------|----------------------|
| 01. | मुख्य उत्तर पुस्तिका | — 23,00,000 (23 लाख) |
| 02. | पूरक उत्तर पुस्तिका  | — 12,00,000 (12 लाख) |

अतः सत्र 2015-16 के लिए मुख्य एवं पूरक परीक्षा के लिए उत्तर पुस्तिका का मुद्रण कहां से कराये जाने के संबंध में कार्यपरिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत ।





## पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

विषय :- तृतीय श्रेणी के निम्न वर्ग लिपिक के पद पर संविदा नियुक्ति के संबंध में।

छ.ग. शासन वित्त एवं योजना विभाग के पत्र क्रमांक 170/बी-4/चार/2014 दिनांक 02.05.2014 के संदर्भ में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2678/स्था./सा.प्रशा./2014 दिनांक 28.06.2014 एवं अनेकों स्मरण पत्र के द्वारा रिक्त शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों को भरने की अनुमति हेतु छ.ग. शासन उच्च शिक्षा विभाग से निवेदन किया गया था।

छ.ग. शासन वित्त विभाग द्वारा शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों को भरने की अनुमति प्राप्त हुआ है जिसमें तृतीय श्रेणी निम्न वर्ग लिपिक पद को भरने की अनुमति नहीं दी गयी है। प्राप्त अनुमति अनुसार शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक प्रथम, द्वितीय श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु पद विज्ञापित किया गया है। चयन से संबंधित कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

विश्वविद्यालयीन कार्य संचालन हेतु वैकल्पिक व्यवस्था के तहत निम्न वर्ग लिपिक के 14 एवं लेब टेकनिशियन के 9 पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु पद विज्ञापित कर निम्न वर्ग लिपिक के 14 पदों पर संविदा नियुक्ति हेतु कौशल परीक्षा आयोजित कर प्रावीण्य क्रम अनुसार 14 निम्न वर्ग लिपिक के पद पर संविदा नियुक्ति की गयी है तथा लेब टेकनिशियन पद की संविदा नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यपरिषद के सूचनार्थ प्रस्तुत।

निम्न वर्ग लिपिक एवं लेब टेकनिशियन के पद पर जारी विज्ञापन में पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है का टीप दिया गया है।

वर्तमान में निम्न वर्ग लिपिक के पद पर 14 संविदा नियुक्ति किये जाने के पश्चात् भी 14 निम्न वर्ग लिपिक के पद रिक्त है।

अतः आरक्षण बिन्दु के अनुसार 14 निम्न वर्ग लिपिक के पद पर पूर्व में प्राप्त आवेदन पत्रों एवं जिनका कौशल परीक्षा ली गयी है उन्हीं में से 14 निम्न वर्ग लिपिक के पद पर संविदा नियुक्ति दिये जाने के संबंध में प्रकरण कार्यपरिषद के विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

उपरोक्त 'अ' कार्यपरिषद के सूचनार्थ एवं 'ब' अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)

24

//विज्ञापन//

क्रमांक/ 1559/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 18/06/2015

छत्तीसगढ़ सिविल सेवा संविदा नियम 2012 के अनुसार पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर में निम्नलिखित पदों पर अधिकतम 11 माह के लिए संविदा नियुक्ति हेतु ऑन-लाईन से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 11.07.2015 तक एवं हार्ड कॉपी दिनांक 15.07.2015 तक पंजीकृत/स्पॉड पोस्ट से आमंत्रित किये जाते हैं।

निर्धारित आवेदन प्रपत्र वेबसाइट [www.prsu.ac.in](http://www.prsu.ac.in) एवं [HTTP://Recruitment.cbsraipur.ac.in](http://Recruitment.cbsraipur.ac.in) में उपलब्ध है।

क्रं.	पदनाम	निश्चित वेतन	विषय	अना.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अ.जा.	शैक्षणिक अर्हता		
1	लेब टेक्नीशियन	10670/-	जैविकी	01	-	-	-	संबंधित विषय के साथ स्नातक परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण।		
			जैव तकनीकि	-	01	-	-			
			कम्प्यूटर विज्ञान	-	-	01	-			
			फॉनेसी	01	-	-	-			
			मूल विज्ञान केन्द्र:-							
			वनस्पति शास्त्र	-	01	-	-			
			रसायन	-	-	-	01			
			कम्प्यूटर विज्ञान (सीवीएस)	01	-	-	-			
भौतिकी	-	01	-	-						
जीव विज्ञान	01	-	-	-						
2	निम्न श्रेणी लिपिक	8870/-		04(01 महिला)	06(01 वैकलांग विकलांग) (01 महिला)	02	02	1. मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल में (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय के स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र तथा 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टायपिंग का 5,000 की (key) डिप्रेशन प्रतिघटा की गति (गति के संबंध में कौशल परीक्षा ली जाएगी)।		

टीप:-

1. उपरोक्त पदों के अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रु. 500/- एवं अजजा./अजा. के अभ्यर्थियों के लिए रु. 250/- प्लस पोर्टल और बैंक लेनदेन शुल्क के साथ भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से किया जावेगा। यह राशि किसी भी परिस्थिति में लौटाई नहीं जावेगी।
2. पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
3. पदों को भरने या न भरने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
4. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
5. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक उल्लेख करते हुए प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
6. सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। छ.ग. शासन द्वारा प्रचलित नियमानुसार आयु में छूट की पात्रता होगी।
7. आरक्षण का लाभ सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही प्राप्त होगा। अजजा., अजा., एवं अपिद. के अभ्यर्थियों को अपना स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

आदेशानुसार

(के.के. चन्द्राकर)  
कुलसचिव

रायपुर, दिनांक 18/06/2015

पृ. क्रमांक/1960/स्था./सा.प्रशा./2015

प्रतिलिपि :-

1. संपादक ..... प्रेस रायपुर।
2. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
3. वित्त विभाग,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,  
पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)

टीप:-

1. उपरोक्त पदों के अनारक्षित/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को रू. 500/- एवं अजजा./अजा. के अभ्यर्थियों के लिए रू. 250/- प्लस पोर्टल और बैंक लेनदेन शुल्क के साथ भुगतान ऑनलाईन के माध्यम से किया जावेगा। यह राशि किसी भी परिस्थिति में लौटाई नहीं जावेगी।
2. पदों की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकती है।
3. पदों को भरने या न भरने का अधिकार विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा।
4. आवेदक को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
5. रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक उल्लेख करते हुए प्रमाणित छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
6. सामान्य वर्ग के उम्मीदवार के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। छ.ग. शासन द्वारा प्रचलित नियमानुसार आयु में छूट की पात्रता होगी।
7. आरक्षण का लाभ सिर्फ छत्तीसगढ़ के मूल निवासी को ही प्राप्त होगा। अजजा., अजा., एवं अपिव. के अभ्यर्थियों को अपना स्थायी जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।

आदेशानुसार

(के.के. चन्द्राकर)

कुलसचिव

पृ. क्रमांक/1960/स्था./सा.प्रशा./2015

रायपुर, दिनांक 18/06/2015

प्रतिलिपि :-

1. संपादक ..... प्रेस रायपुर।
2. अध्यक्ष, समस्त अध्ययनशाला/समस्त विभागीय अधिकारी,
3. वित्त विभाग,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक,

पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

उप कुलसचिव (प्रशा.)

अध्यक्ष के अनुमति से अन्य प्रकरण  
(कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19.10.2015)

01 : विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.10.2015 में लिये गए निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों की नियुक्ति के संबंध में दिनांक 18.07.2012 के निर्णयानुसार **Scrutiny Committee** के लिए निर्धारित बिन्दुओं की परीक्षण करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 16.10.2015 में लिये गए निर्णय के संबंध में विचार करना।

टीप : कार्यवृत्त की छायाप्रति संलग्न।

02. न्यू भारत सिक्युरिटी एण्ड डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपुर द्वारा कुलपति/अध्यक्ष/कार्यपरिषद् पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 03.10.2015 के संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी।

टीप : वस्तुस्थिति की जानकारी संलग्न।

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 15.10.2015 में लिये गए निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों की नियुक्ति हेतु-

(1) यू.जी.सी के पत्र क्र. F. 17-6/2013(PS/Mise) dated september 2015 के संदर्भ में good academic Record का निर्धारण करना

एवं

(2) दिनांक 18.07.2012 के निर्णयानुसार Scrutiny Committee के लिये निर्धारित बिन्दुओं की परीक्षण करने हेतु गठित समिति की बैठक दिनांक 16.10.2015 को संपन्न हुई।

निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे

1. डॉ. ए. के. पति, डायरेक्टर, IQAC

2. डॉ. एम.डब्ल्यू. वाय. खान, संकायाध्यक्ष विज्ञान संकाय

3. डॉ. ए.के. पाण्डेय, संकायाध्यक्ष सामाजिक विज्ञान संकाय

लिये गये निर्णय :- **Recommendations**

1. Good academic record as per ordinance IV is 55% marks in graduate & post graduate level, with 5% relaxation for SC/ST candidates as stipulated in Para 1.1.7. table 2.7.0.
2. The guidelines dated 28.07.2015 of the scrutiny committee are being annulled. it is recommended that all the explanation of the points in scrutiny guidelines should be as per the prevision outlined in ordinance IV

Having resolved the above, the committee is of the opinion that these changes should have been made prior to dates of the advertisement. Therefore, the committee recommends that the existing guidelines should be followed at the scrutiny of applications. *time of*

*A.K. Pati*  
(Dr. A.K. Pati) 16/10/15

*M.W.Y. Khan*  
(Dr. M.W.Y. Khan) 16/10/15

*A.K. Pandey*  
(Dr. A.K. Pandey) 16/10/15

-----

## Precis of the Candidates for the Post of Professor

S No.	Name	12th	UG	PG	M.Phil.	Ph. D.	D.Sc./ D.Litt.	Any award	Foreign Academic Visit as PDF/ Training Abroad	Sub-total	Academic Background [a]	Research Performance based on API Score [b1]	Quality of Publication [b2]	Assessment of Domain Knowledge & Teaching Skills [b]	Interview Performance [c]	Total	Remarks
		10	10	10	5	10	15	10	10	80	20	30	10	20	20	100	
1																	
2																	
3																	
4																	
5																	
6																	

For 12th/UG/PG: 10% = 1 mark; Any Recognised Award given by Govt. agencies/ National academies/ Societies: 1 award = 4 marks, maximum 10 marks; Foreign Academic Visit as PDF/ Training Abroad: 4 marks each, maximum = 10; 1 mark for every 10 increment in API score above the Eligible score [400], maximum score 30; Quality of publication: 1 mark for each paper published in SCI/ SSCI/ A&HCI Journals, maximum = 10.

Vice-Chancellor  
Chairman

Expert-1

Expert-2

Expert-3

Dean

HoD

Chancellor's Nominee

Academician (SC/ST/OBC Representative)

Checked by Dean/HoD/ Precis Committee

*[Signature]*  
16/10

*[Signature]*  
16/10/15

*[Signature]*  
16/10/15

## Precis of the Candidates for the Post of Associate Professor

S No.	Name	12th	UG	PG	M.Phil.	Ph. D.	D.Sc./D.Litt.	Any award	Foreign Academic Visit as PDF/ Training Abroad	Sub-total-A	Academic Background [a]	Research Performance based on API Score [b1]	Quality of Publication [b2]	Sub-Total-B	Assessment of Domain Knowledge & Teaching Skills [b]	Interview Performance [c]	Total	Remarks
		10	10	10	5	10	15	10	10	80	20	30	10	60	20	20	100	
1																		
2																		
3																		

For 12th/UG/PG: 10% = 1 mark; Any Recognised Award given by Govt. agencies/ National academies/ Societies: 1 award = 4 marks, maximum 10 marks; Foreign Academic Visit as PDF/ Training Abroad: 4 marks each, maximum = 10; 1 mark for every 10 increment in API score above the Eligible score [300], maximum score 30; Quality of publication: 2 mark for each paper published in SCI/ SSCI/ A&HCI journals, maximum = 10.

Vice-Chancellor  
Chairman

Expert-1

Expert-2

Expert-3

Dean

HoD

Chancellor's Nominee

Academician (SC/ST/OBC Representative)

Checked by Dean/HoD/ Precis Committee

*T. N. Singh*  
7/6/10/15

*Manoj Kumar Patil*  
16/10/15

*Manoj*  
16/10/15



## Precis of the Candidates for the Post of Assistant Professor

S.No	Name	12th	UG	PG	NET/ SLET	M.Phil.	Ph. D.	Any award	Teaching/ Research Experience	Projects	M.Phil./Ph.D. Supervised	Conf./ Seminar/ Symp / Workshop attended in India	Conf./ Seminar/ Symp/ Workshop attended abroad/ Foreign visits as PDF	Research Papers/ Books	Quality of publication	Sub-total	Academic Record & Research Performance [a]	Assessment of Domain Knowledge & Teaching Skills [b]	Interview Performance [c]	Total	Remarks
		10	10	10	10	5	10	5	5	5	5	5	5	10	5	100	50	30	20	100	
1																					
2																					
3																					
4																					
5																					

For 12th/UG/PG: 10% = 1 mark; Any Recognised Award given by Govt. agencies/ National academies/ Societies: 1 award = 2 marks, maximum 5 marks; Teaching/ Research Experience: 0.5 per year, maximum = 5, however years spent while doing M.Phil./Ph.D. will not be considered; Project: 1 major project = 2 marks, 1 minor project = 1 mark, maximum 5 marks; PhD Supervised: 2 each, M.Phil. supervised 1 each, Maximum = 5; Conf./Symp./ Workshop attended in India: 0.5 each, Maximum = 5; Conf./Symp./ Workshop attended abroad: 1 each; Foreign Academic Visits: 2 mark each, maximum = 5; Research paper/ Book: 0.5 per publication, Maximum = 10; Quality of publication: 1 mark for each paper published in SCI/ SSCI/ A&HCI journals, maximum = 5.

Vice-Chancellor  
Chairman

Expert-1

Expert-2

Expert-3

Dean

HoD

Chancellor's Nominee

Academician (SC/ST/OBC Representative)

  
16/10

  
16/10/15

  
16/10/15

Checked by Dean/HoD/ Precis Committee

University Grants Commission

Clarifications on Frequently Asked Questions on UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic staff in Universities and Colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education, 2010

September, 2015

F.17-6/2013(PS/Misc)

UGC has been receiving a large number of queries from the Stakeholders viz. Universities, Colleges and individuals related to the appointment of Assistant Professors as per UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic staff in Universities and Colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education, 2010. In view of larger public interest, following clarifications on Frequently Asked Questions (FAQs) on the above subject are issued:-

Query	Clarification
<p>1. Are the State Governments empowered to raise the qualifying standards prescribed under the regulations?</p> <p>2. Are the State Governments empowered to incorporate additional qualifying standards over and above those prescribed under the regulations of UGC?</p>	<p>UGC has prescribed the minimum qualifications for appointment of teachers and other academic staff through "UGC Regulations on Minimum Qualifications for Appointment of Teachers and other Academic staff in Universities and Colleges and measures for the maintenance of standards in Higher Education, 2010" amended from time to time. The Appointing Authority may raise the qualifying standards <u>without deviation</u> from the minimum qualifications prescribed by UGC; if it so desires.</p>
<p>3. When UGC Regulation only provides for minimum 55% at Masters' degree level in the relevant subject, does the State Govt. have powers to insist that the candidates must possess qualification in relevant subject at the under-graduate level? While assessing academic background of a candidate as per Table-2(c) of appendix-III should a bachelor degree be considered or not. If considered, should that be in relevant subject or any subject or discipline?</p>	<p>The 'Good Academic Record' has been left to be defined by the concerned University/Appointing Authority.</p>
<p>4. What does relevant subject mean by provision in Para 4.4.0? When recruiting a candidate for 'Commerce' subject, does a candidate having done MBA (Management Subject) become relevant subject for Commerce?</p>	<p>The relevance of subject or inter-disciplinary nature of subject is required to be decided by the concerned University/Appointing Authority with the help of subject experts in the concerned/related field as per its requirement. UGC Regulations, 2010 defines the same.</p>


F. 17-6 / 2013 (RS/M/SC)

5. While considering good academic record when a candidate has changed discipline at different levels of UG/PG/NET/Ph.D, should that be considered?	As clarified under Point No.3 & 4 above
6. Are the State Governments empowered not to accede to the regulation under local circumstances, on the condition of bearing entire establishment cost?	The UGC Regulations are mandatory in nature and are required to be followed in their letter and spirit without any deviation therefrom.
7. If a candidate has a different subject at UG/PG level and applies for the Assistant Professor in different subject, is he eligible for applying for the post?	All the cases that pertain to relevance of subject/interdisciplinary nature of subject and 'Good Academic Record' are required to be decided as clarified under Point No.3 & 4 above.
8. A declaration on incorporation of additional selection criteria amounts to 'change in rules of the game' subsequently and unacceptable in the eyes of the UGC?	As clarified under Point No.1 & 2 above.
9. How 'good academic record' at UG level is defined in the context of present UGC Regulation? Does Master Degree have any relevance with undergraduate degree or both are to be considered with no relevance with each other?	'Good Academic Record' is mandatorily required to be considered for the appointment of Assistant Professor. However, relevance may be decided as clarified under Point No.1 and 2 above.
10. For conferring a master degree, is it pre-requisite that a candidate must hold bachelor degree at least in that relevant subject?	As per UGC (Minimum Standards of Instructions for the Grant of the Master's Degree through Formal Education) Regulations, 2003, no student shall be eligible for admission to a Master's Degree programme in any of the faculties unless he/she has successfully completed three years of an undergraduate degree and as clarified under Point No.4 with regard to relevance of subject.

Guidelines (= Minutes of the Meeting held on July 18, 2012) for the Scrutiny Committee

S.N.	ISSUE	DECISION
1.	Qualification for Assistant Professor	A candidate has to comply with SIX parameters out of 10 as per the decision of the Standing Committee and the EC.
2.	Qualification for Associate Professor	Notification showing registration of Ph.D. students under the guidance of the candidate has to be produced as evidence at the time of scrutiny.
4.	Good Academic Record	At least Second division at the HS/ SSC and UG levels will be considered as good academic record.
5	M. Phil. Awarded	A certificate from the concerned HoD to be produced as evidence for successful guidance of M. Phil. Students.
6	Ph.D. Awarded	100% credit will be given to the guide.
7	Credit sharing in joint publications	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Credit sharing will be 60:40 between the First Author or Corresponding Author/Mentor/Guide and the Co-authors.</li> <li>• However, if the co-authors are competing for the same position, 40% credit will be shared equally between/among them, or else the incumbent co-author will get 40% credit.</li> <li>• Similarly, if the first author and the corresponding Author/ Mentor/ Guide are competing for the same position, 60% credit will be shared equally between them, or else the incumbent author will get 60% credit.</li> </ul>
8	Credit sharing in Presentation of paper	<ul style="list-style-type: none"> <li>• The author presenting the paper will get 100% credit on production of evidence.</li> <li>• The co-author will not get any credit</li> </ul>

to be Retained



# NEW BHARAT

# SECURITY & DETECTIVE SERVICES

Head Office : Shop-140, Wing -3, "RAJAT SANKUL" Opp. Main Bus Stand, Ganeshpeth, Nagpur.  
Branch Office: Thana Road, Mowa Bazar, Talibandh, Raipur (C.G.) Tel : 0771-3299094, Mob : 09300377382  
(H.O.) Tel -0712-3252871,2022867 M : 9373101081, 9326887687, 9422111449

**SECURITY - FIRE FIGHTING SERVICE**

**DETECTIVE & LABOUR INTELIGENCE & HOUSE KEEPING**

दिनांक 03/10/2015

प्रति,

श्रीमान कुलपति/अध्यक्ष/कार्यपरिषद् महोदय जी

पं. रवि शंकर शुक्ल विश्व विद्यालय

रायपुर (उ.ग.)

विषय - विश्व विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था कार्य बाबत ।

महोदय जी,

निवेदन है कि, विश्व विद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा गार्ड एवं गनमेन बाबत निविदा जारी कर दर आंमत्रित की गई थी विश्व विद्यालय की निविदा शर्तों के अनुसार हमारी एंजेसी न्यु भारत सिक्युरीटी एण्ड डिटेक्टीव सर्विस द्वारा निविदा तिथि में निविदा प्रपत्र भर कर विश्व विद्यालय को जमा किया गया था। उमें ज्ञात हुआ की न्युनतम दर एवं विश्व विद्यालय द्वारा वंछित समस्त जानकारी एवं दस्तावेज विश्व विद्यालय कार्य परिषद् की बैठक में दिनांक 30 जुलाई 2015 के पुर्व 20 जून 2015 को ही जमा कर दिया गया था। यह है कि, हमारी एंजेसी न्यु भारत सिक्युरीटी एण्ड डिटेक्टीव सर्विस को कार्य आदेश जारी ना कर अन्य एंजेसी को कार्य आदेश जारी करने हेतु अनुबंध पत्र जारी किया गया जो की हमारे प्रति भेदभाव का प्रदर्शन करती है। उपरोक्त संबंध में निम्नाकृत उक्त अवलोकन करने की कृपा करें।

1. हम नें निविदा में गनमेन एवं सुरक्षा गार्ड प्रति माह( 30 दिन) प्रतिव्यक्ति 6060/- रुपये दर प्रस्तुत किया था।
2. एवं अन्य एंजेसी द्वारा इंडियन सिक्युरीटी फोर्स द्वारा गनमेन एवं सुरक्षा गार्ड हेतु प्रति व्यक्ति (26 दिन) के लिए 6318/- रुपये प्रतिमाह की दर एवं 1 प्रतिशत सर्विस चार्ज अतिरिक्त लिया गया था। इसी तरह इस एंजेसी का प्रति व्यक्ति गनमेन एवं सुरक्षा गार्ड सर्विस चार्ज सहित 30 दिन का व्यय करके 7362.90 पैसा होता है।
3. एक अन्य एंजेसी द्वारा गनमेन एवं सुरक्षा गार्ड हेतु प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 6849/- रुपये एवं 0.01 प्रतिशत सर्विस चार्ज प्रस्तावित किया गया था।

अतः आप से अनुरोध है कि तीनों ही एंजेसी की दर का निम्नकृत तालिका द्वारा अवलोकन करें

पद के नाम	न्यु भारत सिक््युरिटी	इंडियन सिक््युरिटी फोर्स	कामटी सिक््युरिटी सर्विस
सुरक्षा गार्ड सुरक्षा गनमेन	6060/- रूपये 6060/-रूपये 30 दिन प्रतिव्यक्ति प्रतिमाह	6318/- रूपये 6318/- रूपये प्रतिव्यक्ति 26 दिन के लिए सर्विस चार्ज 1 प्रतिशत 30 दिन का जोडकर 7362.90 पैसा	6849/- रूपये 6849/- रूपये एवं 0.01 प्रतिशत सर्विस चार्ज

उपरोक्त दर से स्पष्ट होता है कि हमारी एंजेसी की दर न्यु भारत सिक््युरिटी एण्ड डिटेक्टीव सर्विस की दर अन्य एंजेसीयो द्वारा दी गई दर से न्युनतम हैं

अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि हमारी सुरक्षा एंजेसी द्वारा जो दर प्रस्तुत की गयी थी वह सभी एंजेसीयो की दर से न्युनतम है।

4. महोदय जी निविदा प्रपत्र खोलने के समय हमारे अरिखित अन्य एंजेसी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। निविदा प्रपत्र में हमारी एंजेसी का छ.ग. शासन द्वारा उक्त कार्य बाबत अनुज्ञापति पत्र छ.ग. शासन नवीनीकरण हेतू पुलिस मुख्यालय छ.ग. रायपुर को पूर्व में भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था। जिस की सत्यप्रति मुख्यालय द्वारा हमारी एंजेसी को जारी की गयी थी हम नें उक्त जानकारी शपथपत्र में निविदा के साथ उल्लेख किया था।

निविदा स्वीकृती होते ही या इससे पहले छ.ग. शासन द्वारा हमें अनुज्ञापति दी जाती है तो हम अनुज्ञापति संबंधित सारे तथ्य जमा कर देंगे हमारे सुरक्षा गार्ड मुख्य मंत्री कौशल विकास योजना द्वारा प्रशिक्षित है। इस की भी जानकारी एवं प्रमाण पत्र निविदा की समिति बैठक में दे दी गयी थी हमारे सुरक्षा गार्ड के प्रति प्रशिक्षण प्रमाण पत्र भी हमने निविदा के साथ संलग्न किया था

5. इंडियन सिक््युरिटी फोर्स सर्विस के पास सुरक्षा गार्ड का मुख्य मंत्री कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं था जो कि निविदा प्रपत्रो की शर्तों के अनुसार आवश्यक था। और उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।

6. हमारी जानकारी से निविदा से संबंधित समिति द्वारा कोई निर्णय न लेते हुए प्रकरण उच्च अधिकारीयो को अग्रस्त कर दिया गया था।
7. दिनांक 30 जुलाई को विश्व विद्यालय कार्य परिषद् की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की निविदा में निर्णय लिया जाना था।
8. महोदय जी कार्यपरिषद् की बैठक तिथि 30 जुलाई 2015 के पूर्व दिनांक 20 जून 2015 को हमारे द्वारा सुरक्षा व्यवस्था संबंधित छ.ग. शासन पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुज्ञापत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसमें शासन द्वारा स्पष्ट लिखा गया था की हमारे सुरक्षा गार्डों का प्रशिक्षण होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। संबंधित दस्तावेज विश्व विद्यालय के उप कुल सचिव विकास विभाग को दिया गया एवं उनके ही निर्देश पर हमने विकास विभाग शाखा के लिपी श्री शिवलोचन नेताम जी को दिये गये थे।
9. महोदय जी कडिणका क्रमांक 09 से स्पष्ट होता है की हमारे द्वारा कार्य परिषद् की बैठक के लगभग 1 माह 10 दिन पहले ही निविदा प्रपत्र से संबंधित समस्त उपचारिकर्ता पूरी कर दी गई थी।
10. तीनों ही एंजेसी एवं प्रस्तावित दर निविदा की समस्त शर्तों को एक हमारी एंजेसी न्यु भारत सिक्चुरिटी एण्ड डिटेक्टीव सर्विस ने पूरी की है एवं हमारे द्वारा प्रस्तावित दर दो अन्य एंजेसी की तुलना में न्यूनतम है।
11. जिस एंजेसी को कार्य आदेश देने की कार्यवाही हो रही है वह एंजेसी हमारी एंजेसी की तुलना में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 1302.90 पैसा ज्यादा है।
12. समस्त प्रक्रियो को पूरा करने एवं दस्तावेज देने व न्यूनतम होने के उपरांत भी उच्च दर वाले एवं निविदा के शर्तों को पूरा न करने वाले एंजेसी इंडियन सिक्चुरिटी फोर्स सर्विस को कार्य आदेश देने का निर्णय लिया गया है। इससे स्पष्ट होता है। कि कार्यपरिषद् के सदस्यो को सही तथ्यो से अवगत नहीं कराया गया है।

इससे स्पष्ट होता है। कि हमारी एंजेसी कि पक्ष में न्यय नहीं हो पाया ।

13. महोदय जी सम्पूर्ण तथ्यो का अवलोकन कर एवं हमारे पक्ष में जो सही तथ्य नहीं रहे गये है। वही दुसरी एंजेसी इंडियन सिक््युरिटी फोर्स सर्विस को अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बार - बार समय दिया गया जबकि अन्य एंजेसी कॉलामी सिक््युरिटी सर्विस के पास तातकालिन कार्य आदेश की प्रति लिपी नहीं थी उक्त दस्तावेज सौपने हेतु समिति के सदस्यो की बैठक में उक्त एंजेसी की प्रतिनिधि द्वारा मात्र 30 मिनिट का समय मागा गया था जो समिति के सदस्यो ने उससे समय देन से इंनकार कर दिया गया ।
14. महोदय जी सर्वेच दर वाले एवं दस्तावेज उपलब्ध न होने वाले एंजेसी इंडियन सिक््युरिटी फोर्स सर्विस को बार बार समय देना एवं दुसरी एंजेसी कॉलामी सिक््युरिटी सर्विस को मात्र 30 मिनिट का समय देने से इंनकार करना एवं हमारी एंजेसी न्यु भारत सिक््युरिटी एण्ड डिटेक्टीव सर्विस द्वारा समस्त उपचारीकतायो को पूरा करने के बाद भी हमारे पक्ष में निर्णय न लेना उचित नहीं है।

अतः आप से अनुरोध है कि, इंडियन सिक््युरिटी फोर्स सर्विस को कार्य आदेया जारी करने के पूर्व माननीय कार्य परिषद् को अवगत करने की कृपा करें। ताकि निस्पक्षता पुर्वक कार्य वाही हो सकें।

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान कुलपति जी कार्यपरिषद् अध्यक्ष पं. रवि शंकर शुक्ल विश्व विद्यालय रायपुर छ.ग.।
2. श्रीमान कुल सचिव एवं सचिव कार्यकाणी पं. रवि शंकर शुक्ल विश्व विद्यालय रायपुर छ.ग.।
3. श्री मान उपकुल सचिव विकास विभाग पं. रवि शंकर शुक्ल विश्व विद्यालय रायपुर छ.ग.।
4. श्रीमान समस्त कार्य परिषद् सदस्य पं. रवि शंकर शुक्ल विश्व विद्यालय रायपुर छ.ग.।

प्रार्थी  
MANAGER,  
New Bharat Security &  
Detective Services,  
RAIPUR. (C.G.)  
न्यु भारत सिक््युरिटी एण्ड डिटेक्टीव सर्विस



**न्यू भारत सिक्युरिटी एण्ड डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपुर द्वारा**  
**कुलपति/अध्यक्ष/कार्यपरिषद् पं.रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को**  
**प्रेषित शिकायती पत्र दिनांक 03.10.2015 के संबंध में वस्तु स्थिति**

उपरोक्त पत्र में न्यू भारत सिक्युरिटी एण्ड डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपुर द्वारा विश्वविद्यालय में सुरक्षा व्यवस्था हेतु सुरक्षा गार्ड एवं गनमेन बाबत जारी की गई निविदा के संबंध में यह जानकारी प्रेषित की गई है कि— उनकी दर न्यूनतम होने के बावजूद उन्हें कार्य आदेश जारी न कर अन्य एजेन्सी इंडियन सिक्युरिटी फोर्स को कार्य आदेश जारी किया गया है।

जबकि वस्तुस्थिति यह है कि— शिकायतकर्ता एजेन्सी के द्वारा विभिन्न बिन्दुओं के माध्यम से लगाया गये आरोप आधारहीन है। इस एजेन्सी के द्वारा निविदा के निर्देशानुसार निविदा के साथ पसारा संलग्न नहीं किया गया था।

**उक्त पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं से संबंधित वस्तु स्थिति निम्नानुसार है :-**

बिन्दु क्र.	पत्र में प्रस्तुत की गई जानकारी	वस्तुस्थिति की जानकारी
1.	निविदा में हमारी एजेन्सी के द्वारा गनमेन एवं सुरक्षा गार्ड प्रतिमाह (30 दिन) प्रतिव्यक्ति रु. 6060/- दर प्रस्तुत किया गया है।	<p>न्यू भारत सिक्युरिटी एण्ड डिटेक्टिव सर्विसेस, नागपुर द्वारा 30 दिनों हेतु जो दर रु. 6060/- प्रस्तुत की गई थी, वह अकुशल सुरक्षा गार्ड हेतु निर्धारित दर है।</p> <p>शासन के द्वारा जारी निर्देशानुसार के आधार पर मासिक वेतन की गणना कुल वेतन को 26 से भाग देकर की जाती है।</p> <p>तद् अनुसार इस फर्म के द्वारा प्रस्तुत दर (233X26=6060) अकुशल श्रमिक के लिए निर्धारित है।</p> <p>जबकि इस एजेन्सी द्वारा निविदा में 30 दिनों के लिए रु. 6060/- का उल्लेख किया गया है जो सही नहीं है।</p>
2.	अन्य एजेन्सी इंडियन सिक्युरिटी द्वारा गनमेन एवं सुरक्षा गार्ड हेतु प्रति व्यक्ति (26 दिन) के लिए रु. 6318/- प्रति माह की दर एवं 1 प्रतिशत सर्विस चार्ज अतिरिक्त लिया गया था, इसी तरह इस एजेन्सी का प्रतिव्यक्ति गनमेन एवं सुरक्षा गार्ड सर्विस चार्ज सहित 30 दिन का व्यय रु. 7362.90 पैसा होता है।	<p>शिकायतकर्ता एजेन्सी द्वारा इस बिन्दु में लगाया गया आरोप आधारहीन है। क्योंकि शासन के निर्देशानुसार अर्द्धकुशल सुरक्षा गार्ड एवं गनमेन के लिए माह का वेतन 26 दिनों के लिए रु. 6318/- निर्धारित है जो निविदाकर्ता इंडियन सिक्युरिटी फोर्स, भिलाई द्वारा प्रस्तुत किया गया है।</p>

(A)

(A)

3.	<p>एक अन्य ऐजेन्सी द्वारा गनमेन एवं सुरक्षा गार्ड हेतु प्रति व्यक्ति रू. 6849/- एवं 0.01 प्रतिशत सर्विस चार्ज प्रस्तावित किया गया था।</p>	<p>शासन के निर्देशानुसार अकुशल श्रमिक वह होता है जो सीधे-सीधे कार्य करता है एवं उसे स्वतंत्र निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। ऐसे श्रमिक की गार्ड एवं गनमेन की सेवा के लिए आवश्यकता नहीं होती है।</p> <p>गार्ड एवं गनमेन के लिए अर्द्धकुशल कर्मचारी की आवश्यकता होती है जो समान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो यद्यपि उसे किसी विशेष निर्णय, बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उससे यह अपेक्षा की जाती है कि उसे जो कार्य सौंपा जावें वह उचित रूप से किया जावे।</p> <p><b>उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय में गार्ड एवं गनमेन के लिए अर्द्ध कुशल कर्मचारी की आवश्यकता होती है।</b></p>
4.	<p>निविदा पत्र खोलते समय हमारे अतिरिक्त अन्य ऐजेन्सी के प्रतिनिधि उपस्थित थे। निविदा प्रपत्र में हमारी ऐजेन्सी का छ.ग. शासन द्वारा उक्त कार्य बाबत अनुज्ञप्ति पत्र छत्तीसगढ़ शासन से नवीनीकरण हेतु पुलिस मुख्यालय छ.ग. रायपुर को पूर्व में भी अपना आवेदन प्रस्तुत कर दिया गया था जिसकी सत्य प्रति मुख्यालय द्वारा हमारी ऐजेन्सी को जारी की गई थी। हमने उक्त जानकारी शपथ पत्र में निविदा के साथ उल्लेख किया गया था।</p>	<p>इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि विश्वविद्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना में पसारा मांगा गया था, जिसे संबंधित ऐजेन्सी द्वारा, <b>निविदा की शर्तों के अनुसार निर्धारित तिथि तक जमा नहीं किया गया था।</b></p>
5.	<p>इंडियन सिक्युरिटी फोर्स सर्विस के पास सुरक्षा गार्ड का मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र नहीं था, जो कि निविदा प्रपत्रों की शर्तों के अनुसार आवश्यक था और उनके द्वारा किसी भी प्रकार का शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था।</p>	<p>इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि <b>इंडियन सिक्युरिटी फोर्स द्वारा निविदा के साथ मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना प्रमाण पत्र के स्थान पर मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना में प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों की सूची प्रस्तुत की गई है।</b></p>

6.	हमारी जानकारी से निविदा से संबंधित समिति द्वारा कोई निर्णय न लेते हुए प्रकरण उच्च अधिकारियों को अग्रेषित कर दिया गया था।	इस बिन्दु के संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि संबंधित समिति ने उच्च समिति को निर्णय हेतु अनुशंसित किया गया है।
7.	दिनांक 30 जुलाई को विश्वविद्यालय कार्यपरिषद् की बैठक में सुरक्षा व्यवस्था की निविदा में निर्णय लिया जाना था।	इस बिन्दु के संबंध में किसी प्रकार की टीप्पणी की जानी आवश्यक नहीं है।
8.	कार्यपरिषद् की बैठक तिथि 30 जुलाई 2015 के पूर्व दिनांक 20 जून 2015 को हमारे द्वारा सुरक्षा व्यवस्था संबंधित छ.ग. शासन पुलिस मुख्यालय द्वारा अनुज्ञप्ति पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें शासन द्वारा स्पष्ट लिखा गया था कि हमारे सुरक्षा गार्डों का प्रशिक्षण होने का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। संबंधित दस्तावेज विश्वविद्यालय के उप कुलसचिव (विकास) विभाग को दिया गया एवं उनके ही निर्देश पर हमने विकास विभाग शाखा के लिपिक श्री शिवलोचन नेताम जी को दिये गये थे।	वस्तुस्थिति यह है कि पुलिस मुख्यालय से प्राप्त अनुज्ञप्ति पत्र निविदा में निहित शर्तों के अनुसार निविदा के साथ संलग्न करना था जो संबंधित एजेन्सी न्यू भारत सिक्युरिटी द्वारा संलग्न नहीं किया था एवं उसे निर्धारित तिथि के बाद प्रस्तुत किया गया था जो मान्य योग्य नहीं था।
9.	हमारे द्वारा कार्यपरिषद् की बैठक में लगभग एक माह 10 दिन पहले ही निविदा प्रपत्र से संबंधित समस्त उपचारिकर्ता पूरी कर दी गई थी।	<b>वस्तुस्थिति यह है कि शिकायकर्ता एजेन्सी का ऐसा कहना कि उनके द्वारा समस्त औपचारिकताएँ पूरी कर दी गई थी, यह आधारहीन तथ्य है। चूंकि निविदा के साथ निर्देशानुसार पसारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।</b>
10.	तीनों की एजेन्सी एवं प्रस्तावित दर निविदा की समस्त शर्तों को एक हमारी एजेन्सी न्यू भारत सिक्युरिटी एवं डिटेक्टिव सर्विस ने पूरी की है एवं हमारे द्वारा प्रस्तावित दर दो अन्य एजेन्सी की तुलना में न्यूनतम है।	इस संबंध में वस्तुस्थिति यह है कि शिकायकर्ता एजेन्सी के द्वारा प्रस्तुत दर अकुशल श्रमिकों की दर है।
11.	जिस एजेन्सी को कार्य आदेश देने की कार्यवाही हो रही है वह एजेन्सी हमारी एजेन्सी की तुलना में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह रु. 1302.90 पैसा ज्यादा है।	यह कहना सही नहीं है कि— चूंकि संबंधित एजेन्सी को <b>अर्द्धकुशल श्रमिक के लिए श्रम आयुक्त द्वारा स्वीकृत दर दिये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जबकि न्यू भारत सिक्युरिटी सर्विसेस द्वारा प्रस्तुत दर अकुशल श्रमिक का है।</b>

12.	समस्त प्रक्रियाओं को पूरा करने एवं दस्तावेज देने वह न्यूनतम होने के उपरान्त भी उच्च दर वाले एवं निविदा के शर्तों को पूरा न करने वाले एजेन्सी इंडियन सिक्युरिटी फोर्स सर्विस को कार्य आदेश देने का निर्णय लिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कार्यपरिषद् के सदस्यों को सही तथ्यों से अवगत नहीं कराया गया है।	इस बिन्दु में शिकायतकर्ता एजेन्सी द्वारा लगाया गया आरोप निराधार एवं असत्य है।
13.	सम्पूर्ण तथ्यों को अवलोकन कर एवं हमारे पक्ष में जो सही तथ्य नहीं रह गये हैं वही दूसरी एजेन्सी इंडियन सिक्युरिटी फोर्स सर्विस को अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बार-बार समय दिया गया।	निविदा खोलते समय किसी प्रकार का अभिलेख के लिए अतिरिक्त समय दिया जा सकता।
14.	सर्वोच्च दर वाले एवं दस्तावेज उपलब्ध न होने वाले एजेन्सी इंडियन सिक्युरिटी फोर्स सर्विस को बार-बार समय देना एवं दूसरी ओर कामठी सिक्युरिटी सर्विसेस को मात्र 30 मिनट का समय देने से इंकार करना एवं हमारी एजेन्सी न्यू भारत सिक्युरिटी एण्ड डिटेक्टिव सर्विस द्वारा समस्त औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद भी हमारे पक्ष में निर्णय न लेना उचित नहीं है।	इस बिन्दु में शिकायतकर्ता एजेन्सी द्वारा लगाया गया आरोप आधारहीन है क्योंकि निविदा की स्वीकृति विचारोपरान्त माननीय कार्यपरिषद् के निर्णय अनुसार की गई है।

कार्यपरिषद् के निर्णय दिनांक 30.07.2015 के परिपालन में मे. इंडियन सिक्युरिटी फोर्स, भिलाई को पत्र क्रमांक 1068 दिनांक 29.09.2015 के अनुसार 01 अक्टूबर 2015 से 31 जनवरी 2016 तक के लिए (निविदा के साथ संलग्न पसारा दिनांक 01 फरवरी 2016 तक वैध है) अनुबंध कर कार्य प्रारंभ करने हेतु आदेशित किया गया।

फर्म के द्वारा दिनांक 01.10.2015 को प्रस्तुत पत्र के अनुसार समय की कमी को ध्यान में रखते हुए 01.11.2015 से अनबंध कर कार्य प्रारंभ करने की स्वीकृति दी है।

**अनुबंध की प्रक्रिया की जा रही है।**

4

### अनुसूची "स"

#### सुरक्षा गार्ड नियोजन

परिशिष्ट "अ" में उल्लेखित नियोजन संख्या 07 सुरक्षा गार्ड के नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन की दरें, जिसमें परिवर्तनशील नहंगाई भत्ता सम्मिलित है।

(आँकड़े रुपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील नहंगाई भत्ता		कुल वेतन		श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील नहंगाई भत्ता		कुल वेतन	
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूणांक)		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन (पूणांक)
- दिनांक 01.10.2014 से 31.03.2015						दिनांक 01.04.2015 से 30.09.2015						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10.00	11	12	13
6.00	156.00	1734.00	66.69	5790.00	222.69 (223)	अकुशल	4056.00	156.00	2004.00	77.08	6060.00	233.08 (233)
6.00	166.00	1734.00	66.69	6050.00	232.69 (233)	अर्द्धकुशल	4316.00	166.00	2004.00	77.08	6320.00	243.08 (243)
6.00	176.00	1734.00	66.69	6310.00	242.69 (243)	कुशल	4576.00	176.00	2004.00	77.08	6580.00	253.08 (253)
6.00	186.00	1734.00	66.69	6570.00	252.69 (253)	अति कुशल	4836.00	186.00	2004.00	77.08	6840.00	263.08 (263)

*(Handwritten Signature)*  
24/9/2015

(डॉ. जितन कुमार)  
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी  
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948  
छत्तीसगढ़, रायपुर



# मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना

(MMKVY)

## CSSDA PORTAL

Welcome : CSSDA HEAD OFFICE



छोटे छोटे कदम  
जातमान बृन का बन

हॉम TBN/ABN संबंधित > जातकारी > अनुमति/विज्ञापन > सॉफ्टवेयर > प्रश्न > रिपोर्ट > नकल/प्रकाशित

### प्रशिक्षणार्थी के प्रान्तांक की जानकारी

ABN No. : 0401P059SEC10215D1500010515

स्पॉन्सर : स्वयंस्पोन्सर

VTP : INDIAN SECURITY FORCE

कोर्स : Industrial Security Guard

बैच नं. : 15

ABN : 0401P059SEC10215D1500010515

परीक्षा दिनांक : 05-05-2015

रिपोर्ट देखें | प्रिंट करें |

क्र	रोल नं	हितग्राही का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	Theory	Practical	प्रतिशत(%)	परीक्षा का परिणाम	TCA/DCA
1	0401P059SEC10215D152	SHISHUPAL PRADHAN	NABH PRADHAN	03/03/1979	26	94	60	Pass	DCA
2	0401P059SEC10215D153	ONKAR SINGH MAJHI	TIRATH RAM	02/06/1990	22	100	61	Pass	DCA
3	0401P059SEC10215D154	RANBHAN MAURYA	BUDDHSEN MAURYA	10/05/1989	21	105	63	Pass	DCA
4	0401P059SEC10215D155	NARENDRA KUMAR YADAV	VIKRAMA YADAV	17/10/1992	26	110	68	Pass	DCA
5	0401P059SEC10215D156	SURAJ PRASAD	RAJENDRA PRASAD	02/10/1990	33	90	61.5	Pass	DCA
6	0401P059SEC10215D157	SUBHASH CHANDRA PRADHAN	MUNNA RAM PRADHAN	29/11/1990	32	95	63.5	Pass	DCA
7	0401P059SEC10215D158	KESHARI KISHOR	GOURI SHANKAR	08/08/1991	28	100	64	Pass	DCA
8	0401P059SEC10215D159	SLNIL KUMAR	DWARIKA PRASAD	08/01/1976	40	110	75	Pass	DCA
9	0401P059SEC10215D1513	ROMESH KUMAR SAHU	TIKA RAM SAHU	02/02/1986	26	110	68	Pass	DCA
10	0401P059SEC10215D1514	SHARWAN KUMAR MANTU	UMESH PRASAD	14/10/1976	40	100	70	Pass	DCA
11	0401P059SEC10215D1515	YOGENDRA RAY	UMESH RAY	14/02/1978	25	95	60	Pass	DCA
12	0401P059SEC10215D1516	KRISHNA SINGH	FULCHAND SINGH	01/07/1994	33	104	68.5	Pass	DCA
13	0401P059SEC10215D1517	ANANT KUMAR	RAVINDRA KUMAR	12/02/1996	29	109	69	Pass	DCA
14	0401P059SEC10215D1518	RAJKUMAR RAV	RAM SAGAR	23/08/1974	30	105	67.5	Pass	DCA
15	0401P059SEC10215D1519	HARENDRA SINGH	UMESH SINGH	10/01/1987	26	98	62	Pass	DCA
16	0401P059SEC10215D1520	PREM LAL	NEELKANTH	05/10/1975	29	109	69	Pass	DCA
17	0401P059SEC10215D1523	MANISHA RANI LAKRA	JAI LAL LAKRA	01/01/1989	22	108	65	Pass	DCA
18	0401P059SEC10215D1511	AJAY KUMAR DHRITLAHRE	HUMAN LAL	22/07/1992	32	105	68.5	Pass	DCA
19	0401P059SEC10215D1524	SEETARAM	PREMLAL	07/11/1995	29	131	80	Pass	DCA
20	0401P059SEC10215D1512	SHRIKANT PANDEY	RAM SWARUP PANDEY	01/04/1977	26	95	60.5	Pass	DCA
21	0401P059SEC10215D1521	VIKRAM SINGH	DHANI RAM	01/07/1978	32	120	76	Pass	DCA
22	0401P059SEC10215D151	SARDEV MUNA	RIBIKA MUNA	25/05/1991	24	90	57	Pass	DCA
23	0401P059SEC10215D1522	MOHAR SINGH	RANJIT SINGH	22/07/1990	29	133	81	Pass	DCA
24	0401P059SEC10215D1510	KAMLESH KUMAR	KUNWAR SINGH	09/03/1989	32	90	61	Pass	DCA
25	0401P059SEC10215D1525	P NARESH	P KRISHNA RAO	06/01/1990	30	122	76	Pass	DCA



This site designed, developed and hosted by NIC State Centre Raipur

VOCATIONAL TRAINING PROVIDER  
 INDIAN SECURITY FORCE  
 SECTOR-SECURITY  
 CODE-102  
 BHILAI, DURG (C.G.)  
 PH. NO 0788-4092969  
 MOB. 9302713571



el BP  
 Mraj Singh  
 24/07/15



# मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना (MMKVY)

## CSSDA PORTAL

Welcome : CSSDA HEAD OFFICE



शेरे छोटे करन  
जातयन सुते का द्य-

होम TBN/ABN संबंधित > जानकारी > अनुमति/रजिस्ट्रेशन > सर्टिफिकेट > ग्राफ > रिपोर्ट > सहायता प्रोफाइल >

प्रशिक्षणार्थी के प्राप्तता की जानकारी

रिपोर्ट देखें | प्रिंट करें |

ABN No. : 0401P059SEC10215D1600010515  
स्पोसर : स्वयंस्पोसर  
VTP : INDIAN SECURITY FORCE  
कोर्स : Industrial Security Guard  
बैच नं. : 16  
ABN : 0401P059SEC10215D1600010515  
परीक्षा दिनांक : 05-05-2015

क्र	रोल नं	हितग्राही का नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	Theory	Practical	प्रतिशत(%)	परीक्षा का परिणाम	TCA/DCA
1	0401P059SEC10215D1612	RAJESH KUMAR YADAV	MAINEJAR PRASAD YADAV	20/11/1980	29	100	64.5	Pass	DCA
2	0401P059SEC10215D1613	SHANKAR LAL	DAYARAM CHAUHAN	16/12/1992	30	92	61	Pass	DCA
3	0401P059SEC10215D1614	GANEHSWAR NETAM	CHAJN SINGH	16/04/1985	24	116	70	Pass	DCA
4	0401P059SEC10215D1615	SEETA RAM	SUKKHU RAM	05/02/1978	29	119	74	Pass	DCA
5	0401P059SEC10215D1616	PRAVEEN KUMAR SAHU	ISHWAR LAL SAHU	18/10/1987	26	108	67	Pass	DCA
6	0401P059SEC10215D1617	BHIM YADAV	RAVINDRA YADAV	01/12/1991	37	129	83	Pass	DCA
7	0401P059SEC10215D1618	ANAND KUMAR DEHARI	DUKHIT RAM DEHARI	04/10/1988	39	132	85.5	Pass	DCA
8	0401P059SEC10215D1621	RAJESH KUMAR CHANDRAVANSHI	RAM JI	09/01/1991	23	111	67	Pass	DCA
9	0401P059SEC10215D1622	YOGESH KUMAR PADWAR	KHULLI DAS	18/10/1993	27	119	73	Pass	DCA
10	0401P059SEC10215D1623	SALIK RAM VERMA	PARDESHI RAM VERMA	12/09/1983	29	132	80.5	Pass	DCA
11	0401P059SEC10215D1624	RATNESH KUMAR SINGH	SATYA NARAYAN SINGH	15/07/1978	33	100	66.5	Pass	DCA
12	0401P059SEC10215D163	SUNIL KUMAR GUPTA	RAMESH PRASAD GUPTA	01/01/1991	34	108	71	Pass	DCA
13	0401P059SEC10215D164	SURESH KUMAR SAHU	BASAND LAL SAHU	01/12/1990	22	137	79.5	Pass	DCA
14	0401P059SEC10215D1625	JITENDRA KUMAR SHARMA	RAMESH KUMAR SHARMA	11/12/1976	36	99	67.5	Pass	DCA
15	0401P059SEC10215D161	ARUN PRATAP MAURYA	SURYA PRATAP MAURYA	20/09/1991	42	108	75	Pass	DCA
16	0401P059SEC10215D1619	RAKESH KUMAR SAHU	RAM GULAL SAHU	21/05/1978	26	99	62.5	Pass	DCA
17	0401P059SEC10215D165	LALLU RAM JAISWAL	PRABHU RAM JAISWAL	10/07/1990	20	101	60.5	Pass	DCA
18	0401P059SEC10215D1611	BHUBANANDA PATTANAYAK	CHITRANJAN PATTANAYAK	11/07/1987	37	103	70	Pass	DCA
19	0401P059SEC10215D166	NETU RAM DUGGA	BUD SINGH DUGGA	08/09/1982	27	119	73	Pass	DCA
20	0401P059SEC10215D167	MRITYUNJAY KUMAR	UGAN DEV KUMAR	31/12/1973	21	113	67	Pass	DCA
21	0401P059SEC10215D168	RAMKRISHNA KUMAR SAHU	AAJU RAM SAHU	04/09/1980	20	117	68.5	Pass	DCA
22	0401P059SEC10215D169	NARAYAN SINGH	AWDHESH SINGH	04/02/1977	29	122	78.5	Pass	DCA
23	0401P059SEC10215D162	BRLJBHOOSHAN	RAM KUMAR	01/07/1989	32	101	66.5	Pass	DCA
24	0401P059SEC10215D1610	UPENDRA MAJHI	GARUD SINGH MAJHI	15/06/1992	33	137	85	Pass	DCA
25	0401P059SEC10215D1620	NAND DULAL BEY	PANKAJ KUMAR DE	25/12/1972	20	103	61.5	Pass	DCA



designed, developed and hosted by NIC State Centre Raipur

VOCATIONAL TRAINING PROVIDER  
INDIAN SECURITY FORCE  
SECTOR-SECURITY  
102 (G)





# मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना

(MMKVY)

CSSDA PORTAL

Welcome : INDIAN SECURITY FORCE



प्रोटेक्टोरे ऑफिस  
असमपुर, पूने का रज.

होम विभागो से प्राप्त ▶ आवासीय प्रशिक्षण हेतु ▶ आवेदन/जानकारी ▶ रिपोर्ट ▶ सर्कुलर सहायता प्रोफाइल ▶

प्रशिक्षणार्थियों के प्राप्तांक और नियुक्ति की जानकारी

जानकारी

ABN दे: 0401P059SEC10215D1800010515  
स्पोसर: स्वयंस्पोसर  
VTP: CG0401P059-INDIAN SECURITY FORCE  
कोर्स: SEC102-Industrial Security Guard  
बैच नं.: 18  
ABN: 0401P059SEC10215D1800010515  
परीक्षा दिनांक: 31-05-2015

क्र	रोल नंबर	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	Theory	Practical	प्रतिशत(%)	परीक्षा का परिणाम	रोजगार की जानकारी
1	0401P059SEC10215D181	SARITA YADAV	PREM KUMAR YADAV	19 Apr 1989	31	101	66	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
2	0401P059SEC10215D182	ARVIND SINGH	RAM PARIKHAN SINGH	20 Dec 1966	29	106	67.5	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
3	0401P059SEC10215D183	AKHILESH SINGH	AVDHESH SINGH	01 Jun 1977	34	106	70	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
4	0401P059SEC10215D184	LACHCHHIRAM	GANPAT	04 Apr 1970	31	91	61	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
5	0401P059SEC10215D185	SANTOSH KUMAR SINGH	RAMNATH SINGH	20 May 1978	35	96	65.5	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
6	0401P059SEC10215D186	SADANAND KUMAR SAHU	NARAYAN PRASAD SAHU	10 May 1988	40	100	70	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
7	0401P059SEC10215D187	JITENDRA SINGH	HARISHCHANDRA SINGH	13 Apr 1973	41	112	76.5	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
8	0401P059SEC10215D188	JAY PRAKASH PANDEY	UMA SHANKAR PANDEY	16 Dec 1968	36	98	67	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
9	0401P059SEC10215D189	LALBABU	RAMASHANKAR	11 Apr 1958	34	107	70.5	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
10	0401P059SEC10215D1810	MANOJ BANJARE	PUNAU RAM BANJARE	21 Aug 1971	37	90	63.5	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
11	0401P059SEC10215D1811	NAGENDRA MISHRA	KAPIL NARAYAN MISHRA	31 Jul 1976	38	103	70.5	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
12	0401P059SEC10215D1812	NITENDRA KUMAR	ASHA RAM	10 Jul 1989	38	112	75	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
13	0401P059SEC10215D1813	RAJENDRA PATIL	KISHAN LAL PATIL	28 Jan 1962	33	90	61.5	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
14	0401P059SEC10215D1814	SUNIL KUMAR SUROSHE	S.B.SUROSHE	28 Nov 1963	35	96	65.5	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
15	0401P059SEC10215D1815	N. ROHINI	N. KRISHNA RAO	30 May 1987	36	96	66	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
16	0401P059SEC10215D1816	RAJARAM SAHU	CHAITURAM SAHU	05 Jul 1963	31	94	62.5	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
17	0401P059SEC10215D1817	NOHAR LAL SAHU	MANSHA RAM SAHU	19 Jul 1970	37	95	66	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
18	0401P059SEC10215D1818	KAPIL KUMAR BAHL	DHARAMVIR BAHL	26 Jan 1970	90	37	63.5	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
19	0401P059SEC10215D1819	RAJESH SINGH	P.N.SINGH	25 Jun 1968	35	96	65.5	Pass	<a href="#">Fill Details</a>
20	0401P059SEC10215D1820	SATISH SINGH	RAM SINGH	31 Aug 1977	41	98	69.5	Pass	<a href="#">Fill Details</a>





पं० रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ० ग०)

८

क्रमांक / 1066 / विकास / 2015

रायपुर, दिनांक 29-09-2015

प्रति,


मे० इंडियन सिक्युरिटी फोर्स,  
शाप नं० के-3/264, सुभाष मार्केट,  
भिलाई, जिला दुर्ग (छ० ग०)

विषय :- वि० वि० परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु ।

सन्दर्भ:- इस वि० वि० द्वारा जारी निविदा सूचना क्र० 1045 दिनांक 12-5-2015, कार्यपरिषद् के निर्णय दिनांक 30-7-2015 एवं आपके द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 5-9-2015 ।

विषयान्तर्गत इस विश्वविद्यालय के परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु संदर्भित निविदा जारी किया गया था । उक्त निविदा मे आपके द्वारा प्रस्तुत दर को वि० वि० द्वारा मान्य किया गया है । चूंकि आपके द्वारा निविदा के साथ संलग्न पसारा दिनांक 01 फरवरी 2016 तक वैध है ।

अतः वि० वि० परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था दिनांक 01 अक्टूबर 2015 से 31 जनवरी 2016 तक ( निविदा के साथ संलग्न पसारा दिनांक 01 फरवरी 2016 तक वैध है ) कार्य हेतु रू० 50=00 के स्टाम्प पेपर मे अनुबंध कराने के पश्चात् दिनांक 01 अक्टूबर 2015 से कार्य प्रारंभ करे ।

  
कुलसचिव

पृ० क्र० / 1069 / विकास / 2015

रायपुर, दिनांक 29 सितंबर 2015

प्रतिलिपि:-

1/ कुलपति के सचिव,  
प० र० शु० वि० वि०, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

## इंडियन सिक्युरिटी फोर्स भिलाई (छ0ग0)

K-3/264 सुभाष मार्केट, जोन-02, खुर्सीपार, भिलाई, दुर्ग, Email-indiansecurtyforce@gmail.com  
Mob No- 7898001930, 7898001928

पत्र क्र0/आई0एस0एफ0/2015-16/018

भिलाई दिनांक 01.10.2015

प्रति,

कुलसचिव,

पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय,

रायपुर (छ0ग0)

विषय:- वि0वि0 परिसर व भवनों की सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में जवाब पत्र!

संदर्भ:- निविदा सूचना क्रमांक 1045 दिनांक 12.05.2015, कार्य परिषद के निर्णय के संबंध में !

महोदय,

विषयांतर्गत यह है कि पत्र क्र0 1068/विकास/2015 दिनांक 29.09.2015 को जारी पत्र में आपके द्वारा मेसर्स इंडियन सिक्युरिटी फोर्स को दिनांक 01.10.2015 से कार्य प्रारम्भ करने का कार्यादेश दिया गया है। महोदय विदित हो कि किसी भी निविदा के उपरान्त कार्यादेश प्रारम्भ करने हेतु 01 माह पूर्व सम्बंधित संस्था को अवगत कराया जाता है। परन्तु वि0वि0 द्वारा हमें किसी भी प्रकार का पत्र पूर्व में प्राप्त नहीं हुआ है आपके द्वारा दिनांक 29.09.2015 को पत्र जारी कर 01.10.2015 को कार्य प्रारम्भ करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। परन्तु 02 दिन के अन्दर 50 सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति नहीं कि जा सकती है। क्योंकि कार्य के पूर्व सुरक्षाकर्मियों के ड्रियुटी पोस्ट व सुरक्षा सम्बंधित उपकरणों का निराधारण होना आवश्यक है।

महोदय हम वि0वि0 के द्वारा दिये गए निर्देशों का सम्मान करते हुए निवेदन करते हैं कि हमारे द्वारा 01.11.2015 को सुरक्षाकर्मियों की नियुक्ति कर कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। अतः निवेदन है कि हमारी बातों पर सहनुभुतिपूर्वक विचार करते हुए हमें 01.11.2015 को कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

आपके द्वारा पत्र में पसारा लाइसेंस के सम्बंध में उल्लेख किया गया है कि पसारा की अवधि 01 फरवरी 2016 तक वैध है, महोदय इसके सम्बंध में आपके द्वारा जारी पत्र क्र0 1124/विकास/2015 दिनांक 11.08.2015 को जारी पत्र के जवाब में मेसर्स इंडियन सिक्युरिटी फोर्स द्वारा शपत पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 01.02.2016 के उपरान्त स्थायी अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर उसकी प्रतिलिपी वि0वि0 को प्रेषिक करने का शपत पत्र आपके समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है।



एच0आर0 विभाग

इंडियन सिक्युरिटी फोर्स



पं० रविशंकर शुक्ल वि०

क्रमांक 1085/विकास/2015

प्रति,

मे० इंडियन सिक्युरिटी फोर्स,  
शाप नं०-के-3/264, सुभाष मार्केट  
भिलाई, जिला दुर्ग, छ०ग० ।


D

विषय :-वि०वि० परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में ।  
सन्दर्भ:-वि०वि० का आदेश क्रमांक 1068/विकास/2015 दिनांक 29.09.2015

—0—

विषयान्तर्गत विश्वविद्यालय के परिसर व भवनों के सुरक्षा व्यवस्था हेतु संदर्भित पत्र के द्वारा अनुबंध कर कार्य प्रारंभ करने हेतु आदेशित किया गया था किन्तु आपके द्वारा आज की तिथि तक अनुबंध नहीं किया गया है ।

अतः दिनांक 15.10.2015 तक अनिवार्य रूप से उपस्थित होकर विश्वविद्यालय द्वारा जारी निविदा में निहित शर्तों के अनुरूप अनुबंध करे एवं दिनांक 01.11.2015 से कार्य प्रारंभ करें ताकि यह सूचना आगामी कार्यपरिषद् में दिया जा सके ।

  
कुलसचिव

पृ०क्र०/1086/विकास/2015  
प्रतिलिपि:-

रायपुर, दिनांक 09.10.2015

1/ कुलपति के सचिव, पं०र०शु०वि०वि०, रायपुर को सूचनार्थ अग्रेषित ।

LR HO 492010  
59482661M  
Nov 6, 2015 Code:LRB  
AN SECURITY LAJAPAT NAGAR  
Rt. PIN-490011  
BHN VIHAR, RAIPUR

Rs. 40.00, 13/10/2015, 1977  
Taxes:Rs. 5.00<Track on www.



पुलिस मुख्यालय, छत्तीसगढ़, रायपुर

कमांक-पुमु/विशा/प्रा.सु.ए./ (फा-64/13) 2014-10 ए.

दिनांक 02/02/2015

निजी सुरक्षा अभिकरण का कारोबार करने के लिए अनुज्ञप्ति

कम संख्या 238

तारीख :- 02/02/2015

श्रीमती रानी श्रीवास्तव पति श्री राजेश श्रीवास्तव, निवास- ब्लॉक नं. 14/F सड़क 52 जोन-2 खुर्शीपार, भिलाई-दुर्ग (छ.ग.) को बेदी काम्पलेक्स नंदनी रोड, भिलाई कार्यालय से "इंडियन सिक्युरिटी फोर्स" नाम से संपूर्ण छत्तीसगढ़ में निजी सुरक्षा अभिकरण के व्यवसाय के प्रचालन के लिए निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन), अधिनियम, 2005 की धारा-25 के अंतर्गत बनाये गये छत्तीसगढ़ राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2008 के नियम-9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य के नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा अभिकरण के विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर तदानुसार कार्यवाही किये जाने की शर्त पर अस्थायी अनुज्ञप्ति अनुदत्त की जाती है।

जारी करने का स्थान :-

विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, रायपुर।

जारी करने की तारीख :-

02 फरवरी 2015

यह अनुज्ञप्ति छत्तीसगढ़ राज्य निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) नियम, 2008 में दर्शित समस्त नियमों के पालन करने की शर्तों के अधीन एक (01) वर्ष के लिए अर्थात् दिनांक 02 फरवरी 2015 से लेकर दिनांक 01 फरवरी, 2016 तक वैध रहेगा।

(यह अनुज्ञप्ति केवल निजी सुरक्षा अभिकरण संचालन हेतु)

नियंत्रक प्राधिकारी /

अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक

गुप्तवार्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर

कमांक-पुमु/विशा/प्रा.सु.ए./ (फा-64/13) 2014-10 ए (238-A) दिनांक 02/02/2015


प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- (1) प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- (2) पुलिस महानिदेशक, छत्तीसगढ़, रायपुर।
- (3) समस्त जिला दण्डाधिकारी, छत्तीसगढ़।
- (4) समस्त पुलिस अधीक्षक, छत्तीसगढ़।
- (5) श्रीमती रानी श्रीवास्तव पति श्री राजेश श्रीवास्तव, निवास- ब्लॉक नं. 14/F सड़क 52 जोन-2 खुर्शीपार, भिलाई-दुर्ग (छ.ग.)।

PHOTO COPY  
ATTESTED

नियंत्रक प्राधिकारी /  
अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक  
गुप्तवार्ता, छत्तीसगढ़, रायपुर

22 MAY 2015.



Chandrakar  
Notary, Durg (C.G.)



न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948 के अंतर्गत


श्रमिकों हेतु

दिनांक 01.04.2013

से प्रभावशील



न्यूनतम वेतन  
एवं परिवर्तनशील महँगाई भत्ते  
की दरें

  
3/6/13

## परिशिष्ट-“ब”


### स्पष्टीकरण

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिये (1) इस अधिसूचना के द्वारा जो मासिक वेतन निर्धारित किया गया है, वह कैलेंडर माह की समाप्ति पर देय होगा, यदि किसी कर्मचारी ने अधिनियम एवं उसके अन्तर्गत बनाए गए नियम के अनुसार संबंधित कैलेंडर माह में सभी अवकाश के दिनांक का लाभ उठाया हो और यदि किसी संदर्भ में एक दिन का वेतन संगणित करना हो तो उपरोक्तानुसार निर्धारित मासिक वेतन को 26 से भाग देकर संगणित किया जावेगा।
2. कर्मचारी के प्रकार जो विभिन्न वर्गीकरण में बताए हैं, उदाहरण स्वरूप है न कि विस्तृत तथा ऐसे वर्ग के कर्मचारी जो इस अधिसूचना में सम्मिलित नहीं हैं, के लिये न्यूनतम वेतन की दर वही होगी, जो समान प्रकृति का काम करने वाली कर्मचारी को देय है।
3. कुशल, अर्द्धकुशल तथा अकुशल कर्मचारियों की व्याख्या  
(क) कुशल कर्मचारी वह है जो दक्षतापूर्वक कार्य कर सके, काफी स्वतंत्रता से निर्णय, बुद्धि का प्रयोग कर सके तथा जिम्मेदारी से अपने कर्तव्य का पालन कर सके, उसे उस व्यवसाय शिल्प या उद्योग का जिसमें वह नियोजित किया गया हो, पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान होना चाहिये।  
(ख) अर्द्धकुशल कर्मचारी वह है जो सामान्यतः रोजमर्रा का एक निश्चित स्वरूप का काम करता हो जिसमें कि उसमें उतनी निर्णय बुद्धि, कुशलता तथा निपुणता की अपेक्षा न की जाती हो किन्तु उसमें सापेक्षित रूप से ऐसे छोटे काम जो उसे सौंपे जाएं, उचित रूप से करने की अपेक्षा की जाती हो और उसमें महत्वपूर्ण निर्णय दूसरे व्यक्तियों द्वारा लिये जाते हों, इस प्रकार उसका कार्य बंधे बंधाये रोजमर्रा के कार्य करने तक ही सीमित है।  
(ग) अकुशल कर्मचारी वह है जो ऐसे सीधे-साधे कार्य करता है, उसमें स्वतंत्र निर्णय या पूर्ण अनुभव की बहुत कम या बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती यद्यपि व्यवसायिक परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक होता है। इस प्रकार शारीरिक श्रम के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं एवं भाव से परिचित होना चाहिये।

4. इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है तो यह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी।
5. किसी भी स्थापना अथवा उपक्रम में प्रचलित वेतन दरें अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दरों तथा देय परिवर्तनशील महँगाई भत्ते के योग से अधिक होने पर यह समझा जावेगा कि स्थापना या उपक्रम द्वारा अधिसूचित मूल न्यूनतम वेतन दर तथा परिवर्तनशील महँगाई भत्ते दिये जाने का पालन किया जा रहा है। यदि स्थापना या उपक्रम द्वारा देय न्यूनतम वेतन एवं परिवर्तनशील महँगाई भत्ते के योग से कम है तो श्रमिक अंतर की राशि के लिये पात्र होंगे।
6. न्यूनतम वेतन दरों से न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (क्रमांक 11 सन् 1948) की धारा 13 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन परिकल्पित किये अनुसार विश्राम दिवस के संबंध में पारिश्रमिक सम्मिलित है।
7. जहाँ कर्मचारी खण्डदर पर नियोजित हो और इस अधिसूचना में उसके लिये खण्डदर इस प्रकार निर्मित की जावे जो आठ घंटे दैनिक छः दिन कार्य करते हैं एवं एक दिन संवैतनिक अवकाश देने पर समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम न हो।



(डॉ. जितेन कुमार)  
श्रमायुक्त एवं सक्षम प्राधिकारी  
न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948  
छत्तीसगढ़, रायपुर





विषय सं. 13  
EC - 19-10-2015-

550/FC  
13/10



FD Diary No. 3362  
Dated: 03/09/2015

UNIVERSITY GRANTS COMMISSION  
BAHADURSHAH ZAFAR MARG  
NEW DELHI-110002

8 SEP 2015  
September, 2015

F.2-22/2015 (B.Voc)

The Under Secretary (FD-III)  
University Grants Commission  
Bahadur Shah Zafar Marg  
New Delhi-110 002

Rajiv  
13/10

**Subject:** Release of Grants-in-aid Pt. Ravishankar Shukla University, Amanaka, Raipur-492010, Chhattisgarh for the year 2015-2016 under the Scheme of B.Voc degree programme.

Sir,

I am directed to convey the sanction of the University Grants Commission for payment of grant of an 'on account grant' of 48,00,000/- (Rupees Forty Eight Lakh only) as 1<sup>st</sup> instalment for the year 2015-2016 towards B.Voc degree programme to the Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Amanaka, Raipur-492010, Chhattisgarh for the plan expenditure to be incurred during 2015-2016 as follows:

Non Recurring Grant

Amount (Rs In Lakh.)

Name of the Item	Head of Account	Allocation	Grant now being sanctioned as 1 <sup>st</sup> Instalment	Total Grant released
Setting up item of Lab/workshop facilities/ Procurement of teaching and learning Material, Machinery/ Equipments	3(A) (58) (35)	38,00,000/-	38,00,000/-	38,00,000/-
	3(B) (35)			
	3(C) (35)			
<b>Total</b>		<b>38,00,000/-</b>	<b>38,00,000/-</b>	<b>38,00,000/-</b>


Recurring Grant

Amount (Rs In Lakh.)

Name of the Item	Head of Account	Allocation	Grant now being sanctioned as 1 <sup>st</sup> Instalment	Total Grant released
Visiting /Guest Faculty For 1 <sup>st</sup> Year	3(A) (58) (31)	18,00,000/-	5,00,000/-	5,00,000/-
Operative Cost For 1 <sup>st</sup> Year	3(B) (31)	16,00,000/-	5,00,000/-	5,00,000/-
Faculty	3(C) (31)	25,00,000/-	-	-
<b>Total</b>		<b>59,00,000/-</b>	<b>10,00,000/-</b>	<b>10,00,000/-</b>

**Grand Total: - (NR 38.00+ Rec 10.00) = 48.00 (Rupees Forty Eight Lakh only)**

VC 3860  
13/10/15



1. The **Sanctioned** amount is debitale under heads 3(A) (58) (31) &35, 3(B) (31) &35 and 3(C) (31) &35 as stated below and is valid for payment during the financial year 2015-16.

**Non Recurring Grant:-**

<b>Category</b>	<b>Head of account</b>	<b>(% of grant)</b>	<b>Amount (In Rs.)</b>
Gen. category	3(A) (58) (35)	76 %	28,88,000/-
SC category	3(B) (35)	16 %	6,08,000/-
ST category	3(C) (35)	8%	3,04,000/-
	<b>Total</b>	<b>100 %</b>	<b>38,00,000/-</b>

**Recurring Grant:-**

<b>Category</b>	<b>Head of account</b>	<b>(% of grant)</b>	<b>Amount (In Rs)</b>
Gen. category	3(A) (58) (31)	76 %	7,60,000/-
SC category	3(B) (31)	16 %	1,60,000/-
ST category	3(C) (31)	8%	80,000/-
	<b>Total</b>	<b>100 %</b>	<b>10,00,000/-</b>

2. The amount of the Grant shall be drawn by the Under Secretary (Drawing and Disbursing Officer) UGC on the Grants-in-aid bill and shall be disbursed to and credited to the Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Amanaka, Raipur-492010, Chhattisgarh through Electronic mode as per the following details:

a) Details (Name & Address) of Account Holder	:	Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University, Amanaka, Raipur-492010, Chhattisgarh
b) Name & address of Bank branch	:	State Bank of India, Pt. R.S.U. Branch, Amanaka, G.E. Road, Raipur
c) Account No	:	10049606501
d) IFSC Code	:	SBIN0003739
e) MICR Code	:	492002010
f) Type of Account	:	Saving Account

3. The Grant is Subject to the adjustment on the basis of Utilization Certificate in the prescribed Performa submitted by the University/Institution.
4. The University / Institution shall maintain proper accounts of the expenditure out of the Grants which shall be utilized only on the approved items of expenditure.
5. The University / Institution may follow the General Financial Rules, 2005 and take urgent necessary action to amend their manuals of financial procedures to bring them in conformity with GFRs, 2005 and those don't have their own approved manuals on financial procedures may adopt the provisions of GFRs, 2005 and instructions/guideline there under from time to time.
6. The Utilization Certificate to the effect that the grant has been utilized for the purpose for which it has been sanctioned shall be furnished to UGC as early as possible after the close of current financial year.

7. The assets acquired wholly or substantially out of University Grants Commission's Grant shall not be disposed or encumbered or utilized for the purposes other than those for which the grants was given without proper sanction of the UGC and should at any time the University ceased to function, such assets shall revert to the University Grants Commission.
8. A Register of Assets acquired wholly or substantially out of the grant shall be maintained by the University in the prescribed Performa.
9. The grantee institution shall ensure the utilization of grants-in-aid for which it is being **sanctioned** / paid. In case of non-utilization/part utilization thereof, simple interest @ 10% per annum, as amended from time to time on the unutilized amount from the date of drawl to the date of refund as per provisions contained in General Financial Rules of Govt. of India, will be charged.
10. The University / Institution shall follow strictly the Government of India / UGC's guidelines regarding implementation of the reservation policy [both vertical (for SC, ST & OBC) and horizontal (for persons with disability etc.)) in teaching and non-teaching posts.
11. The University / Institution shall fully implement the Official Language Policy of Union Government and comply with the Official Language Act, 1963 and Official Languages (Use for Official Purposes of the Union) Rules, 1976 etc.
12. The sanction is issued in exercise of the delegation of powers vide UGC Order No. 130/2013 [F.No. 10-11/12 (Admn. IA & B)] dated 28/5/2013.
13. The **College** /Institution shall strictly follow the UGC Regulations on curbing the menace of Ragging in Higher Education Institutions, 2009.
14. The **College** / Institution shall take immediate action for its accreditation by National Assessment & Accreditation Council (NAAC).
15. The accounts of the **College**/ Institution will be open for audit by the Comptroller & Auditor General of India in accordance with the provisions of General Financial Rules, 2005.
16. The annual accounts i.e. balance sheet, income and expenditure statement and statement of receipts and payments are to be prepared strictly in accordance with the Uniform Format of Accounting prescribed by Government.
17. Funds to the extent of **Rs. 166500 Lakh** are available under the scheme.
18. This issue with the concurrence of IFD vide Diary No. **3248** dated 07.08.2015.
19. This issue with the approval of **Secretary** vide Diary No. **49047** dated 20.08.2015.

Yours faithfully,

  
(Dr. Nikhil Kumar)  
Education Officer

Copy forwarded for information and necessary action for:-

1. The Vice Chancellor, Pt. Ravishankar Shukla University,  
Amanaka, Raipur-492010, Chhattisgarh
2. The Registrar, Pt. Ravishankar Shukla University,  
Amanaka, Raipur-492010, Chhattisgarh
3. Office of the Director General of Audit, Central Revenues,  
AGCR Building, I.P.Estate, New Delhi.
4. Joint Secretary (CC), Ministry of Human Resource Programme,  
Shastri Bhawan, New Delhi.
5. Guard File.

  
17/9/15  
(Anita Gogna)  
Section Officer